खण्ड ५—अंक १४
२ अगस्त, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा
वा द - वि वा द

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक सभा

गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला खान श्रम कल्याण निधि

†*६११. **श्री त० ब० विट्ठल राव:** क्या **श्रम** मंत्री २२ फरवरी, १९५६ को पूछ गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अगले पांच वर्षों में सीधे कोयला खान श्रम कल्याण निधि से ३,००० मकान बनाने की योजना को तब से कोई अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ में कितने मकान संभवत: बनाये जायेंग ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) हां, योजना अभी हाल ही म तय की जा चुकी है।

(ख) चालू वर्ष में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या कोयला खान मालिकों के सहयोग पर निभर होगी, जो स्थान देंगे तथा कल्याण निधि संगठन के साथ कई अन्य करार करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** प्रत्येक क्षेत्र में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली:** खानों के पास प्रत्येक क्षेत्र में हम बीस क्वार्टर बनाना चाहते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कोयला खान श्रम कल्याण संगठन जो निर्माण कार्य करायेगा क्या वह विभाग द्वारा करायेगा अथवा कोयला खान प्रबन्धकों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा ?

†**श्री आबिद अली :** निर्माण कार्य कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन के निरीक्षण के अधीन ठेकेदारों द्वारा कराया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इन क्वार्टरों का किराया क्या मालिकों से लिया जायेगा या कर्मचारियों से ?

†**श्री आबिद अली :** मालिक २ रुपये महीना देने के लिये उत्तरदायी होंगे जो कर्मचारियों से प्राप्त किया जा सकेगा। क्वार्टर खाली पड़ा हो या भरा हुआ हो, मालिक को हमें भगतान करना ही होगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस निधि में कितना धन उपलब्ध है ?

†**श्री आबिद अली** : प्रति क्वार्टर लगभग २,७०० रुपये, और हमारे पास करीब ५ करोड़ रुपये हैं। किन्तु यह योजना पांच या छः वर्षों के लिये है। आशा है कि उपकर की वसूली के बकाये से हम आवश्यक निधि जुटा सकेंगे।

†**श्री बोस** : यदि कोयला खान मालिक कोयला खानों पर जमीन न दे सकें, तो क्या सरकार के पास जमीन के लिये कोई दूसरी प्रस्थापना है ?

†**श्री आबिद अली** : कोयला खानों के पास की जमीन अधिकतर कोयला खानों के मालिकों की होती है। हमारी कोई जमीन वहां नहीं है। अतः यह योजना तभी सफल होगी जब वे हमें सहयोग दें।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्रालय का यह अनुभव नहीं है कि मालिक गृह निर्माण योजनामें सहयोग नहीं दे रहे हैं, और यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि कोयला खान मालिक रोड़े न अटकायें ?

†**श्री आबिद अली** : हम आशा करते हैं कि कोयला खान मालिक हमें सहयोग देंगे। योजना अभी हाल में मंजूर की गयी है। अतः उनके असहयोग का अथवा सहायता न देने के अनुभव का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन

†*६१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन को कार्यभार में लेने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) कितना धन दिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है जिसे १५ अगस्त, १९५६ से प्रबंध संचालक कहा जायगा। उस तारीख को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड से प्रबन्ध अभिकरण ले लेने के लिये व्यवस्था जारी है।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, लिमिटेड को अंश धन के प्रतिदान के प्रश्न से है। यह विषय विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस निगम के लिये कोई अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, किन स्थानों पर ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन की सेवायें काम में लायी जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन** : निगम के अपने जहाज बढ़ाने का कार्यक्रम है। अभी हम छः जहाज चला रहे हैं। उन्हें बढ़ाना होगा। उस सम्बन्ध में तथा जिन मार्गो पर वे चलेंगे उन्हें मजबूत बनाने के विषय में मेरे पास विस्तार नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस निगम में जो प्रबन्धक नियुक्त किया गया है क्या उसके पास कोई शिल्पिक अथवा प्रशासनिक अथवा दोनों ही अर्हताएं हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वह असैनिक सेवा का सदस्य है और अभी हाल तक बर्मा में हमारा राजदूत रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह नौवहन निगम चलाने के लिये उसकी क्या विशेष अर्हताएं हैं?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)**: माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि पोर्ट ट्रस्टों के अध्यक्ष भी, जो कि बन्दरगाहों की कार्यविधि का नियंत्रण और संचालन करते हैं, आई० सी० एस० पदाधिकारी होते हैं। इस महाशय के सम्बन्ध में, उनका काम सामान्यतया प्रशासनिक रूप का होगा और शिल्पिक विभाग की देखरेख के लिये शिल्पिक पदाधिकारी, इंजिनियर तथा अन्य लोग होंगे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस निगम के जहाज भारत और बर्मा के बीच चलेंगे, जो सेवा इन जहाजों को वापस ले लिये जाने के कारण बन्द पड़ गयी थी ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां। सिंधिया कंपनी का एक जहाज इस मार्ग पर चलता था और उसने वह बंद कर दिया है जिससे इस देश के दक्षिण से बर्मा जाने और आने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई हुई है अब यह प्रस्थापना है, सिंधिया कंपनी ने उस मार्ग पर फिर से जहाज चलाने का स्वतः प्रस्ताव रखा है। किन्तु संभवतः इस महीने के आखिर से जहाज चलना प्रारंभ होगा।

सवारी डिब्बों में भारी सामान

†*६१४. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से मुसाफिर डिब्बों में अपने साथ भारी और बोझीले सामान ले जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सामान के लिये अलग स्थान की व्यवस्था है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस आशय की कुछ शिकायतें आयी हैं कि कुछ मुसाफिर डिब्बों में भारी और बोझीले सामान ले जाते हैं।

(ख) और (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९)**

†**श्री डाभी** : विवरण में यह कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देने के लिये आदेश दिये गये हैं कि मुसाफिर डिब्बों में अपने साथ बोझीला और भारी सामान न ले जायें। क्या यह सच है कि इस आदेश के बावजूद अधिकतर मामलों में कर्मचारी आदेशों के अनुसार काम नहीं करते ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कर्मचारी लोग बहुत अधिक लोगों को तंग किये बगैर यथा संभव प्रयत्न करते हैं।

†**श्री डाभी** : विवरण में यह भी कहा गया है कि गाड़ियों में सामान के खानों के तौर पर अलग जगह का प्रबन्ध किया गया है। पश्चिम रेलवे की किन किन गाड़ियों में सामान के ऐसे खानों का प्रबन्ध है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं गाड़ियों की ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता किन्तु तीसरे दर्जे के डिब्बों में ऐसे खाने हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कभी कभी मिलिटरी के आदमी इन्फ्लेमेटरी सामान लेकर गाड़ियों में चलते हैं ? यदि हां, तो उनको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

श्री शाहनवाज खां : किसी भी आदमी को इजाजत है कि वे अपने बक्सों को अपने साथ ले जायें, इसकी कोई रुकावट नहीं है । लेकिन कोई खतरनाक चीज, जैसे ऐम्यूनिशन वगैरह है, उसके लिये ज़रूर नियम है कि उसको वे साथ न ले जायें ।

श्री भक्त दर्शन * *

मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या यह सही है कि जो रेलवे आफिसर्स छुटी या बदली पर जाते हैं वे अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान ले जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां: जिसको जितनी इजाजत होती है वह उतना ही सामान ले जा सकता है । मैं यह नहीं कहता कि हर एक आदमी जो ज्यादा सामान ले जाता है, वह पकड़ा ही जाता है, लेकिन रेलवे कर्मचारी कोशिश करते हैं कि जो ज्यादा सामान ले जाते हैं उन को वे चार्ज करें ।

बहिर्विभागीय कर्मचारी

***६१५ श्री भक्त दर्शन :** क्या **संचार** मंत्री २२ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के बहिर्विभागीय कर्मचारियों के वेतन व नौकरी की शर्तों में संशोधन करने का जो प्रश्न विचाराधीन था क्या उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित वेतनक्रमों और शर्तों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निश्चय किये जाने में कितना समय लगने की आशा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ): चूंकि समस्त बहिर्विभागीय पद्धति के सब पहलुओं पर विचार करना है, इसलिये इसमें कुछ समय लगने की संभावना है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान है कि एक्स्ट्रा-डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए जो नियम बनाये गये थे वे आज से कोई २४ वर्ष पूर्व बनाये गये थे, यानी सन् १९३२ में बनाये गये थे और तब से महंगाई इत्यादि बहुत बढ़ गई है तथा दूसरे कई परिवर्तन हो गये हैं ? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या इस मामले को शीघ्रता से निपटाने की कोशिश की जायगी तथा शीघ्र ही कोई निर्णय कर लिया जायगा ?

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, गवर्नमेंट के सामने ये सब प्रश्न हैं । लेकिन माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में दो एक बातें और मालूम होनी चाहियें और वे यह कि जो एक्सट्रा डिपार्टमेंटल स्टाफ होता है वह पूरे वक्त काम नहीं करता है। ये तो खाली अतिरिक्त समय के लिये ही काम करता है और इनको पूरी आजादी होती है कि ये इस समय और काम कर सकें । इसको दो तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है । इस वास्ते यह खयाल किया गया था कि इसको जो एलाउंसिस दिये जाते हैं, वे काफी हैं । लेकिन जब गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाया गया तो गवर्नमेंट ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया और वह इस पर विचार कर रही है । इसमें कुछ समय तो लगेगा ही ।

** ये शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेश से निकाल दिये गये ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन कर्मचारियों को औसतन दो तीन घंटे ही काम करना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात भी आई है कि इन लोगों को सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि इनके दूसरे काम का हरजा होता है? इस वास्ते क्या इस दृष्टिकोण से भी इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा?

श्री के० दे० मालवीय : यह सवाल भी गवर्नमेंट के सामने आया है और इसके लिये आंकड़ इकट्ठे करने की जरूरत होगी। कुछ आंकड़े एकत्र किये भी जा चुके हैं। मगर इस सारे मामले पर विचार करने में कुछ समय जरूर लगेगा।

†**श्री मुनिस्वामी**: क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अभी नियमित कर्मचारियों की बराबरी में उतने ही घंटे काम कर रहे हैं और क्या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण करने में इस तथ्य पर विचार किया गया था?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कुछ क्षेत्रों में यह ठीक हो सकता है। उन क्षेत्रों म कार्यालयों के प्रमुखों को किसी एक आधार पर भत्ता बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। अतः जब कभी उन्हें अधिक काम करना होता है, उन्हें अधिक भत्ता मिला करेगा।

रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर

† *६१६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक क्षेत्रों के रेलवे अधिकारियों ने सवारी गाड़ियों म से खतरे की जंजीरें निकाल ली हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) क्या अप्रत्याशित खतरे के समय जंजीर के अलावा और भी कोई व्यवस्था की गयी है?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) उत्तर, पूर्वोत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों की कुछ गाड़ियों में से खतरे की जंजीरें निकाल ली गयी हैं।

(ख) बहुधा अकारण और शैतानी से जंजीर खींचे जाने के कारण, जिससे ट्रेन सर्विस अस्तव्यस्त हो जाती है।

(ग) डिब्बों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। किन्तु इंजन और गार्ड के ब्रेक वैन में वैक्यूअम ब्रेक ज्यों के त्यों रखे गये हैं और गार्ड तथा इंजन चालकों को विशेष रूप से सावधान रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों को रोकने के लिये आदेश दिये गये हैं।

श्री विभूति मिश्र : सरकार ने जिन-जिन जगहों पर से इन एलार्म चेंस (खतरे की जंजीरों) को हटाया है, उन जगहों में से किसी जगह से लोगों की तरफ से क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई हैं, कि इससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रश्न नहीं समझता।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य वैकल्पिक व्यवस्था जानना चाहते हैं? उनका प्रश्न क्या है?

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने जिन जगहों पर से इन एलार्म चेंस को हटाया है क्या वहां की जनता की तरफ से सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि इनके हट जाने से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

---

† मूल अंग्रेजी में।

श्री शाहनवाज खां : कोई खास शिकायतें तो नहीं आई हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या सभी जनाने डिब्बों में खतरे की जंजीर होंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां; जनाने डिब्बों में खतरे की जंजीरें होती हैं।

इस्पात ढलाई का कारखाना

† *६१७ **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन एंजिन निर्माण कारखाने में कोई इस्पात ढलाई का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां।

(ख) प्रति वर्ष लगभग ७,००० टन इस्पात की ढली हुई वस्तुयें और १०,००० टन तक भावी विस्तार की संभावना के उत्पादन के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने की योजना की जा रही है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विस्तार परियोजना पर कुल कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है ?

†**श्री अलगेशन** : इस परियोजना के लिये टैक्नीकल सहकारिता मिशन ने भी कुछ सहायता देने की हमें प्रतिज्ञा की है। नगरी आदि समेत समूची परियोजना पर लगभग ६० लाख डालर खर्च होने का अनुमान है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : टैक्नीकल सहकारिता मिशन से कितनी सहायता की अपेक्षा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कितना धन सहायता रूप में मिलेगा ?

†**श्री अलगेशन** : विकास सहायता के अन्तर्गत कुल व्यय का लगभग ५० प्रतिशत—अर्थात् २५ से ३० लाख डालर तक मिलने की अपेक्षा है; और वह प्रायः न्यूनाधिक संयंत्र और मशीनरी आदि खरीदने पर खर्च हो जायगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विकास निगम इस्पात ढलाई के कारखाने की स्थापना के बारे में परीक्षण कर रहा है। क्या यह इस्पात ढलाई का कारखाना इस ढलाई के कारखाने के अतिरिक्त है।

†**श्री अलगेशन** : जी, हां।

अलैग्जैंडर और विक्टोरिया गोदियां, बम्बई

† *६१९. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की अलैग्जैंडर और विक्टोरिया गोदियों में बहुत सा इस्पात और इस्पात की वस्तुएं खुली जगह पर जमा हुई पड़ी हैं, जिनके कारण गाड़ियों आदि के यातायात में भी कठिनाई हो गई है;

(ख) गोदियों में से इस वर्तमान माल को साफ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है;

(ग) क्या इस बात के लिये कोई कदम उठाया गया है कि भविष्य में आयात किये गये इस्पात के जमा होने से गोदियों में इस तरह अधिक भीड़ न रहे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाई की गई है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) : पत्तन न्यास ने ९ जून १९५६ से गोदियों में पड़े हुए लोहा और इस्पात के जहाज भरने के लिये हाजी बन्दर में एक गोदाम खोला है। परिणामस्वरूप, गोदियों की भीड़ साफ हो गई है। पत्तन न्यास प्राधिकारी इस स्थिति को भली भांति समझते हैं और यातायात की किसी भावी वृद्धि के अनुसार गोदाम को और अधिक बढ़ा दिया जायगा।

†**श्री गिडवानी**: क्या सरकार ने निकट भविष्य में इस्पात से भरे जहाजों को दूसरी बन्दरगाहों में भेजने के बारे में कुछ कार्यवाई की है, क्योंकि ऐसा न करने से बम्बई की गोदियों में भारी भीड़ हो सकती है ?

†**श्री अलगेशन** : जहां कहीं संभव है, इस्पात से भरे जहाजों को दूसरी बन्दरगाहों में भेज दिया जायगा। दूसरी कार्यवाइयां भी की जा रही हैं; अर्थात् गोदामों की क्षमता को बढ़ाना और यदि आवश्यक हो, तो दूसरे गोदाम खोलना, आदि। वे भी बम्बई की बन्दरगाह में विचाराधीन हैं, ताकि शीघ्र ही आने वाला माल साफ हो जायगा। इस सिलसिले में और कई कार्यवाइयां भी की जा रही हैं ?

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार भावी इस्पात आयात जमा रखने के लिये हाजी-बन्दर म माल गोदाम बनाने का विचार करती है ?

†**श्री अलगेशन** : मालगोदाम में ये सब चीजें नहीं आ सकतीं।

†**श्री गिडवानी** :क्या सरकार को विदित है कि गोदियों से आयात किये गये इस्पात को उठाने की कठिनाई के कारण, माल मंगाने वालों को भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ता है तो अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं पर पड़ता है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाई की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : माल मंगाने वालों को माल आने के २४ घंटों के अन्दर माल उठाने को कहा जाता है, यदि इस्पात गोदाम में ले जाया जाता है तो उन्हें १२ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। इसके फलस्वरूप माल मंगाने वाले लोग माल के पहुंचते ही यथाशीघ्र माल को उठाने को उत्सुक रहते हैं।

भूमि परिवहन

† *६२०. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इंग्लिश डाइजेस्ट' में पृष्ठ ७ पर प्रकाशित "अंग्रेजी रेलों को क्यों न समाप्त कर दिया जाय" शीर्षक के अधीन लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल परिवहन की कमी के कारण परिवहन की कठिनाइयों की दृष्टि से, सरकार दूसरी योजना के अन्दर भूमि परिवहन के विकास की ओर अब की अपेक्षा अधिक ध्यान देने का विचार करती हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) यह अनुभव किया गया है कि इंग्लैंड और भारत की परिस्थितियां समान नहीं है सब प्रकार के परिवहन—अर्थात् रेल, सड़क और समुद्र के समन्वयित विकास के लिये कार्यवाई की जा रही है।

†**श्री मात्तन** : इस लेख के अनुसार, रेलवे माल मंगाने और भेजने का सबसे सुस्त उपाय है—प्रति घण्टा २ मील की औसत पड़ती है। क्या यह सच है और भारत में औसत क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जैसा कि लिखित उत्तर में कहा है इंग्लड और भारत की परिस्थितियों में सर्वथा भिन्नता है। किसी विशेषज्ञ ने एक लेख में सुझाव दिया है कि ब्रिटिश रेलों को समाप्त कर दिया जाय और सड़क परिवहन को उस का स्थान दिया जाय। यह इस प्रश्न से उत्पन्न हुआ है अर्थात्, ब्रिटिश रेलों को प्रति वर्ष २ करोड़ पौण्ड की हानि होती है, जब कि भारतीय रेलों को सर्वथा लाभ होता है। संभवतः हमारा लाभ प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, इसलिये देश में रेलवे परिवहन के स्थान पर सड़क परिवहन को स्थान देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दोनों देशों की अवस्थाएं भिन्न हैं।

†**श्री मात्तन** : मैं इन्हें समाप्त करने का सुझाव नहीं दे रहा। मैंने माननीय मंत्री से यह पूछा है कि क्या वक्तव्य ठीक है और भारत में रेल द्वारा माल के परिवहन की औसत गति क्या है? क्या वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे? कहा गया है कि रेलवे द्वारा सब से कम गति से माल का परिवहन होता है : लगभग औसतन दो मील प्रति घण्टा। क्या यह सच है? भारत में औसत क्या है? मेरा यही प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्वयं माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ नहीं सका था। चूंकि माननीय मित्र का प्रश्न अनिश्चित है, इसका उत्तर भी अनिश्चित होगा।

†**श्री अलगेशन** : यह बात उस लेख में दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : भारत में औसत गति क्या है?

†**श्री अलगेशन** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** : १९५४ और १९५५ में मालगाड़ियों की औसत गति क्या थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी रेलवे परिवहन में गतिरोध रहेगा? क्या सरकार परिवहन के दूसरे साधनों और उनके शीघ्र विकास की योजनाओं पर विचार करेगी? यदि हां, तो इस विषय में दूसरी योजना में क्या कदम उठाये गये हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब कार्य के लिये सुझाव हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या यह सच है कि इस समय जिस प्रकार सड़क परिवहन भारत में चल रहा है, वह रेल परिवहन की अपेक्षा महंगा है?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां।

†**श्री मात्तन** : एक रेलवे डिब्बे में प्रति व्यक्ति १।। टन माल भार होता है जब कि बस में वही भार १६ व्यक्तियों के पास होता है। क्या यह सच है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो माननीय मंत्री की परीक्षा ले रहे हैं।

†**श्री अलगेशन** : ये बातें उस लेख में हैं। जितना कोई सदस्य इन की सत्यता बता सकता है, मैं भी उतना ही बता सकता हूं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करने का विचार करती है, जैसा कि योजना आयोग के सदस्य डा० घोष ने कहा था जो रेलवे और मोटर परिवहन के डिब्बों के भार पर बोझ की जांच करे?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य किस सिफारिश का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि सभा को विदित है, ये मामले परिवहन मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में।

के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। हमने अध्ययन दल नियुक्त किया हैं जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । हम वर्तमान बसों की संख्या को बढ़ाने और वर्तमान सेवाओं को सुधारने के मार्गोपायों का विचार कर रहे हैं। हमने परिवहन मंत्रणा परिषद में यह सुझाव दिया है कि राज्यों की दुगने करारोपण के लगाये जाने को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये और एक राज्य तथा दूसरे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। हमने राज्य सरकारों से भी रेलवे मंत्रालय को बताने के लिये कहा है कि क्या कोई ऐसे निश्चित मार्ग हैं जिनके लिये वर्तमान सिद्धान्त संहिता को ढीला किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, १५० मील का प्रतिबन्ध है। हम इस प्रतिबन्ध को ढीला करने को तैयार हैं, यदि रेलवे उस सैक्शन के यातायात को पूरा नहीं कर सकती। हमने राज्य सरकार को कहा है कि हमें यह सूचना दी जाय। इस सैक्शन में रेलवे बाधक नहीं होना चाहती। इसी प्रकार, गैर सरकारी गाड़ियों के मामले में, हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि लाइसेंस खुले दिये जाने चाहियें और गैर सरकारी गाड़ियां जितनी दूर चलना चाहें चल सकती हैं। हमने हाल ही में यही निश्चित कार्यवाही की है। हम दूसरी कार्यवाइयां भी करना चाहते हैं। हमने केन्द्रीय परिवहन बोर्ड स्थापित किया है ताकि रेल और सड़क के बीच उत्तम समन्वय हो सके।

केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संघ

†*६२१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संघ में छंटनी करने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार छंटनी में आये कर्मचारी वर्ग को दूसरे काम में लगाने के लिये उपाय करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी, हां।

(ख) देश में टिड्डी दल की लगातार कम गतिविधि होने और बाहर से टिड्डी दल के आक्रमण की कम सम्भावना होने के कारण यह विचार किया गया है कि सब कर्मचारियों को बराबर नौकरी में रखना आवश्यक नहीं है।

(ग) जी हां, जहां तक संभव होगा।

†**श्री राम कृष्ण** : इस छंटनी का कुल कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : एक सौ पांच।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या लन्दन टिड्डी दल केन्द्र द्वारा चेतावनी दी गई थी कि टिड्डी दल का नवीन आक्रमण होने वाला है और क्या चेतावनी के बाद भी छंटनी हो रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : चेतावनी मिली है। किन्तु टिड्डी पालन इतने छोटे पैमाने पर है कि हम उन सब लोगों को रखना नहीं चाहते जितने इस समय हमारे पास हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जो १०५ व्यक्ति छंटनी में आयेंगे, उनमें से कितने व्यक्ति दूसरे कामों में लगाये जायेंगे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : वर्तमान अनुमानों के अनुसार, लगभग ५० व्यक्तियों के वर्तमान रिक्त स्थानों में लगाये गये जाने की संभावना है। उन्हें पूरा कारोबार देने के लिये विभिन्न कार्यवाइयां की जा रही हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे का दावा कार्यालय

†*६२२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के दावा कार्यालय को कलकत्ता से गोरखपुर ले जाने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०)**

†**श्री झूलन सिंह** : प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अभी भी असुविधा अनुभव की जा रही है, इस दृष्टि से क्या सरकार हस्तान्तरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का विचार करती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रायः पूरी हो चुकी है। केवल अवशिष्ट प्रतिकर का निपटारा करना शेष है।

सेतु समुद्रम परियोजना

† *६२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना उपसमिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी नहीं, श्रीमान्। अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व कुछ प्रविधिक जांच करना आवश्यक समझा गया है। यह जांच करने की व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस उपसमिति की सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : समिति ने सिफारिश की है कि पाम्बन के दक्षिण में एक नहर खोदी जाय जिससे कि जहाज आ जा सकें। इसका सम्बन्ध तुतीकोरिन बन्दरगाह से भी है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है ? कितने वर्षों में यह पूरी होगी ?

†**श्री अलगेशन** : समिति ने लागत का एक स्थूल प्राक्कलन दिया है। यह १० करोड़ रुपये बताया गया है। यह केवल प्रयोगात्मक है, जब तक कि तथ्य तथा आंकड़े एकत्र न किये जायंगे तथा परियोजना का अन्तिम प्रतिवेदन तैयार न होगा, तब तक ठीक-ठीक लागत का बताना सम्भव नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मामला क्यों टेक्नीकल समिति को फिर सौंपा जा रहा है जब कि इस समिति को टेक्नीकल अधिकारियों की सहायता प्राप्त थी ?

†**श्री अलगेशन** : यह सच है कि इस समिति में एक टेक्नीकल अधिकारी भी था। इतना ही पर्याप्त नहीं। समिति को प्रर्याप्त प्रविधिक तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। प्रतिवेदन के तैयार किये जाने से पहले कुछ तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित किये गये थे, किन्तु वह पर्याप्त नहीं थे। उन्हें उस मार्ग का जलवर्णना सर्वेक्षण करना है जिसकी कि समिति ने सिफारिश की है। इसके बाद ही ठोस कदम उठाये जायेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या अनुसन्धान एक प्रविधिक समिति द्वारा किया जा रहा है अथवा कि एक प्रविधिक विशेषज्ञ द्वारा ?

†**श्री अलगेशन** : यह अनुसन्धान भारतीय जल सेना से सम्बद्ध जलवर्णना सर्वेक्षण कर्मचारियों द्वारा किया जायगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : प्रविधिक अनुसन्धान का प्रभारी कौन है और इसे अन्तिम रूप देने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : मैं पहले ही प्रश्न के एक भाग का उत्तर दे चुका हूं। इसमें लगभग छः महीने लगेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : प्रभारी कौन है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जलवर्णना सर्वेक्षण कर्मचारी।

†**श्री मात्तन** : चूंकि इस परियोजना से समस्त दक्षिण भारत को लाभ होने की संभावना है, क्या मंत्री महोदय इस मामले को सर्वोपरि प्राथमिकता देंगे और इसे यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : इस पर ध्यान दिया जायगा।

विदेशों में भारत-पंजीबद्ध वायुयान

† *६२४. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय पंजीयन के कितने वायुयान उड्डयन कर रहे हैं;

(ख) इनमें कितने भारतीय चालक काम कर रहे है; तथा

(ग) अभारतीय समवायों के लिए भारत-पंजीबद्ध वायुयानों को काम करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पांच।

(ख) १७।

(ग) इन वायुयानों को भारत से बाहर काम करने की इसलिये अनुमति दी गई कि (१) बेड़े का पूरा उपयोग किया जा सके, (२) विदेशी मुद्रा कमाई जा सके तथा (३) भारतीय चालकों को अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन का अनुभव प्राप्त कराने के लिए अवसर प्रदान किये जा सकें।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा कमाने की बात कही। क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह कमाया धन क्या भारत से होकर भेजा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह भारत से होकर अमरीका भेजा जाता है, यही कुछ वह जानना चाहते हैं ?

†**श्री जयपाल सिंह** : जी हां। यदि वह उन देशों को भेजा जाता है जहां वह उड्डयन नहीं करते हैं तो क्या वह भारत से होकर भेजा जाता है क्योंकि माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा कमाने की बात कही ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां। मैंने वह सामान्य उत्तर दिया था। इस मुद्रा को विशिष्ट प्रणाली द्वारा भेजने के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह वायुयान हमारे देश में पंजीबद्ध हैं, सरकार ने इनके सावधिक परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पता चला है कि सावधिक परीक्षण के लिये इन वायुयानों के साथ कुछ व्यवस्था की गई है तथा ज्यों ही उनका संतोषजनक परीक्षण होता है त्यों ही उनके पंजीयन का नवीकरण होता है। अन्यथा उनका पंजीयन समाप्त कर दिया जाता है।

†**श्री जयपाल सिंह** : वायुयानों के सावधिक परीक्षण के लिये यह व्यवस्था क्या उन देशों में की गई है जहां कि वह उड़ान करते हैं अथवा क्या उन्हें परीक्षण के लिए भारत आना पड़ता है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे तो इसकी जानकारी नहीं परन्तु कुछ व्यवस्था तो की गई है। शायद, यदि मुझे गलती न हो, उनका परीक्षण हमारे ही देश में होता है।

†**श्री कासलीवाल** : ये वायुयान किन देशों में उड्डयन करते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पड़ोसी देशों अरब तथा कुछ पूर्वी देशों में। इनमें से कुछ विदेशी समवाय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा काश्मीर में भी काम करते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इन वायुयानों को यहां दर्ज करने में तथा अन्य स्थानों पर काम करने देने में विशेष लाभ तथा अभिप्राय क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : लाभ यह है कि नये नये क्षेत्रों में वह काम करते हैं तथा हमारे चालकों को अनुभव प्राप्त होता है। इस तरह से विदेशों के साथ हमारे सम्पर्क भी स्थापित हो जाते हैं।

†**श्री गि० श० सिंह** : क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह चालक इन वायुयानों को ज्यादा घंटों तक चलाते रहते हैं जैसे कि विनियमों में दिया गया है; तथा यदि उन्हें यह जानकारी है तो असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के पास उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने तथा उन्हें लाइसेंस देने का क्या कोई साधन है क्योंकि वह दो अथवा तीन वर्ष से अधिक समय के लिए देश से बाहर रहते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे विचार में यह एक सुझाव है। मैं यह सुझाव मंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा।

री-रेलिंग उपकरण

† *६२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म द्वारा विकसित 'री-रेलिंग' उपकरण जिसका भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया जा चुका है भारतीय रेलों के लिये उपयोगी पाई गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 'री-रेलिंग' का नया उपकरण जिसका कि पश्चिम रेलवे में दोहाद और लोअर परेल की वर्कशापों में तथा पूर्व रेलवे में नरकुलडगा इंजन शेड (कलकत्ता सयालदाह) में प्रदर्शन किया गया था भारतीय रेलों की आवश्यकताओं के लिये उपयोगी पाया गया है। कुछ रेलों के लिये इस उपकरण को प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारत में उसका प्रयोग कब शुरू होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैंने अभी बताया है कि अभी यह विषय विचाराधीन है।

फकीरगांव–अमीनगांव लाइन

† *६२७. **श्री अमजद अली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में फकीर गांव से अमीरगांव की रेलवे लाइन की रक्षा के लिये कौन-कौन से रक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: पूर्वोत्तर रेलवे ने गौरांग, आई और दुलानी नदियों पर रक्षात्मक कार्यों को पूरा कर लिया है और बेकी नदी के कामों को राज्य सरकार पूरा कर रही है। दो छोटी नदियों को मोड़ने का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अमजद अली** : क्या यह सत्य है कि हाल ही में यह देखने के लिये कि हिमालय की तराई से इस लाइन के नीचे पानी की कितनी मात्रा बहती है, कोई वायु सर्वेक्षण किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यदि माननीय सदस्य आसाम रेल लिंक में होने वाली दरारों के सामान्य प्रश्न का निर्देश कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और यह देखने के लिये कि क्या कोई वैकल्पिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण भी किये गये हैं।

†**श्री अमजद अली** : इस लाइन पर रक्षात्मक कार्यों में अभी तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभी वर्षों के लिये ?

†**श्री अमजद अली** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सृष्टि के प्रारम्भ से ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? आपको विशेष वर्षों के लिये ही प्रश्न पूछना चाहिये।

†**श्री अमजद अली** : जब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो वह इस लाइन की रक्षा के लिये किये गये व्यय का कुछ न कुछ अनुमान तो बता ही सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मगर किसी विशेष वर्ष अथवा वर्षों के लिये ही तो।

†**श्री अमजद अली** : प्रश्न में स्वतः ही उसका निर्देश है।

†**श्री शाहनवाज खां** : १९५२–५३ से लेकर १९५५–५६ तक इस सेक्शन पर कुल २,००,५०,००० रुपये व्यय किये गये हैं।

बुकिंग क्लर्क

†*६२८. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का उत्तर रेलवे के बुकिंग क्लर्कों की पदोन्नति, निगम तथा अन्य कठिनाइयों सम्बन्धी शिकायतों की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है या करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) विषय अभी विचाराधीन है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या सरकार की भर्ती की नीति से उत्तर रेलवेमें काम करने वाले क्लर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या अभी हाल ही में रेलवे के उस भाग में क्लर्कों की जो भर्ती हुई है उसमें पहले से काम कर रहे क्लर्कों की वरिष्टता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

†**श्री शाहनवाज खां** : उत्तर रेलवे के क्लर्कों ने एक ज्ञापन के रूप में हमें कई शिकायतें लिखी हैं और हम उन सब पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री मुनिस्वामी** : क्या इस ज्ञापन के सम्बन्ध में किया गया कोई भी निर्णय केवल उत्तर रेलवे के क्लर्कों पर ही लागू होगा अथवा अन्य रेलों के क्लर्कों पर भी ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे विचार में माननीय सदस्य को कोई निर्णय होने तक धैर्य रखना चाहिये। निर्णय होने के पश्चात् वह चाहें तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या अभी कुछ ही महीने अथवा एक वर्ष पहले ऐसी ही सेवाओं यथा टिकट कलेक्टरों आदि की पदोन्नति के लिये कुछ रास्ते खोले गये हैं और यदि हां, तो साथ साथ बुकिंग क्लर्कों अथवा कमर्शल क्लर्कों की पदोन्नति के लिये ऐसा क्यों नहीं किया गया जिससे कि इनके दिलों में ईर्ष्या भावना पैदा न हो ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उनकी एक यह भी मांग है। उनकी एक मांग यह है कि उनकी पदोन्नति के मार्ग सीमित हैं, इसका निरीक्षण किया जा रहा है, जब कि अन्य श्रेणियों के लोगों को एकाउंटस आदि की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति है उन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। हम ऐसी सब बातों की छानबीन कर रहे हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : कमर्शल क्लर्कों में भी, बुकिंग क्लर्कों तथा उन क्लर्कों में जो दावा कार्यालय में काम कर र हे हैं पदोन्नति के विषय में अन्तर है; क्या यह ठीक बात है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : बजट पेश करते समय रेलवे मंत्री ने यह कहा था कि वह ऊंचे ग्रेडों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, यह प्रस्ताव अभी किस स्तर पर है और यह कब पूरा होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : रेलवे बोर्ड के कुछ निर्देशक उस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अस्थाई प्रस्ताव तैयार किये हैं। किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में रेलवे फेडरेशन से परामर्श नहीं कर पाये हैं। हम कोई भी औपचारिक घोषणा करने से पहले उनका मत लेना चाहते हैं किन्तु यदि यह सम्भव न हो सका अथवा इसमें अधिक समय लगा तो शायद सरकार को कुछ समय बाद अपना निश्चय घोषित कर देना पड़ेगा।

गैर-सरकारी रेलें

† *६२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मार्टिन एण्ड को० द्वारा चलाई जा रही हावड़ा—आमता तथा हावड़ा—शेखाला लाइट रेलवे के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी की क्या उपपत्तियां हैं तथा सरकार द्वारा इन रेलों को अपने हाथ में लेने की क्या सम्भावना है; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंची है और यदि हां, तो क्या ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख) रेलवे बोर्ड के कहने पर पूर्व रेलवे द्वारा नियुक्त इस विशेष अधिकारी को हावड़ा—आमला और हावड़ा—शेखाला लाइट रेलवेज के मामले का निर्देश नहीं दिया गया था। संविदे के अनुसार जिला बोर्ड और वहां की नगरपालिका ही उन रेलों को अपने हाथ में ले सकती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य नहीं है कि इनकी जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी ने यह मत प्रकट किया है कि हावड़ा यार्ड की विकास और विद्यूतीकरण योजना के भाग के रूप में इन लाइनों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : नहीं, मैं समझता हूं ऐसी कोई सिफारिश नहीं थी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि यह एक बहुत पुरानी रेल है और एक बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा इसके कोयले के भाड़े से तथा यात्रियों से कोई २।। लाख रुपया प्रति मास आय होती है, क्या सरकार ने कभी इसे अपने हाथ में लेने के आर्थिक लाभों तथा उपयोगिता पर विचार किया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां**: हावड़ा—आमता सेक्शन पर यातायात का एक गोपनीय सर्वेक्षण किया गया था और उससे हमें यह पता लगा है कि इन रेलों को अपने हाथ में लेना आर्थिक दृष्टि से बहुत हानिकर रहेगा।

भोजन व्यवस्था संबंधी ठेके

† ***६३१. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुछ बड़े-बड़े ठेकेदारों ने अपने ठेके खत्म कर दिये जाने के कारण न्यायालय में रेलवे के विरुद्ध कोई मुकद्दमे दायर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों के नाम; और

(ग) क्या किसी वाद का फैसला हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) जी हां।

(ख) १. मेसर्स वल्लभदास ईश्वरदास तथा निम्नलिखित संबद्ध सार्थः—

(क) मेसर्स वल्लभदास अग्रवाल

(ख) मेसर्स ईश्वरदास एण्ड सन्स

(ग) मेसर्स ईश्वरदास ज्योती प्रसाद

२. मेसर्स ए० एच० खान एण्ड को०

३. मेसर्स एच पी० नाग ब्रदर्स

४. मेसर्स गणेश लाल एण्ड कं०

(ग) कुछ वादों का रेलवे के पक्ष में निर्णय हुआ है और कुछ अभी विचाराधीन हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह वाद किस आधार पर दायर किये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उनका आरोप है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है तथा हमें उतने ही अधिकार हैं जितने कि रेलवे के स्थाई कर्मचारियों आदि को। इसी प्रकार उनके बड़े ही उपहासास्पद तर्क हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उनके साथ कोई करारनामा नहीं था और यदि था तो क्या उसमें कोई ऐसी त्रुटि थी जिसका कि उन्होंने उल्लेख किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह विषय अभी न्याय निर्णय के अधीन है, और अभी कई वाद निलखित हैं।

†**श्री अलगेशन** : जी हां, उनमें से अभी कई वाद विचाराधीन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछना ठीक नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन ठेकेदारों को जिन्होंने इस प्रकार के मुकद्दमे दायर किये हैं अन्य स्टेशनों पर ठेके लेने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में इनमें से कुछ ठेकेदार न्यायालयों में गये और उन्होंने उन्हें ऐसे स्थानों से निकाले जाने के कारण जिन्हें कि वे चला रहे थे रेलवे प्रशासन के विरुद्ध न्यायालय से आदेश ले लिये थे।

---

† मूल अंग्रेजी में।

हमारा विचार यह था कि बड़े बड़े लोगों द्वारा चलाये जा रहे स्थानों को छोटे लोगों को दिया जाये और कुछ व्यवस्था विभाग को सौंप दी जाये। अब रेलवे को ऐसा करने से रोक दिया गया है। किन्तु जिन स्थानों पर जहां न्यायालयों ने रेलवे के पक्ष में फैसला दिया है, जैसे दिल्ली और बम्बई में, वहां हमने ऐसे कुछ स्टेशनों पर विभागीय भोजन के लिये विभागीय व्यवस्था कर दी है और कुछ ठेकों को छोटे-छोटे ठेकेदारों को भी दे दिया है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : अभी तक कितनी निषेधाज्ञाएं वापिस ली जा चुकी हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उच्चतम न्यायालय, पंजाब के उच्च न्यायालय तथा बम्बई के उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और अभी कलकत्ता, पटना तथा इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों में वाद चल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन निर्णीत मामलों के अतिरिक्त, अनिर्णीत मामलों में से भी किन्हीं मामलों में ये निषेधाज्ञाएं वापिस ली गयी हैं अथवा नहीं ?

†**श्री अलगेशन** जहां कहीं भी हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है ये वापिस ले ली गयी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य वादों के बारे में क्या हुआ है ?

†**श्री अलगेशन** : अन्य मामले अभी अन्य न्यायालयों में चल रहे हैं।

†**श्री गिडवानी** : श्री सामन्त का पहला प्रश्न यह था कि क्या जिन ठेकेदारों ने ये वाद दर्ज कराये हैं उन्हें अन्यत्र ठेके दिये गये हैं और क्या वे अब भी उनके पास हैं ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में हमारा उद्देश्य यह है कि उनके क्षेत्रों को कम कर दिया जाये इसलिये उन्हें नये ठेके देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तला का पुल

***६३२. श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में कलकत्ता क्षेत्र में तला के रेलवे पुल में किसी भारी त्रुटि के कारण एक गम्भीर बस दुर्घटना हुई है जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त पुल को सुधारने तथा फिर से बनवाने के लिये क्या कार्यवाई की है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तला के रेलवे के पुल में कोई त्रुटि नहीं है। अभी हाल ही में उस पुल पर एक गम्भीर बस दुर्घटना अवश्य हुई थी मगर वह ड्राइवर के बस को काबू में न रख सकने के कारण हुई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या सरकार उन मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा अथवा अनुदान देगी जो कि अपने परिवारों के केवल मात्र भरण-पोषक थे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें रेलवे द्वारा मुआवजा देने का प्रश्न कैसे उठता है। कुछ मुसाफिर बस में सफर कर रहे हैं और ड्राइवर के नियंत्रण खो देने से दुर्घटना हो जाती है। फिर, रेलवे बीच में किस तरह आती है ?

†**श्री नि० बि० चौधरी** : इस बात की दृष्टि में कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य उत्तरदायित्व का कोई विभाजन न होने से इस पुल की सन् १९४० से कोई मरम्मत नहीं हुई है, क्या पुल का शीघ्र निरीक्षण किया जायगा और इसकी मरम्मत करने के लिये कार्यवाही की जायगी जिससे कि और दुर्घटनायें न हों ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां** : जहाँ तक रेलवे का प्रश्न है इस पुलमें कोई खराबी नहीं है। यह बिलकुल ठीक कार्य कर रही है। यातायात को इस पुल से कोई खतरा नहीं है किन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, यदि सड़क यातायात की दृष्टि से इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसकी जाँच की जाएगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इस पुल के दोनों ओर रेलिंग नहीं है तथा पैदल चलने वालों और गाड़ियों के चलन क लिए कोई सुविधा नहीं है, जो वास्तव में बहुत पहले ही दी जानी चाहिए थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं माननीय सदस्य को बतादूं कि पुल की चौड़ाई ३० फीट से बढ़ाकर ६१ फीट, ८ इंच करने का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है, इस मामलो पर रेलवे मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मामले पर अंतिम निणय किया जाएगा।

सांची का नया रेलवे स्टेशन

† *६३३. **डा० रामा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांची के नये रेलवे स्टेशन के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ख) स्टेशन की इमारत की छत के सम्बन्ध में, जो बड़े पैमाने पर चूती है, क्या सरकार ने कोई विभागीय जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) माननीय सदस्य का आशय सांची स्टेशन पर प्रदान की गयी अतिरिक्त मुसाफिरी सुविधाओं से प्रतीत है। इन पर लगभग २.२५ लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) विश्रान्त कक्षों की छतें चूने लगी थीं जिसका कारण टाइलों का दोषपूर्ण ढंग से लगाया जाना था। जिस ठेकेदार ने यह काम किया था उसने शीघ्र ही देखभाल की और अब छतों का चूना बन्द हो गया है।

(ग) ठेकेदार ने वादा किया है कि यदि कहीं और पानी चुआ तो वह तत्काल उसको ठीक करेगा। यह विचार है कि इस बात की प्रत्याभूति के लिये ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान रोक रखा जाय।

†**डा० रामा राव** : प्राक्कलित राशि २.२५ लाख रुपये से कम थी या अधिक ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मूल प्राक्कलन से अधिक व्यय हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरा खयाल है उससे अधिक व्यय नहीं हुआ है, किन्तु इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

†**डा० रामा राव** : जब कोई काम शीघ्र पूरा करने के हेतु जल्दी में किया जाता है, तो इस बात के लिय सरकार द्वारा क्या सावधानी बरती जाती है कि शीघ्रता के काम करने के नाम पर खराब काम न किया जाय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रामपुर हल्द्वानी लाइन

†*६३४. **श्री ब० द० पांडे** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर से हल्द्वानी तक, ४८ मील की दूरी तक ब्राड-गेज लाइन के लिये पूर्व-परीक्षण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। यथा शीघ्र इंजीनियरी सर्वेक्षण किया जायगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ब० द० पांडे** : इस लाइन पर कितना व्यय का अनुमान है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सर्वेक्षण पूरा होने के बाद व्यय जाना जायगा।

†**श्री ब० द० पांडे** : एक सुझाव है कि अनुमानित व्यय इस अनुमान पर आधारित होना चाहिये कि ९० पौंड वाली नई पटरियां होनी चाहियें जब कि वही काम ७५ पौण्ड वाली पटरियों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। इस कारण तथा सरकार हलकी पटरियों के उपयोग के द्वारा व्यय को कम करने की संभवता पर विचार करेगी, ताकि परियोजना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकर सिद्ध हो सके ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मीटर गेज लाइन के लिये इसका सर्वेक्षण हुआ था . . .

†**श्री ब० द० पांडे** : ब्राड गेज लाइन।

†**श्री अलगेशन** : अब ब्राड गेज लाइन के लिये इस का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। उसके लिये प्राक्कलन मंजूर हो चुका है, और पूर्व परीक्षण सवक्षण तथा यातायात सर्वेक्षण पुनः होगा। मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि कैसी पटरियों का उपयोग किया जायगा। रेलों के पौण्डों आदि में पड़ना ब्यौरे की बात है।

आगंतुकों पर चुंगी कर

†*६३७. **डा० रामसुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भारत सरकार से निगमों और नगरपालिकाओं के सब आगन्तुकों पर चुंगी कर लगाने की अनुमति देने का विधान बनाने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने यह प्रार्थना की है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) तीन (पश्चिम बंगाल, आन्ध्र और मद्रास)।

(ग) केन्द्रीय सरकार को, यात्रा मेलों आदि के स्थानों तक और वहां से यात्रा करने वाले रेलवे यात्रियों पर सीमा कर लगाने की शक्ति देने वाला सामान्य विधान बनाने का निर्णय किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो टर्मिनल टैक्स लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, यह क्या रेलों में भीड़ भाड़ के कारण किया जा रहा है, या वहां की म्यूनिसिपैलिटीयों की सहायता करने के लिये ताकि वे यात्रियों की और अधिक सेवा कर सकें ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : यह जो रुपया आता है टर्मिनल टैक्स से, यह रेलवे के पास नहीं आता है और ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीस या लोकल बोर्डस के पास ही जाता है और वे इस रुपये को यात्रियों की सुविधा के लिये ही खच करते है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह विधान बनान से पूव सरकार जांच करके जनता का विचार जानना चाहती है कि धार्मिक वृत्ति के लोगों पर सीमा कर लगाने के इस प्रस्ताव से क्या धार्मिक पवित्रता को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचती है ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मैं ऐसी जांच की आवश्यकता अनुभव नहीं करता, क्योंकि इस समय भी ये कर लगाये जा रहे हैं। हाल ही में, इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ मेला में सीमा कर लगाया गया था और इन स्थानों की यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों ने प्रसन्नतापूर्वक दिया ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इन तीन राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रश्न के वित्तीय पहलू के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : हम यह बताने में असमर्थ हैं । यह नगरपालिका क्षेत्र और यात्रियों की संख्या पर निर्भर होगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस प्रकार लोगों पर कर लगाने का क्या उद्देश्य है ? जब वे वहां जाते हैं तो रेलों को भाड़ा देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम यहां पर करारोपणों के बारे में तर्क-वितर्क कर रहे हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: लोक मत के प्रतिनिधि के नाते हम अनुभव करते हैं कि यह कर बहुत अप्रिय हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब सीमा कर हैं । यह संविधान में दिये गये करों में से एक है ।

श्री जजवाड़े : क्या इस टर्मिनल टैक्स के बारे में कोई रिप्रिजेंटेशंस लोगों की तरफ से गवर्नमेंट के पास आई है ?

श्री लालबहादुर शास्त्री : मुश्किल यह है कि प्रान्तीय सरकारें खुद चाहती हैं, कि इस टैक्स को लगाया जाय । इसका रुपया हमारे पास नहीं आता है । मैं समझता हूं कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा जो कि हिन्दी अच्छी तरह समझती हैं, मेरा जवाब जो कि मैंने श्री भक्त दर्शन के सवाल का दिया था, उसको समझ गई होंगी । मैंने यह कहा था कि यह रुपया यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिये खर्च होता है । अगर आप वहां परसैनिटरी अरेंजमेंट (सफाई आदि का प्रबन्ध) चाहते ह, अगर आप चाहते हैं कि वहां पर पानी का इंतिजाम हो, रहने का इंतिजाम हो तथा दूसरे इंतिजाम हों, तो रुपये की आवश्यकता तो पड़ेगी ही । मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी ना-मुनासिब बात होगी कि एक जगह पर जहां पर कि लाखों यात्री इकट्ठे होते ह, मामूली से मामूली इंतिजाम भी ठीक न हो । दस साल पहले यानी १९४७ के पहले अगर आपने कुम्भ के मेले का इंतिजाम देखा होगा और जो इंतिजाम इस बार किया गया था उसको देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इस रुपये का खर्च इस बार कितने अच्छे ढंग से किया गया था ।

माल बुक करने के स्टेशन आरमेनियां घाट के कर्मचारी

† *६३८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के माल बुक करने के स्टेशन आरमेनियां घाट, कलकत्ता में काम करने वाले कर्मचारियों के कक्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है;

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों के दर्जे से इनकार किया जा रहा है और इन्हें गैरसरकारी संविदाकर्ता फर्मों की दया पर छोड़ा जा रहा है; और

(ग) क्या वह स्थिति में सुधार करेंगे और इन कर्मचारियों को स्थायी रेलवे प्रशासन में लगाने का प्रयत्न करेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। पवन निश्वास-मोटर सर्विस कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन मिला है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि आरमेनियां घाट आउट एजंसी के पवन निश्वास मोटर सर्विस लिमिटेड के अन्तगत काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी रेलवे कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।

(ख) आरमेनियां घाट आउट एजंसी स्थायी रेलवे कार्यालय नहीं है, किन्तु यह टिकट जारी करने की एजेन्सी है, जो एक ठेकेदार के द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे के साथ किये गये करार के अधीन चलाई जाती है। इसलिये इन कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी समझने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) (ख) के उत्तर की दृष्टि में सुधार करने और इन्हें रेलवे के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

† **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार न इस बात को सुनिश्चित किया है कि क्या यह सच है कि जब कि ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली आउट एजेन्सियां हमारी रेलवें का एक रूप हो सकती यह रेलवे अधिनियम के शब्दों और भावना के विरुद्ध है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं ऐसा नहीं समझता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मंत्री को विदित है कि आउट एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारी रेलवे के नाम से रसीद जारी करते ह और फार्म भरते हैं, तथा ये फार्म रिकार्ड में रखे जाते हैं जिनके ऊपर ये शब्द होते हैं 'केवल रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिये' इसलिये सब दृष्टि से उनको रेलवे कर्मचारी समझा जाना चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : यह व्यवस्था वहां बहुत देर से है। यह सुझाव बहुत विचित्र है कि फर्मों के सब गैर सरकारी कर्मचारियों को, जिनका रेलवे से सम्बन्ध है, या जो रेलवे के तत्वावधान में काम कर रहे हैं, रेलवे में ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह इस विचारधारा का अंश है कि प्रत्येक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होना चाहिये। यह सर्वथा संभव नहीं है।

नेल्लोर स्टेशन

† *६४०. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसंबर, १९५५, को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेल्लोर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के नवीकरण के काम को पूरा होने में विलम्ब का क्या कारण है; और

(ख) कब इसके पूर्ण होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) नेल्लोर रेलवे स्टेशन के नवीकरण के कार्य की प्रगति में कोई असाधारण विलंब नहीं हुआ है। तथापि इस्पात न मिलने के कारण एक समय कुछ रुकावट पड़ गई थी, किन्तु उसके पश्चात से प्रगति सर्वथा संतोषजनक है।

(ख) इस वर्ष के अन्दर।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : यदि इस्पात न मिलने के कारण विलम्ब हो गया था, तो दूसरे निर्माण कार्यों में क्यों विलंब हुआ, जिसमें इस्पात की आवश्यकता नहीं थी ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैंने कहा, कोई विशेष विलंब नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मार्च १९५६ तक, लगभग ८० प्रतिशत काय पूरा हो चुका था।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : पिछले सत्र में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि १२ लाख रुपये के प्राक्कलन में से ५ लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे। तब से सूचना कार्य रुका पड़ा है। क्या, इस कारण, संसदीय सचिव का यह अनुमान कि ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : दोनों ठीक हैं।

†**श्री ब० स० मर्त्ति** : केवल एक तिहाई प्लेटफार्म पर ही छत डालने और शेष पर छत न डालने का क्या कारण है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को धूप और वर्षा में कष्ट उठाना पड़ता है ?

†**श्री अलगेशन** : प्लेटफार्म की पूरी लम्बाई पर सदा छत नहीं हुआ करती। केवल कुछ भाग को छत के द्वारा ढका जाता है। मुझे मालूम नहीं कितनी जगह पर छत बनाई जा रही ह और कितनी जगह छोड़ी जा रही है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : कार्य के पुनः कब आरंभ होन की संभावना ह ?

†**श्री अलगेशन** : यह पहले ही चल रहा है।

बोंगायगांव वर्कशाप

†*६४१. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकारी सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और पूण रूप से साज संवार करने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे के बोंगायगांव स्थित वर्कशाप को बढ़ाने का विचार रखती ह; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरंभ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख) : मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : इस मामले को अन्तिम रूप देन म कितना समय लगगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ज्यों ही रेलवे बोर्ड उस पर विचार कर चुकेगा, इसे अन्तिम रूप दिया जायगा।

उदयपुर में हवाई अड्डा

†*६४२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में हवाई अड्डा का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह देश में किन महत्वपूर्ण स्थानों के साथ मिलाया जायगा; और

(ग) यह सेवा कब चालू होगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। १९५६ के अन्त तक कार्य पूरा होने की आशा है।

(ख) तथा (ग) : उदयपुर के रास्ते निश्चित प्रदायक सेवा आरंभ करने और इसे देश के दूसरे स्थानों के साथ मिलाने के प्रश्न का हवाई अड्डा बन जाने के पश्चात् परीक्षण किया जायगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बलवन्त सिंह मेहता** : कुल अनुमानित व्यय क्या होगा और अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का नवीनतम संशोधित प्राक्कलन ८.७५ लाख रुपये है, जिसमें विभागीय व्यय सम्मिलित नहीं है, जो लगभग ७०,००० रुपये है। अब तक की गई प्रगति इस प्रकार है :

धावन-मार्ग : मिट्टी बिछाने तथा सड़क पक्की बनाने का काम मुकम्मल हुआ है।

दोनों तरफ की पट्टी : प्रगति पूरी हो रही है, ९० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

घरेलू आवास : बिजली पहुंचाने के कार्य को छोड़ कर शेष काम मुकम्मल हुआ है।

सीमा की इमारत : कार्य प्रगति पर है।

तार लगाने का कार्य : पूर्ण हुआ है।

रत्नगिरि और कोंकन तट के बीच विमान सेवा

† *६४४. **श्री काजरोल्कर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स निगम ने कोंकन तट पर रत्नगिरि तक विमान सेवा आरंभ करने का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रत्नगिरि में हवाई अड्डा बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है ;

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब आरंभ होगा; और

(घ) रत्नगिरि तक विमान सेवा कब आरंभ होने की आशा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (घ): दूसरी पंचवर्षीय योजना में रत्नगिरि में हवाई अड्डा बनाने का निर्णय किया गया है। १९५७-५८ में निर्माण कार्य आरंभ होने की आशा है। रत्नगिरि तक विमान सेवा चालू करने का प्रश्न रत्नगिरि में हवाई अड्डा बन चुकने के पश्चात ही उत्पन्न होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अखिल भारतीय सहकारी संघ

*६१०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने और उसे शक्तिशाली बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सहकारी संघ को कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त संघ को किस रूप में और कितनी राशि दी गयी;

(ग) क्या वर्ष १९५६-५७ के लिये कोई सहायता स्वीकार करने के लिये संघ ने कोई योजना सरकार के पास भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) १,२५,००० रूपये अनुदान के रूप में।

(ग) जी हां।

(घ) इस योजना का ध्येय गैरसरकारी अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली जिला सहकारी यूनियनों के जरिये शिक्षा देने का है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

जी० टी० और जनता ऐक्सप्रेस

†*६१२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के मलायाली निवासियों से इस आशय का अभ्यावेदन मिला है कि मंगलौर और कोचीन बन्दरगाह स्टेशनों के लिये जी० टी० और जनता ऐक्सप्रेस में सीधे जाने वाले डिब्बे लगा दिये जायं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जनता ऐक्सप्रेस के साथ नहीं बल्कि ग्राण्ट ट्रंक ऐक्सप्रेस के साथ दिल्ली और मंगलोर तथा दिल्ली और कोचीन के बीच सीधे जाने वाले डिब्बे लगाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) यातायात की औचित्य के अभाव के अलावा सबद्ध गाड़ियों के साथ अतिरक्त डिब्बे लगाने के लिये कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय गव्यशाला गवेषणा संस्था

†*६१८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल की राष्ट्रीय गव्यशाला गवेषणा संस्था अथवा उसके अधीन केन्द्रों पर हल्लिकर और अमृतमहल नस्ल के पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस में कहां तक सफलता मिली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) हल्लिकर और अमृतमहल नस्ल के पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये राष्ट्रीय गव्यशाला गवेषणा संस्था, करनाल में कोई काम नहीं किया गया है । राष्ट्रीय गव्यशाला गवेषणा संस्था के दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन, बंगलौर में अच्छी नस्ल के हल्लिकर सांड मूल गांव योजना के अधीन स्थानीय हल्लिकर नस्ल की गायों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं ।

(ख) बंगलोर में हल्लिकर नस्ल को सुधारने का काम केवल तीन वर्ष पहले प्रारम्भ किया गया था । इतनी जल्दी, सफलता के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अच्छे सांडों से उत्पन्न पशु अभी बालिग नहीं हुए हैं ।

भेड पालन गवेषणा केन्द्र

†*६२५. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेड़ों और ऊन में सुधार के लिये अभी तक कितने भेड़ पालन गवेषणा केन्द्र कहां कहां खोले गये हैं; और

(ख) इसके लिये इस वर्ष कितने भेड़ पालन फार्म खोले जायेंगे और वे कहां खोले जायेंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११)**

(ख) इस वर्ष कोई भी नहीं खोला जायेगा । किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भेड़ और ऊन के विकास के लिये अखिल भारतीय योजना के अधीन द्वितीय योजना के द्वितीय वर्ष (१९५७-५८) में सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक-एक भेड़ पालन फार्म खोला जायेगा । प्रत्येक के साथ ऊन परीक्षण प्रयोगशाला सहित तीन फार्मों का व्यय ९.७८ लाख रुपये होगा जिसमें ४.९५ लाख रुपये अवर्तक और ४.८३ लाख रुपये अनावर्तक व्यय होगा ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

दीमापुर और इम्फाल मोरी रोड

†*६३०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष में मिट्टी खिसकने के कारण दीमापुर रोड और इम्फाल मोरी रोड को बहुत हानि पहुंची है;

(ख) इस प्रकार मिट्टी खिसकने के कारण दीमापुर और इम्फाल तथा इम्फाल और मोरी के बीच मोटर सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सड़कों को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सड़कों की कहां तक मरम्मत कर दी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) केवल कोहिमा इम्फाल खण्ड के चौंसठवें मील (माओ के पास) के अतिरिक्त और सड़कों पर मिट्टी खिसकने की घटनाएं मामूली थीं ।

(ख) साधार यातायात पर कोई प्रभाव न पड़ा । केवल दीमापुर-इम्फाल रोड पर कोहिमा से माओ तक का हिस्सा रास्ता साफ करने के लिये १३ दिन तक यातायात के लिये बन्द रखा गया ।

(ग) माओ के पास मूल सड़क में लगभग ५०० फीट का हिस्सा खिसक गया और लगभग ४०० फीट नीचे चला गया जिसके कारण ऊपर के पहाड़ी हिस्से से मुलायम मिट्टी गिर पड़ी और उसने सड़क को ढक लिया । अन्य स्थानों पर मिट्टी खिसकने और वर्षा के कारण अधिक हानि नहीं हुई ।

(घ) सड़कों की मरम्मत करके ठीक कर दिया गया है ।

रेलवे हैडक्वार्टर

†*६३५. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि 'ओलाराकोट' के स्थान पर दक्षिण रेलवे के डिवीजन हैडक्वार्टर का निर्माण कार्य मन्द पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, कुछ समय के लिये ।

(ख) शोरानूर में हैडक्वार्टर बनाने सम्बन्धी नये अभ्यावेदन आने के कारण कुछ समय के लिये काम रुक गया था ।

भारतीय टलीफोन उद्योग

†*६३६. **श्री तिम्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलोर में इस समय कुल कितने अफसर हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) ९२ ।

(ख) १ ।

हनुमानगढ-श्रीगंगानगर लाइन

†*६३९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में श्री हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के बीच यात्री गाड़ियों में स्थान न मिलने के कारण यात्री लोग डिब्बों की छतों पर यात्रा करते ह;

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ रेलवे कर्मचारी अपने परिवार सहित बिना टिकट लिये हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर तक सिनेमा आदि देखने के लिये प्रायः यात्रा करते हैं और इस प्रकार असली यात्रियों के लिये वे मुसीबत पैदा करते ह; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि पिछले वर्ष जो नये बिजली के पंखे लगाये गये थे, वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं यद्यपि वे अपेक्षाकृत काफी कीमती हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) यद्यपि इस खण्ड में यात्री गाड़ियों में काफी भीड़ होती ह तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि इसके कारण लोग डिब्बों की छतों पर बैठते हैं।

(ख) रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की इस प्रकार की यात्रा की कोई शिकायत उत्तर रेलवे के पास नहीं आई है और ऐसे मामलों का पता भी नहीं लगा है।

(ग) जी नहीं।

जमीन का ट्रैक्टर द्वारा जोता जाना

†*६४३. **श्री कामत**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १८ मई १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर द्वारा जोती जाने वाली जमीन के शुल्क अथवा उसके बकाये पर लगाये गये सूद के बारे में मांगी गई सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) वह कब सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां।

(ख) सूचना इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश और आसाम की सरकारें ट्रैक्टरों से जोती जाने वाली जमीन के शुल्क अथवा उसके बकाये पर कोई सूद नहीं लगाती हैं जब कि मध्य भारत सरकार सूद लगाती है।

त्रिपुरा में चावल का भाव

†*६४५. { **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय खुले बाजार में प्रति मन चावल के क्या भाव हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कमलपुर और अमरपुर डिवीजन में खुले बाजार में चावल ६० रुपये मन बिकता है;

(ग) अन्य डिवीजनों के खुले बाजार में चावल का क्या भाव है ;

(घ) क्या सरकार ने कुछ व्यापारियों को यह इजाजत दी है कि वे त्रिपुरा के बाहर से चावल प्राप्त करें और उसे खुले बाजार में निश्चित दर पर बेचें; और

(ङ) यदि हां, तो वह दर क्या है जिस पर व्यापारियों को खुले बाजार में चावल बेचने की इजाजत दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ग): अगरतला, उसके उपनगर और राज्य के सब डिवीजन के सदर मुकाम के समस्त लोगों को सरकारी दुकानों पर १५ रुपये प्रति मन की दर से अनौपचारिक राशनिंग योजना के अधीन ३ सेर चावल प्रति सप्ताह प्रति वयस्क को और उसका आधा बच्चों को मिलता है। इस प्रकार जहां जहां सरकारी दुकानें हैं वहां यह दर ही

† मूल अंग्रेजी में।

वास्तव में चालू है। इन शहरों में खुला बाजार भी चलता है लेकिन केवल कुछ अंश तक वहां से भी लोग अपनी इच्छा के अनुसार चावल खरीदते हैं। इस बाजार में प्रति मन चावल का मूल्य २० रुपये से लेकर भिन्न भिन्न है।

कुछ समय के लिये जब कमलपुर और अमरपुर डिवीजनों में चावल नहीं भेजा जा सका उस समय कमलपुर में चावल का भाव निस्सन्देह ५० रुपये से लेकर ६० रुपये प्रति मन तक हो गया था जब कि अमरपुर में ४५ से ५० रुपये तक था। अब इन शहरों में सरकारी दुकानें काम कर रही हैं और १५ रुपये प्रति मन चावल बेचा जा रहा है।

(घ) और (ङ): गैर सरकारी व्यापारियों को त्रिपुरा के बाहर से चावल लाने की स्वतन्त्रता है और यद्यपि उसकी बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है तथापि जिलाधिकारी इस बात का प्रबन्ध करते हैं कि व्यापारी उसे थोड़े से लाभ पर ही बेचें। ये व्यापारी उन थोड़े से लोगों की जरूरत पूरी करते हैं जो अधिक मूल्य होने पर भी अपनी इच्छानुसार चावल खरीदना पसन्द करते हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डा

†*६४६. **डा० स० ना० सिंह**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डे के पूर्वी भाग में जहाज उतारने में सदैव खतरा रहता है क्योंकि वहां बहुत से गिद्ध आस-पास पड़े हुए मृत पशुओं पर मंडराया करते हैं;

(ख) क्या समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राधिकारियों के पास आई हैं; और

(ग) इस खतरे को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और यह खतरा कहां तक दूर किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग) : मैं मांगी गई सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२)**

बाढ के पानी से रेल लाइन को खतरा

†*६४७. { **श्री विश्वनाथ राय :**
चौधरी मुहम्मद शफी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बलिया (उत्तर प्रदेश) के पास रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) के समीप घाघरा नदी का पानी आ जाने के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर गया है;

(ख) क्या यह सच है कि पानी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से रेल की लाइन केवल कुछ ही गज के फासले पर है; और

(ग) क्या रेलवे लाइन की हिफाजत के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के बलिया--छपरा भाग के उन्नीसवें मील के पास घाघरा नदी का पानी आ जाने का रेलवे को पता है।

(ख) नदी के पानी और रेल की लाईन की निकटतम दूरी ४०० फीट है।

(ग) जी हां।

---

† मूल अंग्रेजी में।

नाविक

†*६४८. { **श्री त० ब० विठ्ठलराव :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के एक विशेषज्ञ सहयोग से नाविकों की एक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना में (१) नियोजन आघात बीमा (नकद लाभ) (२), बीमारी बीमा (नकद लाभ), (३) चिकित्सा सेवा, (४) भर्ती के पत्तनों पर ठहरने का प्रतीक्षा भत्ता, और (५) वृद्धावस्था में पेन्शन ।

(ग) इस योजना पर जहाज मालिकों और जहाजियों के विचार मांगे गये हैं और उनका उत्तर आने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

जमुना पुल

***६४९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुमायूं के मकबरे और शाहदरा के बीच जमुना नदी पर एक पुल बनाने के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पुल की लम्बाई, पूंजीगत व्यय और निर्माण में लगने वाले समय का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) पुल बनाने के लिये एक जगह चुनी गयी है । पूना के सेन्ट्रल हाइड्रालिक रिसर्च स्टेशन में नमूने तैयार करके आजमाइश की जा रही है कि यह जगह पुल बनाने के लिए ठीक है या नहीं ।

युगोस्लाविया से जहाजों का खरीदा जाना

†*६५०. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार यूगोस्लाविया से जहाज खरीदना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे जायेंगे; और

(ग) विश्व के बाजार में इन जहाजों का मूल्य अपेक्षाकृत कैसा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग): यूगोस्लाविया से सरकारी लेखे पर जहाज खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं ह । दी वेस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई, जो राज्य द्वारा अधिकृत और राज्य द्वारा चालित एक जहाजी कम्पनी है ने लगभग १ करोड़ ३० लाख रुपये की लागत का एक माल वाही मोटर जहाज बनाने के लिये, यूगोस्लाविया के एक जहाजी कारखाने को आदेश देने का निश्चय किया ह । इस समय विश्व के बाजार में जो मूल्य हैं उनकी तुलना में यह लागत अनुचित नहीं है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

वन गवेषणा संस्था

†*६५१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्दन की लकड़ी की किस्म और परिमाण बढ़ाने के लिये क्या अभी तक कोई गवेषणा की गई है और यदि हां, तो वह किस प्रकार की है;

(ख) क्या चन्दन की लकड़ी में स्पाइक्स नामक रोग को दूर करने का कोई उपाय ढूंढा गया है;

(ग) हमारे देश में प्रति वर्ष चन्दन की लकड़ी की कितनी खपत है और वह किस काम आती है; और

(घ) उसका प्रति वर्ष कितना निर्यात किया जाता है ?

†**कृषि मत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इस समय चन्दन की लकड़ी के बारे में केवल यही गवेषणा की जा रही है कि कृत्रिम उपायों से उसमें तेल-पदार्थ अधिक बढ़ाया जाये।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) अधिकांश रूप में तेल निकालने के प्रयोजन से प्रतिवर्ष २,४०० से लेकर २,५०० टन चन्दन की लकड़ी की खपत होती है। वह अगरबत्ती बनाने के काम में भी आती है, भारतीय चिकित्सा के काम आती है और धार्मिक कामों में इस्तेमाल की जाती है।

(घ) १९५४ में १,००९ टन और १९५५ में ९३४ टन।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†*६५२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २८ मई १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध संभरण योजना में अभी तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) प्रस्तावित योजना पर कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इस योजना को योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार के अधीन एक संविहित दुग्ध बोर्ड को यह काम सौंप दिया जाये। जब तक इसके बारे में आवश्यक विधान न बनाया जाये तब तक इस योजना को चलाने के हेतु एक तदर्थ बोर्ड बनाया जा रहा है।

(ख) द्वितीय योजना में लगभग ३.७४ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

हिन्दूमलकोट–श्रीगंगानगर रेलवे

†*६५३. **श्री गिडवानी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दूमलकोट और श्रीगंगानगर के बीच बड़ी लाइन बनाने के हेतु सवक्षण की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) बहुत शीघ्र।

---

† मूल अंग्रेजी में।

भारत–पोलैन्ड नौवहन करार

†*६५४. **श्री राम कृष्ण**: क्या **परिवहन** मंत्री १० मई १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पोलैण्ड के बीच हुए करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख): हां श्रीमान् । करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३)**

दानेदार ग्लूकोज

†*६५५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जापानी तरीके से लकड़ी से दानेदार ग्लूकोज बनाने की ओर गया है जो उस देश में आयात होने वाली चीनी की कीमत की अपेक्षा २० प्रतिशत कम लागत की बताई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह तरीका अपने लाभ के लिये अपने देश में अपनाया जाना संभव है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख): विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४)** ।

रेल टक्कर

†*६५६ **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ जून १९५६ को भिलाई रेलवे क्रासिंग पर बम्बई—कलकत्ता डाक गाड़ी राज्य के बिजली विभाग के एक ट्रक से टकरा गयी जिससे ७ आदमी मर गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : १८–६–५६ को तीसरे पहर लगभग ३ बजकर ३० मिनट पर जब ४१ डाउन बम्बई—हावड़ा मेल दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर-हावड़ा सेक्शन पर दुर्ग और भिलाई स्टेशनों के बीच जा रही थी, ५३२/११ मील के समतलासार पर मध्य प्रदेश सरकार के बिजली विभाग के एक ट्रक से टकरा गयी जिससे ट्रक में बैठे ६ आदमी (न कि ७) मर गये । इस क्रासिंग पर कोई चौकीदार नहीं रहता ।

आंध्र में उड्डयन क्लब

*६५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र और आसाम में उड्डयन क्लब खोलने की प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ये क्लब कब से चालू हो जायेंगे ?

कृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान् जी । उड़ान गोष्टियों के स्थापित होने के पश्चात यदि वे सदस्यता एवं उचित संगठन के सम्बन्ध में निश्चित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों तभी सरकारी अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं । आन्ध्र और आसाम में अभी तक ऐसी किसी गोष्ठी की स्थापना नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

नयी रेलवे लाइनें

†*६५८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना में आसाम राज्य में कितने मील नयी रेलवे लाइन बनायी गयी;

(ख) वे किन-किन क्षेत्रों में बनाई गयी हैं;

(ग) उस पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(घ) यदि भाग (क), (ख), (ग) के उत्तर नकारात्मक हों, तो उसके क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) यातायात की बहुत कम संभावना होने तथा कठिन ऊबड़-खाबड़ जमीन के कारण परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं थीं।

कृषि सूचना वर्कशाप

†*६५९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ७ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सूचना वर्कशापों में अभी तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं; और

(ख) क्या नतीजा प्राप्त हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) कृषि सूचना वर्कशाप किसी प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं किन्तु वे सामुदायिक बैठकों का एक रूप हैं जिनमें कृषि सम्बन्धी जानकारी के जनता में प्रसार के तरीकों के ढंग के विषय पर चर्चा की जाती है तथा कृषि सम्बन्धी जानकारी की सामग्री तैयार करने के सबसे हाल के तरीके दिखाये जाते हैं। उन वर्कशापों में राज्य सरकारों के वे कर्मचारी होते हैं जिनका सम्बन्ध कृषि सम्बन्धी जानकारी के प्रसार से रहता है।

(ख) राज्य सरकारों ने कृषि सम्बन्धी जानकारी की जो सामग्री तैयार की है उसकी किस्म और यात्रा दोनों में ही सुधार हुआ है।

छोटी–मोटी सिंचाई योजनायें

*६६०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में छोटी-मोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अब तक किये गये कार्य का निर्धारण करने और इनकी भावी संभावनाओं और प्रसार के बारे में जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

† मूल अंग्रेजी में।

पश्चिम बंगाल में काम दिलाऊ दफ्तर

†*६६१ **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के काम दिलाऊ दफ्तर राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के कारण क्या उन प्रस्थापनाओं में अभी काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां तो किस प्रकार ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) पश्चिम बंगाल सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि जहां आवश्यक हो वहां कर्मचारियों के वेतन का एक भाग उनका व्यक्तिगत वेतन समझकर उनके विद्यमान उपलब्धियों की रक्षा की जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्लास्टिक के पाइप

*६६२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जल-संभरण और नाली-व्यवस्था के लिये लोहे के पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक के पाइपों का प्रयोग करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कब आरंभ किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) व (ख) : लोहे के पाइपों की जगह प्लास्टिक के पाइप प्रयोग करने का अभी कोई विचार नहीं है । प्लास्टिक के पाइपों के परीक्षण के लिये एक प्रारंभिक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

स्पेशल रेलगाड़ियां

*६६३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ६ अगस्त, १९५६ से ११ अगस्त, १९५६ तक होने वाले गोगाजी मेले के लिये, जहां हजारों यात्री आते है, स्पेशल गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां): जी हां, मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए, जहां तक हो सकेगा स्पेशल गाड़ियां चलाने का इन्तजाम किया जायेगा ।

डंगोआपोसी स्टेशन

†*६६४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में डंगोआपोसी स्टेशन की रेलवे बस्ती में पीने के पानी के कोई नल नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रोशनी, पानी, रहने के लिये मकान और चिकित्सा की व्यवस्था के लिये अभ्यावेदक १९५२ से १९५६ तक वार्ताएं करते रहते हैं; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

उदयपुर–चितौड़गढ़ लाइन

*६६५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर—चित्तौड़गढ़ लाइन में १९४८ से १९५६ तक यात्रियों की संख्या में औसतन कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) महीने में कितने दिन यात्रियों को भीड़ के कारण पटरियों पर सफर नहीं करना पड़ता।

(ग) यात्रियों की दैनिक औसत-संख्या क्या है और क्या गाड़ियों में लगाये जाने वाले डिब्बे यातायात के अनुपात से ही लगाये जाते हैं ;

(घ) क्या सरकार गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक हो सकेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५)**

(ख) महीने में कितने दिन गाड़ियों में भीड़ की वजह से लोग पावदानों पर सफर करते हैं इसकी कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन यह पता लगा है कि इस सेक्शन में पावदान पर चलने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है ।

(ग) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें प्रति-दिन प्रति-गाड़ी के हिसाब से यात्रियों की तादाद बतायी गयी है **(देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५)** । कभी कभी यह देखा गया है कि गाड़ी में जगह काफी नहीं होती, जिससे भीड़ बढ़ जाती है ।

(घ) गाड़ी नं० ४४५ और ४४६ में एक और डिब्बा (बोगी कैरेज) लगाने का विचार है ।

(ङ) अलग-अलग सेक्शनों में जैसी भीड़ होती है उसके मुताबिक डिब्बे आदि जरुरी सामान मिलते ही ऐसा कर दिया जायेगा ।

राजकुमारी खेलकूद शिक्षा योजना

†*६६६. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में खेल कूद के विकास और उन्नति के लिये राजकुमारी खेलकूद शिक्षा निधि में से अब तक कितना धन दिया गया है; और

(ख) किन-किन खेलकूद संगठनों को यह धन दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) आसाम से कोई प्रार्थना नहीं आयी थी किन्तु उस राज्य के कुछ खिलाड़ियों को पिछले नवम्बर में दिल्ली में प्रशिक्षित किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन

†*६६७. **श्री काजरोल्कर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक उपयोग के लिये बनाये गये टेलीफोन कटघरों (बूथ) में अभी तक टेलीफोन नहीं लगाय गय हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तीन कटघरों में से एक में सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जा चुका है ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय का स्थान निर्धारित करने में कुछ थोड़ा समय लगा क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने जो स्थान दिया था वह विभागीय दृष्टिकोण से पूर्णतः संतोषजनक नहीं समझा गया था ।

(ग) यदि यातायात के लिये आवश्यक हो तो और अधिक सार्वजनिक उपयोग के टेलीफोन लगाये जायंगे ।

डाक तथा तार संग्रहालय

†*६६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक तथा तार विभाग संग्रहालय स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : अभी उस विषय की योजना बन रही है ।

मक्खन का अपमिश्रण

†*६६९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मक्खन में वनस्पति तेलों की मिलावट रोकने के एक तरीके की ओर, जो कनाडा में प्रचलित है और जिसे टोको-फेरल तरीका कहते हैं, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में फैली हुई घी की मिलावट रोकने और बंद करने के लिये वह तरीका अपनाना संभव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां ।

(ख) यहां टोको-फेरल तरीका अपनाना जरूरी नहीं समझा जाता क्योंकि मक्खन और घी की शुद्धता जांचने के लिये अन्य अधिक विश्वसनीय तरीके उपलब्ध हैं ।

कोयले की लदाई

†*६७०. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में इंजनों में कोयला लादने और उतारने का काम ठेकेदारों को दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार जानती है कि ठेकेदार मजदूरों को बहुत कम मजूरी देते हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोयला उतारने का सारा काम ठेके के मजदूर करते हैं। कोयला लादने का यह काम दिल्ली और फीरोजपुर डिविजन शेडों में विभागीय मजदूर करते हैं और अन्य सभी शेडों में ठेके के मजदूर।

(ख) ठेके के मजदूर विभागीय मजदूरों की तुलना में ज्यादा किफायत पड़ते हैं और शेडों में रोजाना माल डिब्बों को भेजने में अनियमिता तथा कमी-बेशी पूरी करने के लिये यह प्रणाली अनुकूल है ।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न भेजना

†*६७१. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को वर्तमान कठिनाइयों में मदद करने के लिये अभी तक केन्द्रीय भंडार में से उसे कितना खाद्यान्न दिया जा चुका है;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना खाद्यान्न मांगा था; और

(ग) क्या भेजे गये चावल के बारे में कोई शिकायत आयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख): पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक निम्न परिमाण में चावल/धान भेजा जा चुका है :

चावल	२२,२६१ टन
धान	१९,९०० टन

५,५०० टन चावल और भेजने के मामले पर विचार हो रहा है। इन परिमाणों में पश्चिम बंगाल की मांग प्रायः पूरी हो जाती है।

(ग) पश्चिम बंगाल को सेला चावल अधिक पसन्द है किन्तु वह चावल कम होने की वजह से हमने अभी कच्चा चावल भेजा है।

पीने का पानी

*६७२. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी रेलवे में खंडवा से अजमेर तक स्टेशनों पर गर्मियों में रेफरीज्रेटरों में ठंडा किया गया पानी गाड़ियों के स्टेशनों पर आते समय नहीं मिलता; और

(ख) सरकार ने इसके लिये क्या उपाय सोचा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

गंगौटी में डाकघर

३५२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू में तहसील जीन्द के गंगौटी गांव के निवासियों की ओर से सरकार को इस आशय का कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि गंगौटी गांव में एक डाक घर खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाई की गयी है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां, गांव का सही नाम गंगोली है।

(ख) चूंकि वह जींद क्षेत्र के मोरखी डाक घर से तीन मील की दूरी के अन्दर है, इसलिये वहां डाक घर सामान्यतया नहीं खोला जा सकता जब तक कि वह आत्म निर्भर न हो अथवा प्रत्याशित वार्षिक घाटा गांव वाले पूरा न करें।

---

† मूल अंग्रेजी में।

फतेहनगर में ऊपर का पुल

३५३. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फतेहनगर रेलवे स्टेशन के मंडी के ठीक सामने होने के कारण पैसेंजर तथा मालगाड़ियों के समय मुसाफिरों के कट जाने का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां ऊपर का पुल बनवायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) : फतेहनगर स्टेशन पर दो लाइनें हैं और मालगोदाम के लिए एक लूप लाइन है। स्टेशन की इमारत के सामने मंडी नाम का एक छोटा सा गांव है। मंडी से आने जाने वाले यात्रियों को सम्मुख कांटों (फेंसिंग पाइंटस) के पास बने हुए समतल-पार से होकर लाइन पार करनी चाहिये। किसी दूसरी जगह से लाइन पार करना मना है। यहां ऊपरी पुल बनाने का न कोई विचार है, और न यात्री सुविधा समिति ने इस तरह की कोई सिफारिश की है।

रेलवे के माल डिब्बे

†**३५४. श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में मरम्मती माल डिब्बों, बेकार लाइनों पर पड़े डिब्बों तथा विभागीय उपयोग के लिये रखे गये डिब्बों को छोड़कर, सार्वजनिक उपयोग के लिये औसतन प्रतिदिन क्रमशः कितने छोटी लाइन के तथा बड़ी लाइन के माल डिब्बे चलते रहे ;

(ख) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ म प्रतिदिन औसतन कितने माल डिब्बे बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन के क्रमशः मरम्मत के लिये पड़े रहे;

(ग) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में प्रतिदिन औसतन बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन के क्रमशः कितने माल डिब्बे बेकार लाइनों पर पड़े रहे; और

(घ) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में प्रतिदिन औसतन छोटी लाइन तथा बड़ी लाइन के क्रमशः कितने माल डिब्बे विभागीय उपयोग के लिये काम में लाये गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग): वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३ १९५३-५४, १९५४-५५ की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६)**। वर्ष १९५५-५६ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) विभागीय उपयोग के लिये काम में लाये जाने वाले माल डिब्बों की औसतन संख्या उपलब्ध नहीं है।

रेलवे के माल डिब्बे

†**३५५. श्री फीरोज गांधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में अलग अलग बड़ी लाइन और छोटी लाइन के प्रतिदिन औसतन कितने माल डिब्बों में सार्वजनिक उपयोग का माल लादा गया ;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में अलग-अलग बड़ी लाइन और छोटी लाइन के प्रतिदिन औसतन कितने माल डिब्बों में विभागीय उपयोग के लिये माल जिसमें रेलवे का कोयला भी शामिल है, लादा गया; और

(ग) वर्ष १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५, और १९५५-५६ में अलग-अलग बड़ी लाइन और छोटी लाइन के प्रतिदिन औसतन कितने कोयला डिब्बों में रेलवे के उपयोग के लिये माल लादा जाता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७)**

रसायनिक उर्वरक

†३५६. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २१ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऋण के तौर पर दिये जाने वाले रसायनिक उर्वरक पर एक साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : जी, नहीं। वह कर्ज १८ महीने की अवधि में चुकाना होता है किन्तु अधिक से अधिक १५ महीने की अवधि के लिये अथवा जितनी अवधि के लिये वह कर्ज रखा जाये, दोनों में से जो भी कम हो, ब्याज लिया जाता है।

पंजाब में सड़कें बनाना

†३५७ { **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी सड़कें बनाने के लिये १९५१ से १९५६ तक पंजाब राज्य को कुल कितना ऋण और सहायता दी गयी है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप पंजाब सरकार ने कुल कितने मील नयी सड़कें बनाने के लिये योजनाएं बनायी हैं; और

(ग) क्या दी गयी सारी धनराशि काम में लायी जा चुकी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नयी सड़कें और पुल बनाने तथा मौजूदा सड़कों में सुधार करने के लिये ३४६.७७ लाख रुपये दिये गये हैं।

(ख) १००४ मील नयी सड़कें।

(ग) हां।

गाड़ियों का देर से चलना

३५८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की, विशेष रूप से ३२१, ३२२, ३११, ३१४ नम्बर की और जनता गाड़ियों के देर से चलने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उस रेलवे की अधिकांश गाड़ियों को जंक्शन स्टेशनों पर ही देर होती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मई और जून १९५६ में पूर्वोत्तर रेलवे की सवारी गाड़ियां ठीक समय पर न चल सकीं। गाड़ियों के लेट चलने के कारण इस प्रकार हैं:—

(१) बारात और मेला-यातायात के कारण खतरे की जंजीर का अधिक खींचा जाना;

(२) भारी वर्षा और बाढ़;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(३) परिचालन सम्बन्धी कारण जैसे दुर्घटनायें, इंजीनियरिंग की पाबन्दियां, इंजन के लिए पानी की कमी आदि ।

(ख) ऊपर बताये गये कारणों से मई और जून १९५६ में गाड़ियां आम तौर पर ठीक समय पर न चल सकीं और इसी वजह से वे जंकशन स्टेशनों पर देर से पहुंचीं । गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए खास तौर पर कार्यवाई की गयी है ।

छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग की फर्में

†३५९ **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे ने किन-किन छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों की फर्मों को आर्डर देने के लिये पंजीकृत किया है; और

(ख) पिछले तीन साल में प्रत्येक फर्म को और कितने मूल्य के आर्डर दिये गयें हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख):एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या १८)**

दिल्ली परिवहन सेवा

†३६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में दिल्ली परिवहन सेवा के लिये अब तक खरीदी गई बसों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५६-५७ में दिल्ली परिवहन सेवा के लिये अब तक कोई बसें खरीदी नहीं गई हैं किंतु १३४ बसों के लिये आर्डर दिया जा चुका है और आशा की जाती ह फरवरी १९५७ के बाद प्रति मास लगभग १५ बसों के हिसाब से प्राप्त होंगी ।

खली

†३६१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मवेशियों के खाद्य और खाद की आवश्यकताओं से अधिक खली का स्टाक मौजूद है;

(ख) यदि नहीं, तो इस वस्तु का निर्यात करने के सम्बन्ध में नीति क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख): देश में खली अथवा चारे का अभाव है या अधिक्य यह प्रश्न उत्पादन, बाजार में उपलब्ध सम्भरण और समय समय पर की जाने वाली मांग इन बातों पर निर्भर करता है । लगभग १० वर्षों के बाद फरवरी १९५५ में खली के निर्यात को अनुमति दी गयी जिसका मुख्य उद्देश्य देश में खली के मूल्य को बढ़ने से किसी हद तक रोकना था । १९५०-५१ में ५ प्रधान खलियों का उत्पादन १९.९ लाख टन से बढ़कर १९५३-५४ में २१ लाख टन और १९५४-५५ में २५.८ लाख टन हुआ । बिनौले का, जो कि मवेशियों को खिलाई जाने वाली वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण वस्तु है, उत्पादन १९५०-५१ में १०.६ लाख टन था और १९५३-५४ में बढ़कर १३.८८ लाख टन और १९५४-५५ में १४.७ लाख टन हो गया । १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में खलियों का जो वास्तव में निर्यात हुआ वह केवल १.६ लाख टन अथवा देश के खली और बिनौला के उत्पादन का लगभग ४ प्रतिशत था । निर्यात की

† मूल अंग्रेजी में ।

इस छोटी मात्रा के कारण देश में खाद देने और मवेशियों को खिलाने के प्रयोजनों के लिये उपलब्ध खली और बिनौले की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई और न उनके मूल्यों पर कोई विपरीत असर पड़ा। इतने कम परिमाण में निर्यात होने के बाद भी १९५४-५५ में इन वस्तुओं की जो उपलब्धि थी वह पहले के वर्षों से कहीं अधिक थी। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों के बढ़े उत्पादन के कारण धान, चूरी जैसी वस्तुओं के सम्भरण में भी वृद्धि हुई जिन्हें कि मवेशियों को खिलाने के काम में लाया जाता है।

१९५५-५६ में मूंगफली तथा अन्य तिलहनों के उत्पादन में कमी होने के कारण खलियों और मवेशियों को खिलाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्य सितम्बर, १९५५ से बढ़ने लगे थे। मूल्य वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये इस वर्ष के प्रारम्भ से एक सीमित निर्यात नीति अपनाई गई है। उसी प्रकार मूंगफली की खली और करडी की खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और अन्य खलियों के निर्यात पर काफी रोक लगा दी गयी है।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†३६२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दक्षिण रेलवे खंड के जिन स्टेशनों पर बिजली लगाने की प्रस्थापना है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक उक्त खंड के जिन स्टेशनों पर बिजली नहीं लगाई जायेगी उनकी संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) स्टेशनों के नाम बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रक्खा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९)**

(ख) ७४० स्टेशन।

कामदिलाऊ दफ्तर

†३६३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में कामदिलाऊ दफ्तरों में कितने आवेदकों ने नौकरी खोजने के लिये अपने नाम पंजीकृत कराये ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को सेवायुक्त किया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख): जानकारी नीचे दी गयी है:—

राज्य	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या (जन० से जून, १९५६ तक)	सेवायुक्त व्यक्तियों की संख्या (जन० से जून १९५६) तक)
पंजाब	६८,०३९	९,८८५
हिमाचल प्रदेश	२,६०१	७,३५७

† मूल अंग्रेजी में।

पंजाब और पेप्सू में लोक स्वास्थ्य

†३६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिये पंजाब और पेप्सू को कुल कितनी वित्तीय सहायता देने की प्रस्थापना है; और

(ख) उन योजनाओं के नाम तथा संख्या क्या हैं जिन पर कि राशि व्यय की जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख): जिन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता दी जानी है उन्हें अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है।

टेलीफोनों को स्वयंचालित बनाने की योजना

†३६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री ६ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता में स्वयंचालित योजना कब से पूरी कर ली गयी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री० के० दे० मालवीय)** : कलकत्ता स्वयंचालित योजना उसके लिये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। १०-३-१९५६ को रस्सा में ८वां स्वयंचलित एक्सचेंज खोला गया जिसमें ४ हजार टेलीफोन के लिये उपकरण हैं।

दिसम्बर, १९५६ तक तीन और एक्सचेंज खोले जायेंगे। अंतिम ४ एक्सचेंज दिसम्बर, १९५७ तक खोले जायेंगे।

यात्रियों को असुविधा

३६६. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजन-ड्राइवर कभी कभी गाड़ियों को रेलवे प्लेटफार्म शेड के बाहर ले जाकर इंजनों में पानी डालने वाले नल के खंभों के पास रोकते हैं जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि वे शेडों का फायदा नहीं उठा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उत्तर रेलवे के टूंडला स्टेशन पर और दक्षिण रेलवे के एलोर और हसन स्टेशनों पर ड्राइवर गाड़ियों को प्लेटफार्म से आगे बढ़ा ले जाते हैं। इसे ठीक करने के लिये आवश्यक कार्यवाई कर दी गयी है।

(ख) इस तरह की हिदायतें पहले भी दी जा चुकी हैं कि जहां तक हो सके सवारी गाड़ियां स्टेशन प्लेटफार्म से बाहर न खड़ी की जायं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। इन हिदायतों की ओर कर्मचारियों का ध्यान फिर दिलाया गया है। लेकिन जब कभी गाड़ियों में भीड़ कम करने के लिए उनमें अधिक डिब्बे जोड़ने पड़ते हैं और इस तरह वे प्लेटफार्म से लम्बी हो जाती है, तो ऐसी हालत में गाड़ी का कुछ हिस्सा प्लेटफार्म से बाहर जरूर निकल जायेगा।

अन्दमान में पक्की सड़कें

†३६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अन्दमान म्युनिसिपैलिटी ने जिन सड़कों को पक्की सड़कें बनाया उनकी संख्या कितनी है;

(ख) अभी कितनी सड़कें पक्की की जानी हैं; और

(ग) उक्त सड़कें किस समय तक पक्की किये जाने की आशा की जाती है ?

---

† मूल अंग्रजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग): अन्दमान में कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है। सम्भवता माननीय सदस्य पोर्ट ब्लेअर में और उसके आसपास जो सड़कें हैं उनका निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो जानकारी इस प्रकार है। १९५५-५६ में पक्की की गई सड़कें—३।। मील।

१९५६—५७ में पक्की की जाने वाली सड़कें—७ मील।

पाण्डु रेलवे स्टेशन

†३६८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाण्डु रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिये कोई प्रतीक्षालय नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि प्रतीक्षालय न होने के कारण पाण्डु रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कितनी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग): पाण्डु रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षालय है जो कि भवन के ऊपर स्थित है और बुकिंग आफिस के पास तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये एक शैड है।

पाण्डु स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं सम्बन्धी कार्य के लिये जिनमें प्रथम मंजिल पर उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और उपहारगृह तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षा कक्ष जिसमें महिला यात्रियों के लिये अलग स्थान होगा और जिसमें निचली मंजिल पर मरदाना और जनाना स्नानगृह और शौचगृह आदि का उपबन्ध है, १,८५,१५३ रुपयों के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गयी है।

डीजल इंजनों का प्रयोग

†३६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में चालू की जाने वाली डीजल रेल गाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसी गाड़ियों का कुल मूल्य कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) समूची योजना की आवश्यकताओं का अनुमान अभी लगाया नहीं गया है। किन्तु दक्षिण और उत्तर रेलवे में शीघ्र ही एक-एक १२ बी० जी० डीजल रेल गाड़ी एक प्रयोग के तौर पर चलाने की प्रस्थापना है। १९५७-५८ के आय-व्यय में १२ बी० जी० और १२ एम० जी० डीजल रेल गाड़ियों के लिये उपबन्ध भी किया जा रहा है।

(ख) इटली से भारत आने वाली प्रत्येक एम० जी० रेलगाड़ी का मूल्य रेल भाड़े समेत ३ लाख ९२ हजार रुपया है। इटली से आने वाली प्रत्येक बी० जी० रेल गाड़ी का मूल्य, मूल्य परिवर्तन के साथ, रेल भाड़े समेत लगभग ४,५२,३०२ रुपये है।

खमीर

†३७०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जिस खमीर का आयात किया गया था और जिसे राज्यों को वितरित किया गया था उसके सम्बन्ध में उपयोग परीक्षणों के परिणाम क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : १९५५ में आयात किये गये खमीर के सम्बन्ध में मद्रास, पश्चिम बंगाल और बिहार इन राज्यों में बड़े पैमाने पर जो उपयोग परीक्षण किये गये थे उनसे यह पता चलता है कि यदि प्रत्येक दिन भोजन में प्रति व्यक्ति पीछे $\frac{1}{2}$ से लेकर $\frac{1}{8}$ औंस तक खमीर का प्रयोग किया जाये तो खमीर स्वादिष्ट हो सकता है और उसे कतिपय लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। जिन लोगों ने भोजन में खमीर का प्रयोग किया उनके स्वास्थ्य में निश्चित सुधार हुआ।

उत्तर प्रदेश में यह परीक्षण अब भी जारी है।

नीबू का परिवहन

†३७१. { **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या "नीबू निर्यातक सहकारी समिति, गुनटूर" द्वारा नीबुओं का सब्जी से पुनर्वर्गीकरण और वैगनों में उन्हें अधिक जगह दिये जाने और नीबुओं के अधिक तेजी से परिवहन के लिये जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे उन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को आन्ध्र से कलकत्ता भेजे जाने वाले अण्डों के अपर्याप्त और विलम्बित परिवहन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नीबू निर्यातक सहकारी समिति, गुनटूर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अप्रैल १९५६ में इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि निद्दावोलू–नरसापुर ब्रान्च के स्टेशनों से भेजी गयी अण्डों की टोकरियों को राजामुन्दरी में पड़ा रहने दिया गया।

(ग) राजामुन्दरी के स्टेशन मास्टर को इस आशय के आदेश दिये गये हैं कि नं० ४६ बैजवाड़ा–हावड़ा जनता ऐक्सप्रेस और नं० ४४ मद्रास–हावड़ा मेल से अन्य स्थानों के लिये भेजी जाने वाली सभी वस्तुओं में सर्वाधिक वरीयता अण्डों की टोकरियों को दी जाये।

पिरतोला में स्टेशन

†**३७२. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्व रेलवे के सियालदह विभाग की रानाघाट ब्रांच पर पिरतोला में एक स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में दिये गये अभ्यावेदनों की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं की समग्र जांच होने तक क्या पिरतोला में एक फ्लैग स्टेशन की स्थापना के सुझाव पर माननीय मंत्री सहमत होंगे; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी ह कि यदि वहां फ्लैग स्टेशन बनाने का निर्णय किया जाता है तो उस उक्त क्षेत्र के लोग श्रमदान करने के लिये तैयार हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मार्च १९५५ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) पिरतोला में एक स्टेशन बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच गत वर्ष की गयी और यह पाया गया कि उससे रेलवे को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। इस प्रस्ताव की जांच फिर से की जा रही है और उसके वित्तीय उपलक्षणाओं का मूल्यांकन करते समय स्थानीय निवासियों द्वारा किये गये श्रमदान के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में।

मैनपुरी स्टेशन

३७३. श्री बादशाह गुप्त : क्या **रेलवे** मंत्री १५ मई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मैनपुरी स्टेशन पर बिजली लगाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जर्मन नलकूप संगठन अपने डायनमो से रेलवे स्टेशन को आवश्यक बिजली देने के लिये तैयार है; और

(ग) क्या इस संगठन के प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन के विश्रामालयों आदि के लिये अपने नलकूपों से आवश्यक पानी देने के लिये भी तैयार हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मैनपुरी रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में बिजली की जो जरूरत होगी उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। मैनपुरी में जो बिजली घर (जनेरेटिंग स्टेशन) बन रहा है उसके इस साल पूरा हो जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे को बिजली देने की मंजूरी देगी। अनुमान है यह काम रेलों के १९५७–५८ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा।

(ख) तथा (ग) : इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

धर्मनगर-कालकालीघाट मार्ग

†**३७४. श्री दशरथ देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में त्रिपुरा के धर्मनगर नामक स्थान को आसाम के कालकालीघाट रेलवे स्टेशन से जोड़ने के बारे में सरकार को त्रिपुरा के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसे ही अन्य रेल मार्गों का चुनाव करते समय उस पर विचार किया जायेगा। किन्तु इस बात को देखते हुए कि नये रेल मार्गों के निर्माण के लिये उपलब्ध निधि में काफी कटौती कर दी गयी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस रेल मार्ग के निर्माण की सम्भावनाएं बहुत कम हैं।

त्रिपुरा में सड़क

†**३७५. श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कवलघाट बाजार से राजघाट और उत्तला होते हुए मण्डई बाजार तक एक नई सड़क, जिस पर मोटर जैसे वाहन चल सकें, बनाने के बारे में त्रिपुरा के उत्तर-देवेन्द्र नगर के लोगों से क्या कोई अभ्यावेदन या प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कवलघाट से राजघाट और उत्तला होते हुए मण्डई बाजार तक एक ऐसी सड़क बनाने का इरादा रखती है जिस पर मोटर जैसे वाहन चल सकें, और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि नई सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो उक्त बस्ती के निवासी सहयोग देने के लिये तैयार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस बात के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

†३७६. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर गायों तथा भैंसों के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) गायों तथा भैंसों के लिये कितने प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों में काम हो रहा है; और

(ग) इस प्रकार कितनी गायें तथा भैंसें इस योजना के अन्तर्गत आती हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०)**

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय मूल गांव केन्द्रों से है जहां अच्छी नस्ल के सांड से प्राकृतिक सेवा की व्यवस्था की जाती है। ३१-३-५६ तक अखिल भारतीय मूल गांव योजना के अधीन ऐसे ५७४ केन्द्र खोले गये थे।

(ग) मल गांव केन्द्रों में ३,०५,२२६।

खन्डवा--अजमेर लाइन पर डाक गाड़ी

†३७७. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खन्डवा से अजमेर तक के लगभग ५०० मील के लम्बे मार्ग पर कोई डाक गाड़ी या ऐक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस लाइन पर ऐसी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है और कब तक ये चलेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है खन्डवा और अजमेर के बीच ५०० मील की नहीं बल्कि ३९३ मील की दूरी है।

(ख) जी, हां प्रांगण अभिन्यासों तथा संकेतनों में सुधार करने के लिए आजकल जो काम किया जा रहा है, जब वह समाप्त हो जायगा तब ऐसा किया जायगा।

मलेरिया विरोधी स्वास्थ्य सेवा

†३७८. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय त्रिपुरा राज्य में मलेरिया विरोधी स्वास्थ्य सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मलेरिया विरोधी स्वास्थ्य सेवा शाखा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन-श्रेणी क्या है ;

(ग) मच्छर विरोधी शाखा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतन-श्रेणी क्या है; और

(घ) यदि वेतन-श्रेणियों में कोई अन्तर है तो उसके कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जायगा।

त्रिपुरा को ऋण

†३७९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कृषि सम्बन्धी उपकरणों तथा अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिये कृषकों को ऋण देने के सम्बन्ध में क्या त्रिपुरा सरकार को कोई रकम दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम दी गई थी; और

(ग) अब तक कितना ऋण दिया जा चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) दो लाख रुपये ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

आसाम में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†३८०. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में १९५४-५५, १९५५-५६ की अवधि में किन स्थानों पर प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये थे और उनकी संख्या कितनी है और १९५६–५७ में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : आसाम में एक प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है । १९५४-५५ और १९५५-५६ की अवधि में कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया था । १९५६ और १९५७ में जो शिल्पकार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायंगे उनकी संख्या और स्थान का निर्णय राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की सहमति से किया जायगा ।

चतुर्सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण

†३८१. **श्री म० कु० मैत्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों से (खंडेवार) जिन उम्मीदवारों को चतुर्सूत्री कार्यक्रम के अधीन विदेशों में प्रशिक्षण पाने के लिये चुना गया है उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे चुनाव के लिये अहर्ताओं का कोई न्यूनतम प्रमाप निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) उम्मीदवारों का चुनाव किसी बोर्ड द्वारा किया गया था या विभागीय पदाधिकारियों द्वारा; और

(घ) उम्मीदवारों का चुनाव करते समय क्या किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यंत्रणा या सहायता ली गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) चार उम्मीदवार पूर्व, दक्षिणी, मध्य तथा पश्चिमी रेलवे में से प्रत्येक से एक उम्मीदवार चुना गया था ।

(ख) जी, नहीं, उम्मीदवारों के अनुभव विशिष्ट अभिवृत्ति आदि को ध्यान म रख कर अत्यन्त समुपयुक्त पदाधिकारियों को चुना गया था ।

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की गई तालिका में से योजना आयोग द्वारा स्थापित प्रविधिक सहायता प्रवर समिति ने उम्मीदवारों का चुनाव किया था ।

(घ) जी, नहीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिमी बंगाल में जल सम्भरण योजनायें

†३८२. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५६-५७ के लिए जल सम्भरण योजनाओं के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल को कितनी रकम दी गई है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पश्चिमी बंगाल को कितनी रकम देने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के अन्तर्गत कुल राशि में से ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिए कितनी रकम खर्च की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ३८.५० लाख रुपये दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जल सम्भरण तथा स्वच्छता योजनाओं के लिये वार्षिक आधार पर निधियां नियत करने का प्रस्ताव है और इकट्ठा अनुदान नहीं दिया जायगा।

(ग) उपरोक्त (क) के अधीन १३.५० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

---

† मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

(गुरुवार, २ अगस्त, १९५६)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	५६८–९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
६११	कोयला खान श्रम कल्याण निधि . . .	५६९–७०
६१३	ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन . . .	५७०–७१
६१४	सवारी डिब्बों में भारी सामान . . .	५७१–७२
६१५	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी . .	५७२–७३
६१६	रेल गाड़ियों में खतरे की जंजीर . . .	५७३–७४
६१७	इस्पात ढलाई का कारखाना . .	५७४
६१९	अलैग्जेंडर और विक्टोरिया गोदियां बम्बई . .	५७४–७५
६२०	भूमि परिवहन	५७५–७७
६२१	केन्द्रीय टिड्डी-विरोधी संघ . . .	५७७
६२२	पूर्वोत्तर रेलवे का दावा कार्यालय. . .	५७७–७८
६२३	सेतु समुद्रम परियोजना . . .	५७८–७९
६२४	विदेशों में भारत पंजीबद्ध वायुयान . .	५७९–८०
६२६	री-रेलिंग युक्ति	५८०
६२७	फकीर ग्राम–अमीन ग्राम लाइन . . .	५८०–८१
६२८	बुकिंग क्लर्क . . .	५८१–८२
६२९	गैर-सरकारी रेलें	५८२–८३
६३१	भोजन व्यवस्था के ठेके . .	५८३–८४
६३२	तला का पुल.	५८४–८५
६३३	सांची का नया रेलवे स्टेशन . . .	५८५
६३४	रामपुर–हल्दूनी लाइन	५८६
६३७	आगन्तुकों पर चुंगी कर . . .	५८६–८७
६३८	माल बुक करने के स्टेशन आरमीनियन घाट के कर्मचारी	५८७–८८
६४०	नेल्लोर स्टेशन . . .	५८८–८९
६४१	बोंगायगांव वर्कशाप	५८९
६४२	उदयपुर में हवाई अड्डा	५८९–९०
६४४	रत्नगिरि तथा कोंकन तट के बीच विमान सेवा .	५९०

[दैनिक संक्षेपिका]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५९०–६१३
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१०	अखिल भारतीय सहकारी संघ	५९०
६१२	जी० टी० तथा जनता ऐक्सप्रैस	५९१
६१८	राष्ट्रीय गव्यशाला गवेषणा संस्था	५९१
६२५	भेड़ पालन गवेषणा स्टेशन	५९१
६३०	दीमापुर और इम्फाल मोरी रोड	५९२
६३५	रेलवे हैडक्वार्टर	५९२
६३६	भारतीय टेलीफोन उद्योग	५९२
६३९	हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर लाइन	५९२–९३
६४३	जमीन का ट्रैक्टर द्वारा जोता जाना	५९३
६४५	त्रिपुरा में चावल का भाव	५९३–९४
६४६	सफदरजंग हवाई अड्डा	५९४
६४७	बाढ़ के पानी से रेल की लाइन को खतरा	५९४
६४८	नाविक	५९५
६४९	जमुना पुल	५९५
६५०	यूगोस्लाविया से जहाजों का खरीदा जाना	५९५
६५१	वन गवेषणा संस्था	५९६
६५२	दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	५९६
६५३	हिन्दुमल कोट–श्रीगंगानगर रेलवे	५९६
६५४	भारत पोलैण्ड नौवहन करार	५९७
६५५	दानेदार ग्लूकोज	५९७
६५६	रेल टक्कर	५९७
६५७	आंध्र में उड्डयन क्लब	५९७
६५८	नयी रेलवे लाइनें	५९८
६५९	कृषि सूचना वर्कशाप	५९८
६६०	छोटी-मोटी सिंचाई योजनायें	५९८
६६१	पश्चिमी बंगाल में कामदिलाऊ दफ्तर	५९९
६६२	प्लास्टिक के पाइप	५९९
६६३	स्पेशल रेल गाड़ियां	५९९
६६४	डांगोआपोसी स्टेशन	५९९
६६५	उदयपुर–चित्तौड़गढ़ लाइन	६००
६६६	राजकुमारी खेलकूद शिक्षा योजना	६००

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६६७	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	६००–०१
६६८	डाक तथा तार संग्रहालय	६०१
६६९	मक्खन का अपमिश्रण	६०१
६७०	कोयले की लदाई	६०१
६७१	पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न भेजना	६०२
६७२	पीने का पानी	६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या

३५२	गंगौटी में डाकघर	६०२
३५३	फतहपुर में ऊपर का पुल	६०३
३५४	रेलवे के माल डिब्बे	६०३
३५५	रेलवे के माल डिब्बे	६०३–०४
३५६	रसायनिक उर्वरक	६०४
३५७	पंजाब में सड़क बनाना	६०४
३५८	गाड़ियों का देर से चलना	६०४–०५
३५९	छोटे पैमाने और कुटीर उद्योग की फर्में	६०५
३६०	दिल्ली परिवहन सेवा	६०५
३६१	खली	६०५–०६
३६२	स्टेशनों पर बिजली लगाना	६०६
३६३	काम दिलाऊ दफ्तर	६०६
३६४	पंजाब और पैप्सू में लोक-स्वास्थ्य	६०७
३६५	टेलीफोनों को स्वयंचालित बनाने की योजना	६०७
३६६	यात्रियों को असुविधा	६०७
३६७	अन्दमान में पक्की सड़कें	६०७–०८
३६८	पाण्डु रेलवे स्टेशन	६०८
३६९	डीजल इंजनों का प्रयोग	६०८
३७०	खमीर	६०८–०९
३७१	नीबू का परिवहन	६०९
३७२	पिरतौला में स्टेशन	६०९
३७३	मैनपुरी स्टेशन	६१०
३७४	धर्म नगर–कालकालीघाट मार्ग	६१०
३७५	त्रिपुरा में सड़क	६१०
३७६	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	६११
३७७	खन्डवा–अजमेर लाइन पर डाक गाड़ी	६११
३७८	मलेरिया विरोधी स्वास्थ्य सेवा	६११
३७९	त्रिपुरा को ऋण	६१२
३८०	आसाम में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	६१२
३८१	चतुर्सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण	६१२
३८२	पश्चिमी बंगाल में जल संभरण योजनायें	६१३

भा० स० मु० वि० ना०—३—१८२ लोकसभा—२५-६-३६—१९०

खण्ड ५—अंक १४
२ अगस्त, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा

गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

राज्य पुनर्गठन विधेयक—जारी

खंड २ से १५

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ से १५ तक के लिये नियत समय में से ५ घंटे और ८ मिनट बचे है । खंड १६ से ४९ तक और अनुसूचियों के लिये ६ घंटे का समय है । मैं चाहता हूं कि आज का सारा दिन इन पर लगाया जाये और दोपहर के बाद मैं संशोधनों सम्बन्धी प्रश्न प्रस्तुत कर सकूं । परन्तु श्री अ० क० गोपालन, श्री नि० च० चटर्जी और श्री देशपांडे की ओर से तार मिला है कि वे लोकमान्य तिलक के शताब्दी उत्सव के कारण रुक गये हैं अत इन खंडों पर मतदान सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : क्या यह उचित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर मैं और सभा दोनों विचार करेंगे । माननीय मंत्री उत्तर के लिये कितना समय लेना चाहते हैं ?

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मेरा विचार है कि एक घंटा लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो मैं उन्हें ४ अथवा ४-३० पर बोलने के लिये कहूंगा ।

†**श्री गाडगील** (पूना मध्य): मेरा सुझाव है कि आज चर्चा हो और माननीय मंत्री कल उत्तर दें ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : तब भी चर्चा आज समाप्त हो जानी चाहिये जब हमने यह निर्णय कर लिया है कि माननीय गह-कार्य मंत्री कल उत्तर देगे तो चर्चा आज ४ बजे म० प० तक समाप्त हो जानी चाहिये । उसके बाद बाकी खंडों पर विचार आरम्भ हो और मतदान कल हो जाये ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड़ा) : आप चर्चा को ६ बजे तक बढ़ा दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि ६ बजे तक चर्चा हो । हम ५ बजे चर्चा बन्द करेंगे और माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे । ५ बजे के पश्चात हम अन्य खडों पर चर्चा करेंगे और अन्य दलों के नेताओं की इच्छानुसार मतदान फिर करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती मणिबेन पटल** (कैरा-दक्षिण) : अध्यक्ष जी, जब से यह बहस यहां पर हो रही है मुझे एक प्रकार का रंज हो रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि स्टेट्स री आर्गनाइजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से देश में प्रगति का सारा काम रुक पड़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बारे में जितनी शीघ्रता से निर्णय हो जाये, उतना ही देश को फायदा है। अब मैं कुछ खास बातों पर आना चाहती हूं।

पहले मैं कुछ शब्द डांग के बारे में कहना चाहती हूं। जब राज्य पुनर्रचना पंच ने बम्बई के बारे में सोचा, तब उसने गुजरात का अलग राज्य बनाने के बारे में विचार नहीं किया था। लेकिन अब तो हम अलग गुजरात राज्य बना रहे हैं इसलिये हमको यह अच्छी तरह सोचना चाहिये कि वह कितना बड़ा हो, उस में कौन कौन से हिस्से हों, वगैरह। हमारी केवल एक ही मांग है कि आप किसी को डांग भेजे जो कि वहां पर जा कर सारी स्थिति का अध्ययन करे। उस स्थल पर गये बिना किसी को वहां की हालत का ठीक ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जगह ही ऐसी है। अगर आप वहां पर जायें, तो आप देखेंगे कि डांग के दक्षिण में नासिक है और डांग और नासिक के बीच में तीन हजार पांच सौ फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। डांग की तीन दिशाओं में ३००० से पाँच हजार फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। डांग तक पहुचने के लिये केवल वैस्टर्न रेलवे की एक ब्रांच लाईन है, जो कि उसको सूरत और बिलीमोरा से मिलाती है। इसके अतिरिक्त डांग का सम्बन्ध किसी और प्रदेश से नहीं है।

अब मैं आप के सामने सैन्सस (जनगणना) के आंकड़े रखती हूं। १९३१ की सैन्सस में भीली बोलनें वालों की संख्या ३२,३२४, गुजराती बोलने वालों की ७३१ और मराठी बोलने वालों की ६१३ लिखी गई थी। इस के बाद १९४१ में भीली बोलने वालों की संख्या ३६,२६०, गुजराती बोलने वालों की संख्या ७३१ और मराठी बोलने वालों की संख्या ६३० लिखी गई। लेकिन यह कितनी अजीब बात है कि १९५१ की सैन्सस में भीली बोलने वालों की संख्या कुछ भी न रही, गुजराती बोलने वालों की संख्या १८०२ दिखाई गई और मराठी बोलने वालें की संख्या ४५,०१७ दिखायी गई। इन आंकड़ों से आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से सैन्सस के फीगर्ज (आंकड़ों) को बदला गया है आपको इस बारे में पूरी तरह जांच करनी चाहिये और पता लगाना चाहिये कि आखिर सब के सब भीली बोलने वाले कहां चले गये।

अब आप स्कूलों को देखिये। गुजराती स्कूलों की संख्या ४७ है और उनमें लगभग १७०० बच्चे पढ़ते हैं। मराठी स्कूलों की संख्या ५१ है और उन में २२५२ बच्चे पढ़ते हैं। बम्बई राज्य ने डांगकी प्राईमरी एजुकेशन (प्राथमिक शिक्षा) के विषय में एक मंडल बनाया है, जिस के चेयरमैन कलेक्टर है, जो कि एक मद्रासी गृहस्थ हैं वहां का एज्युकेशन इंस्पैक्टर शिक्षा निरीक्षक एक मुसलमान भाई है, जो कि कर्नाटक का है। उन्होंने २५ और गुजराती पाठशालायें खोलने के लिये सरकार को लिखा है।

अब मैं डांग की राजकीय परिस्थिति के विषय में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। १८८० तक वह बड़ौदा राज्य का अंग रहा और उसके बाद वहां के चौदह राजाओं को सरकार ने स्वतंत्र कर दिया और उनको गुजरात स्टेट एजेन्सी के नीचे रखा। इस दर्म्यान कई साल तक उसकी शासन-व्यवस्था बड़ौदा से और बाद में जब हम स्वतंत्र हुए तो डांग का एक डिस्ट्रिक्ट बना कर मध्यस्थ सरकारने बम्बई सरकार के नीचे रखा और डांग की आमदनी के चालीस लाख रुपया भी उस डांग के उत्कर्ष के लिये निर्धारित कर दिये।

आज भी शासन के सब आफिसिज़ गुजरात में हैं। कलेक्टर का हेडक्वार्टर, सेशन्ज़ जज, पुलिस, जेल, ट्रेजरी (कोष) के कार्यालय सूरत में हैं और इनकम टैक्स (आयकर), सेल्ज़टैक्स (बिक्री कर), वेट्स एड मेज़र्ज़ (नाप तोल) के कार्यालय नवासरा में हैं। नैशनल सेविंग का कार्यालय सूरत में है और मेडिकल हेल्थ (चिकित्सा स्वास्थ्य), प्राहिबिशन (मद्यनिषेद), वगैरह के कार्यालय सूरत में हैं और पब्लिक वर्क्स (लोक निर्माण) का कार्यालय नवासरी में है। आज पच्चीस-तीस सरकारी

†मूल अंग्रेजी में।

आफिस गुजरात में हैं—वे बड़ौदा में हैं या सूरत में हैं। इस के अतिरिक्त उन लोगों के सब सामाजिक सम्बन्ध रोटी-बेटी के व्यवहार सोनाठ प्यारा, बासदा जो गुजरात का हिस्सा है उन के साथ है। वह एक जंगल प्रदेश है और वहां पर लकड़ी, घास और बांस वगैरह जो कुछ उत्पन्न होता है, उस का व्यापार विलीमोरा और सूरत के साथ होता है।

कुछ लोग यह दावा करत है कि वह इलाका मराठी भाषा है। श्री मोरार जी भाई और खेर साहिब १९४८ में डांग में गये थे तब कहा था कि वह प्रदेश मराठी भाषी है लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि साथ साथ यह भी कहा था कि वह एक बाईलिगुअल (द्विभाषी) एरिया (क्षेत्र) है और उसमें गुजराती और मराठी दोनों स्कूल खोले जायें।

१९५१ में चुनाव के लिये बख्शी टेक चन्द ने यह निर्णय किया कि डांग को किस कांस्टीच्युएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में रखा जाये। तब यह साफ बात उन्होंनें कही थी कि केवल इलेक्शन (निर्वाचन) के लिये ही उसको डांग में रखने की बात है। उसके बारे में उन्होंने यह कहा था : "किसी राज्य के प्रति पक्षपात के विना" उस समय जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम को आप देखें। उस समय डांग में १८,००० मत दाता थे। उनमें से १४,००० ने उस स्वतंत्र उम्मीदवार को मत दिये जिसने इस इश्यू (प्रश्न) पर इलेक्शन (चुनाव) लड़ा था कि डांग को गुजरात के साथ जाना चाहिये, और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल चार हजार मत ही मिले थे। यह परिणाम बतलाता है कि डांग को गुजरात में जाना चाहिये। हमने शायद यह गलती की कि सारा डांग नहीं मांगा सिर्फ अपनी तरफ का ही मांगा है। हमने तो केवल सही बात कही कि इस तरफ का डांग हमारी तरफ जाना चाहिये। हमारे सही बात कहने का ही यह परिणाम है कि हमारा डांग महाराष्ट्र में मिलाया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां बहस करते करते सूरत तक अपना हाथ फैला दिया था।

अब मैं आबू पर आती हूं। मुझे इस बात का बड़ा दर्द है कि आबू के बारे में कोई सोचने के लिये भी तैयार नहीं है। इसमें भी हमने सही मांग की और गैरवाजिबी मांग नहीं की इसीलिये यह परिणाम हो रहा है। सिरोही एक बार्डर राज्य है। अगर कोई पैदल जाकर देखे तो उसको मालूम होगा कि आबू को कहां रखा जाना चाहिये और वह प्रदेश किसके हिस्से में आता है। सन् १९४८ तक सिरोही प्रजामंडल का सारा व्यवहार गुजराती में चलता था। सिरोही प्रजामंडल ने हमारे वर्तमान राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया था वह मैं आप को पढ़कर सुनाती हूं। वह इस प्रकार है कि परिषद को ज्ञात है कि सिरोही के बम्बई या राजस्थान में संविलय के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न मत हैं। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था प्रशासनिक तथा भाषा सम्बन्धी सम्बन्धों के आधार पर इस सीमा के राज्य के लिये यह निश्चय करना कठिन था कि किस के साथ सविलय में लाभ होगा। अतः अखिल भारतीय राज्य जन की राजपूताना शाखा से कहा गया कि वे सरदार पटेल से परामर्श लें।

यह प्रस्ताव ले कर वे लोग आये। उसके ऊपर काफी सोचा गया। एक स्पेशल आफिसर वहां भेजा गया। उसने वहां काफी घूम कर एक रिपोर्ट दी। उस पर विचार करने के बाद और कैबिनेट में भी उस पर विचार होनें के बाद इस प्रश्न को कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के सामने रखा गया और उसने तय किया कि इस प्रदेश को बम्बई में मिलाया जाये। उस समय कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संविधान सभा) की बैठक में श्री जैनारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट भी हाजिर थे। पर उन्होंने इसका कोई बिरोध नहीं किया।

आखिर में मेरा इतनाही कहना है कि हम यह राज्य पुनर्गठन करने की बात इसलिये सोच रहे हैं कि लोगों को किस तरह से ज्यादा आराम मिले और सुविधा हो और किस तरह से हमारे देश की जल्दी से जल्दी तरक्की हो। मैं कहती हूं कि डांग का हिस्सा और आबू का हिस्सा गुजरात में जाना चाहिये तभी वहां के लोगों की भलाई होगी। अगर आप का मेरे मंतव्य पर विश्वास न हो तो मैं नहीं कहती कि आप उसे अवश्य स्वीकार कर लें। मैं तो इतना ही कहती हूं कि आप एक अफसर भजें जो कि पैदल यात्रा करे और तब अपना निर्णय दे कि कौन हिस्सा कहां जाना चाहिये।

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

अब मैं बम्बई पर आती हूं। मुझे इस बात का बड़ा दु:ख है कि बम्बई के बारे में कहा जाता है कि यह तो महाराष्ट्र का ही है और चूंकि बम्बई में रहने वालों के दिल में घाव लगा है, जब वह भर जायेगा तब बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने की बात की जायेगी। पिछले सेशन में भी जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तो मैंने बताया था कि जब तक पहाड़ों में से होकर रास्ता नहीं बनाया गया था उस समय तक महाराष्ट्र का बम्बई से कोई सम्बन्ध नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि जब जे० बी० पी० रिपोर्ट लिखी गयी थी उस समय में और अब में बम्बई की हालत में क्या फरक आ गया ह। कहा जाता है कि शान्ति रखो, धीरज रखो, बम्बई की हालत ठीक हो जाने दो, लोगों को स्वस्थ होने दो, तब उस पर विचार किया जायेगा। अगर वह महाराष्ट्र का हिस्सा है तो उसको दिया जा सकता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझना चाहती हूं कि बम्बई में महाराष्ट्रियों के अलावा जो और लोग रह रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा कि वे क्या चाहते हैं। यह कहना कि सभी महाराष्ट्र वाले इसी ख्याल के हैं कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाना चाहिये, मैं इसको मानने के लिये तैयार नही हूं। मैं आपको एक दो किस्से कहना चाहती हूं। क्यों लोग साफ बात नहीं करते। आबू के पास के वांसवाड़ा और डंगरपुर गुजरात में आना चाहते हैं। परन्तु कह नहीं सकते यह रिपोर्ट प्रकट होने के बाद आबू के आफिसर्स को कहा गया कि अब तुमको देखा जायेगा। जब लोग यह हालत देखते हैं तो अपनी सही बात नहीं कहते हैं। हमारे देश में लोग इतने हिम्मत वाले नहीं हैं कि ऐसी हालत में भी सही बात कर सकें। इसी तरह से इस रिपोर्ट के बाद बम्बई में कुछ लोगों से कहा गया कि तुम्हारे इंटरेस्ट (हित)तुम्हारा रोजगार महाराष्ट्र में है। हमको रुपये दो नहीं तो तुमको देखा जायेगा यह बात मामूली आदमियों ने नहीं कही बल्कि जिम्मेदार आदमियों ने इस तरह की बात कही और रुपये लिये। इस हालत में कोई कैसे विश्वास कर ले कि कुछ नहीं होगा। लोग गारंटी देने की बात कहते है लेकिन यह सब कहने से क्या होता है। हमारा जो आज का अनुभव है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिये मैं कहती हूं कि जब जे० बी० पी० रिपोर्ट लिखी गयी थी उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है और आगे भी क्या पड़ने वाला है ? मैं समझती हूं कि अगर इस तरह से सरकार धमकाने वालों से दब कर काम करेगी तो बहुत गलत बात होगी और वह ला एंड आर्डर (विधि तथा व्यवस्था)की पोजीशन को नहीं संभाल सकेगी। पहले आप ने इसी तरह से दब कर आन्ध्र दिया, अब महाराष्ट्र को देना चाहते हैं, पीछे पंजाब को इसी तरह से देना होगा और बिहार और बंगाल का प्रश्न भी इसी तरह से सामने आवेगा। इस तरह से देश का एकीकरण नहीं होगा बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। इसलिये मैं कहती हूं कि डांग और आबू को गुजरात में मिलाया जाये और बम्बई को जो अलग रखने की योजना है उसी के अनुसार काम किया जाये।

†**श्री चि० चां० शाह** (गोहिलवाड-सोरठ) : मैं अपने भाषण को खण्ड विधेयक के संख्या ८, तथा १० तक ही सीमित रखूंगा। मैं संशोधन संख्या २,४४४ तथा ४४५ का समर्थन करता हूं और संख्या ४४२ तथा ४४३ का विरोध करता हूं। ये संशोधन सीमान्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं।

महाराष्ट्र तथा गुजरात की सीमांओं पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने उस समय विचार नहीं किया था क्योंकि उसने द्विभाषी राज्य की सिफ़ारिश की थी। इसीलिये उसके सम्बन्ध में विचार करने का अवसर आज है।

मैं डा० जय सूर्या और पंडित भार्गव के इस कथन से सहमत हूं कि इस प्रकार के सीमाओं सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये न तो इस सभा के पास समय है और न ही संगत तथ्य है। अतएव इन प्रश्नों से सीमा आयोग की स्थापना अथवा सम्बन्धित पक्षों के परस्पर समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है।

जहां तक उमर गांव का सम्बन्ध है, महाराष्ट्रीय मित्र भी यह स्वीकार करते हैं कि उसका सम्बन्ध गुजरात से है। मैं चाहता हूं कि इस झगड़े का भी जल्दी से निपटारा किया जाये।

श्री गाडगील : सारा तालुक नहीं कुछ के गांव गुजरात म जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री चि० चां० शाह : बम्बई के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन आये हैं जिनमें से एक यह है कि बम्बई को एक बड़ा द्विभाषी राज्य बना दिया जाये। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में से इस सुझाव पर शान्ति पूर्वक विचार करने का कोई अवसर नहीं है। एक अन्य संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि बम्बई को एक तटीय राज्य बना दिया जाये। मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्रीयों के इस सम्बन्ध में क्या विचार हैं। ये सभी ऐसी बातें हैं जिन पर शान्ति पूर्वक सोच विचार करनें की आवश्यकता है। सोच विचार तथा बातचीत करने का द्वार सदा खुला रहे, इसलिये मैं इस बात का विरोध करता हूं कि किसी विशेष अवधि के बाद बम्बई को स्वयमेव महाराष्ट्र से मिला दिया जाये।

बम्बई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, अतः मैं उसके सम्बन्ध मे कोई लम्बी चौड़ी बाते न कहते हुए, अपने भाषण को केवल खण्ड संख्या ८ तक ही सीमित रखूंगा। मैं श्री देशमुख के इस कथन का विरोध करता हूं कि गुजराती नेताओं ने अपनी इच्छानुसार दोनो चीज महागुजरात तथा एक नये बन्दरगाह पाली है। हमन तो महागुजरात की मांग कभी की ही नहीं है। गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग को यह ज्ञापन भेजा था कि गुजरात को एक अलग राज्य के रूप में स्वीकार किया जाये और बम्बई को एक अलग राज्य के रूप में। हमारी वही मांग थी। हमने कभी महागुजरात की मांग की ही नहीं।

उन्होंने फिर दूसरा यह आरोप लगाया है कि गुजरातियों ने एक नयी बन्दरगाह की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया है। हमने ऐसा कभी नहीं किया है। वास्तव में बात यह है कि देश विभाजन के बाद जब रांची शहर पाकिस्तान में चला गया तो पश्चिमी घाट पर एक और बन्दरगाह की आवश्यकता अनुभव की गई, क्यों कि बम्बई की बन्दरगाह अकेली पर्याप्त नहीं है।

बम्बई का एक अलग राज्य बनाने की मांग हम इसलिये कर रहे हैं क्योंकि बम्बई पर केवल महाराष्ट्रीयों का ही अधिकार नहीं है वहां पर ५ लाख गुजराती भी रहते हैं और उनके जीवन निर्वाह का वही आधार है।

मैं श्री देशमुख के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि गुजरातियों ने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लिया है। हमारे बहुत से सीमान्त क्षेत्र हमसे छीन लिये गये हैं और हमे बहुत छोटा सा राज्य दिया गया है। गुजरात का रूप क्या है ? एक छोटासा राज्य जिसकी जनसंख्या केवल १,६०,००,००० है, जबकि उनकी तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंन्ध्र तथा महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े राज्य हैं। मैं पूछता हूं कि आपके मन में गुजरात के प्रति इतनी ईर्ष्या क्यों है ? गुजरात ने तो गांधीजी और सरदार पटेल को जन्म दिया है जिन पर भारत को सदा गर्व रहेगा।

हम बम्बई को महाराष्ट्र में मिला देने का विरोध इसलिये कर रहे हैं कि बम्बई एक संयुक्त राज्य की राजधानी रही है और गुजरातियों का बम्बई से पिछले २०० वर्ष का सम्बन्ध है। इसीलिये हमारी यह मांग है कि बम्बई राज्यको सामान्य रूप से सभी के हित के लिये रखा जाये। उस पर केवल महाराष्ट्रीयों का ही अधिकार मान लेना महा अन्याय है, महान अत्याचार है। इसलिये जब बम्बई को एक अलग केन्द्रीय प्रशासित राज्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, हमें सन्तोष है कि वह नगर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिये एकसम है। उस पर किसी एक ही राज्यका अधिकार नहीं होगा। परन्तु इस बारे में श्री देशमुख को न जाने क्यों यह आशंका है कि यदि बम्बई को केन्द्रीय प्रशासित राज्य बना दिया गया तो उससे बम्बई रहने वाले महाराष्ट्रीयों को बम्बई छोड़कर महाराष्ट्र में आ जाना पड़ेगा।

हमारे प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री जी ने महाराष्ट्रीयों को हर प्रकार का आश्वासन भी दे दिया है। प्रतीत होता है कि महाराष्ट्रीयों को केन्द्रीय सरकार में भी विश्वास नहीं। तो मैं यह पूछता हूं कि यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार पर भी विश्वास नहीं तो बम्बई के गैर महाराष्ट्री लोग उन में कैसे विश्वास रखेगें ? मैं पूछता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार में विश्वास क्यों नहीं रखते, आप प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री में विश्वास क्यों नहीं रखते? यदि बम्बई नगर महाराष्ट्र को दे दिया गया तो उससे सारे भारत के लिये पुनर्वास सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। बम्बई में ५ लाख उत्तर प्रदेश के

[श्री चि० चां० शाह]

लोग, ५ लाख गुजराती, ३ लाख दक्षिणी भारत के लोग बसते हैं। वे सभी विस्थापित हो जायेंगे, उनका आप क्या करेंगे ? इस प्रकार से तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर आशंका कर सकता है। हमें हर प्रकार की आशंकाओं को छोड़ देना चाहिये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि बम्बई में बहुत से गैर महाराष्ट्रीयों ने आशंका प्रकट की है और यह मांग की है कि बम्बई को एक अलग राज्य के रूप में रखा जाये। दार आयोग ने भी यही रिपोर्ट दी है कि गैर महाराष्ट्रीय यह नहीं चाहते कि बम्बई को किसी एक विशेष भाषा भाषी राज्य में मिलाया जाये। उत्तर भारतीय संघ ने जो उस शहर के साढ़े ६ लाख उत्तर भारतीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है यही प्रस्ताव पास किया है कि बम्बई को किसी एक भाषा भाषी राज्य में न मिलाया जाये। बम्बई के दक्षिण भारत संघ ने भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित किया है। बम्बई में एक कन्नड़ संगठन है और इन सभी संगठनों ने प्रस्ताव पारित किये हैं। सभी अल्प संख्यक जातियों को आशंकायें हैं और उन्होंने स्वयं उन्हें व्यक्त किया है।

श्री देशमुख ने गैर सरकारी अ-महाराष्ट्रीय नियोजकों के बारे में आशंका व्यक्त की थी किन्तु उनका तात्पर्य क्या है, यह मैं समझ नहीं सका हूं। बम्बई में रहने वाले सभी अ-महाराष्ट्रीय लोगों कि यह आशंका है कि यदि बम्बई एक भाषी राज्य का एक अंग बन जाता है तो सत्तारूढ़ बहुमत वाला दल केवल अपने गुट के लाभ के लिये प्रयत्नरत रहेगा। यद्यपि अधिकृत तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है तथापि सत्तारूढ़ दल के पास इसके लिये कई तरीके होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है क्यों कि एक भाषी राज्य का निर्माण उस भाषा बोलने वाले गुट की राजनैतिक और आर्थिक प्रगति के लिये ही होता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री देशमुख ने कई अफवाहें फैला रखी हैं और मेरा निवेदन है कि अफवाह फैलाना हमें शोभा नहीं देता है। कल ही किसी अखबार में यह प्रकाशित हुआ था कि प्रत्येक महाराष्ट्रीय को महाराष्ट्र दुकानदार से ही माल खरीदना चाहिये। महाराष्ट्र के समर्थकों का कथन है कि आप जो जो परित्राण चाहते हैं उनको ले लीजिये। मैं श्री फ्रैंक एन्थनी का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने परित्रांणों के बारे में कहा है। आयोग ने कहा है कि यदि कोई प्रभावशाली गुट अल्पसंख्याकों से वैर भाव रखता है तो अल्प-संख्यकों का भविष्य निश्चय ही दुखद होगा। इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिभूतियों का अपना महत्व होता है किन्तु वह बहुत ही सीमित हुआ करता है।

हमने यह कहा है कि हम इस प्रश्न को सद्भाव के साथ हल करना चाहते हैं। मैं इस सभा से और विशेषकर श्री देशमुख और श्री गाडगील से यह पूछता हूं कि क्या यही सद्भावना है ? उन्होंने गुजरात और गुजरातियों पर अनेक आरोप लगाये हैं और यही नहीं किन्तु बम्बई के मुख्य मंत्री पर भी आरोप लगाये हैं, जो कि निराधार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री चि० चां० शाह पीठासीन व्यक्ति को सम्बोधन करें। मैंने यह कह दिया था कि विधि के पालन तथा शांत स्थिति और अन्य सम्बन्धित मामलों के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई निर्देश न किया जाये। उस प्रश्न का निर्णय इस सभा में नहीं वरन् अन्यत्र किया जायेगा। माननीय सदस्य को चाहिये कि अपने कथनानुसार वह अपना भाषण समाप्त कर दें।

†**श्री चि० चां० शाह** : मैं यह कह रहा था कि जो कुछ वह कर रहे थे उससे सद भावना का वातावरण नहीं बन सकता। मैं जन्म से ही बम्बई में रहता आया हूं और मेरा विचार है कि मैं बम्बई के बारे में श्री देशमुख की अपेक्षा अधिक जानता हूं। मैं आप से अपील करता हूं कि.....

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : किससे

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया पीठासीन व्यक्ति को सम्बोधित करें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री चि० चां० शाह** : मैं पुनः पूछता हूं कि इस आन्दोलन का क्या स्वरूप है ? इसका क्या कारण है कि गांधी टोपी को ही आक्रमण का लक्ष्य बनाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विनिर्णय दे चुका हूं कि इस चर्चा में ऐसे निर्देश करने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी ।

†**श्री चि० चां० शाह** : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बम्बई के लोगों को कुछ समय दीजिये जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, उन्हें पांच वर्ष का समय दीजिये । इस अवधि में सद्भावना और शांति पुनः प्रस्थापित हो जायेगी ।

मैं इस सभा को और अपने सभी मित्रों को यह आश्वासन देता हूं कि राष्ट्र के हित को देखते हुए जो भी हल निकाला जायेगा उसमें गुजराती जनता अपना पूर्ण सहयोग देगी ।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : मैं संशोधन संख्या ४६२ का समर्थन करता हूं जिसे श्री फ्रैंक एन्थनी और अन्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है । हमने यह देखा है कि बम्बई नगर में प्रत्येक सदस्य को दिलचस्पी है । यह दिलचस्पी इसलिये है क्योंकि बम्बई एक अद्वितीय नगर है । जब हजारों मील दूर रहने वाले लोगों को इतनी दिलचस्पी है तो बम्बई के लोगों की भावनायें क्या होंगी, यह आसानी से जाना जा सकता है ।

महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की कर्मभूमि बम्बई रही है और बम्बई के साथ महाराष्ट्र के सम्बन्ध ऐसे रहे हैं जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता । इसी लिये वह महाराष्ट्र से बम्बई के अलग किये जाने के बारे में इतनें क्षुब्द हैं ।

उसी तरह मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गुजरातियों के भी बंबई के साथ भावना भरे सम्बन्ध रहे हैं और इसलिये पारस्परिक दृष्टिकोण को समझनें की भावना हममें अवश्य होनी चाहिये । किन्तु बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करना या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना, जिनमें गुजरातियों को बे घरबार होनें का अनुभव हो, ये दोनों हल बम्बई के लिये उपयुक्त नहीं हैं और इनसे अन्ततोगत्वा बम्बई नगर का नाश ही होगा । यदि इस विनाश से बचना है तो अब भी यह समझा जा सकता है कि इस प्रश्न का एकमात्र हल एक द्विभाषी राज्य का निर्माण है । हम सभी ने अपने-अपने सिद्धांतों के अनुसार देश की सेवा करने का प्रयत्न किया है और हमारे अन्य मतभेद भी हैं किन्तु द्विभाषी राज्य के बारे में हम सब एक मत हैं । यह इसलिये है कि बम्बई नगर में सभी व्यक्ति आत्मीयता का अनुभव करते हैं और यदि इसे कायम रखना है तो मनोमालिन्य को दूर किया जाना चाहिये । श्री देशमुख को महाराष्ट्र में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है और उनकी राय में द्विभाषी राज्य का निर्माण एकमात्र हल है । श्री पाटिल नें आधुनिक बम्बई के निर्माण में उल्लेखनीय योग दिया है और उनका भी यही मत है । श्री देशमुख के प्रति मेरे हृदय में काफी सम्मान है और मेरा निवेदन है कि उनका प्रभाव इस सभा में और बाहर भी काफी है । मैं उनसे अपील करता हूं कि वे आगे आयें और हम समझौता करने का प्रयास करें । मेरा विश्वास है कि समझौता कराने में श्री देशमुख निश्चय ही योग दे सकेंगे ।

कल श्री पाटस्कर ने भाषण देते हुए चतुर्भाषी बम्बई राज्य के बारे में कहा था । सिन्ध का विभाजन हुआ है किन्तु वहां के सभी प्रश्नों को हल नहीं किया जा सका है । अब गुजरात और महाराष्ट्र अलग होंगे किन्तु हमारी समस्यायें समाप्त नहीं होंगी । प्रजातंत्र के लिये महाराष्ट्र अथवा गुजरात में उज्जवल भविष्य नहीं होगा और गुजरात और महाराष्ट्र के मेरे मित्र इन सब बातों को अच्छी तरह जानते भी है । यहां जो कुछ हो रहा है उसकी प्रवृत्ति विभेदात्मक है और जिस एकता का निर्माण हो रहा है वह विरोध की भावना पर आधारित है । इसलिये हमें ऐसी एकता का निर्माण करना चाहिये जिसमें विरोधभाव का कोई भी स्थान न हो, द्विभाषी राज्य के प्रस्ताव को ठुकरा कर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने एक बड़ी भारी भूल की है किन्तु उसे अब भी सुधारा जा सकता है । गुजरात ने दादा-भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, फिरोजशाह मेहता और सरदार पटेल जैसे नररत्नों को जन्म

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अशोक मेहता]

दिया, और आज समस्त देश में उन्हें इसलिये आदर प्राप्त है कि उनके विचार कभी भी संकुचित नहीं थे। मैं गुजरात से आनेवाले अपने मित्रों से पूछता हूं कि क्या उक्त समिति के निर्णय में उन्हें प्रान्तीयता की भावना प्रतीत नहीं होती ?

महाराष्ट्र के तरुणों को मैं जानता हूं। उनमें सामाजिक शक्ति और भावनाके आवेग होते हैं। आपको सत्याग्रह के सम्बन्ध में स्मरण होगा ही। वह अच्छा हो या बुरा, उसमें महाराष्ट्र के लोग हजारों की संख्या में शरीक हुए थे। यदि महाराष्ट्र को इस अपार शक्ति को लाभदायक कार्यों में लगाना है तो उसे भी बाढ़ की तरह नियंत्रित किया जाना चाहिये। मैं काका साहब से अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र की अपार शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र को अधिक लाभ हो सके। यह एक द्विभाषी राज्य में ही सम्भव हो सकता है। आज प्रातः मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें यह प्रकाशित हुआ था कि लोकमान्य तिलक की जन्म तिथि का शताब्दी समारोह पूना में किस प्रकार मनाया गया। उसमें मैंने एक जगह यह पढ़ा कि पूना में कल मेरे मित्रों ने, जिनके प्रति मुझे आदर है, यह घोषणा की कि जब तक महाराष्ट्र बम्बई को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह प्रयत्नरत रहेगा। लोकमान्य तिलक के सन्देश की यह विडम्बना है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किन्तु स्वराज्य का अर्थ भारत की स्वाधीनता से ही नहीं वरन् एकता से भी है। स्वराज्य का इतना संकीर्ण अर्थ लेकर हम उतनें बड़ लोकमान्य तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि समझौता अवश्य किया जाना चाहिये।

हाल ही में मैंने कुछ देशों की यात्रा की और वहां कई लोगों ने मुझसे बम्बई और पाकिस्तान के बारे में प्रश्न पूछे, क्योंकि संसार हमसे किसी न किसी प्रकार के हल की आशा रखता है। आज भारत इसलिये महान है कि राजा राम मोहन राय के काल से आज तक हम समझौते के आधार पर कार्य करते रहे हैं। मैं यह नहीं जानता कि पाकिस्तान के बारे में हम क्या कर सकते हैं किन्तु यदि बम्बई के प्रश्न का कोई हल हम नहीं निकाल सकते तो उससे न केवल महाराष्ट्र और गुजरात को, वरन् समस्त देश को धक्का लगेगा। हम लोग यह समझने को तैयार नहीं हैं कि यदि कोई उपयुक्त हल निकाला जाता है तो उसमें किसी की हार अथवा जीत नहीं होती।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : श्री मेहता ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। बम्बई में जो दंगे आदि हुए उनके सम्बन्ध में काफी समाचार प्रकाशित हुए और विदेशों में हमसे यह पूछा गया कि भारत की एकता कायम रहेगी अथवा नहीं। इसका उत्तर मैंने यह दिया कि पुनर्गठन का प्रश्न बहुत बड़ा है और यदि यह प्रश्न किसी भी अन्य बड़े देश के समक्ष होता तो वहां भी इस प्रकार की घटनायें बिलकुल वही होती। जब हम इस प्रश्न के बारे में विचार करते हैं तो हमें भारत के बारे में ही नहीं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि यहां जो भी निर्णय किये जायेंगे उनसे माननीय सदस्य सहमत होंगे और यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह भी जाये तो उसे दूर करने के लिये नये तरीके अपनाये जायेंगे।

मैं अपने संशोधनों को तीन भागों में विभाजित करता हूं। सर्व प्रथम मैं रायचूर और बीदर इन दो नगरों के बारे में कहूंगा। बाद में रायचूर तालुक की कुछ तहसीलों और चान्दा जिले की सरवंचा तहसील के बारे में कहूंगा। हम भाषा के आधार पर सीमाओं का पुनर्वितरण कर रहे हैं और कठिनाई यह है कि हमने ग्राम तहसील जिला अथवा राजस्व मंडल को एक इकाई नहीं माना है।

जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध है चूंकि वह त्रिभाषी राज्य है इसलिये हैदराबाद सरकार ने तेलुगु, मराठी और कन्नड़ इन भाषाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम की जनगणना की है। किस क्षेत्र में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है, इस बात का पता लगाना बहुत आसान है और सीमा आयोग की नियुक्ति किये बगैर भी हम सीमायें निश्चित कर सकते हैं और ग्राम अथवा किसी अन्य इकाई को लेकर प्रश्न को हल कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रायचूर और बीदर दोनों ही विचित्र नगर हैं। बीदर में अधिकांश लोगों द्वारा उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है और रायचूर में उर्दू के बाद तेलगु भाषा का स्थान है। बीदर में उर्दू के अतिरिक्त कन्नड़ बोली जाती है किन्तु किसी एक भाषा के बहुसंख्यक लोग वहां नहीं रहते। यह नगर कर्नाटक को इस आधार पर दिये गये कि पहले वे कन्नड़ जिले कहलाते थे। यद्यपि उनके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बंगलोर अथवा मैसूर की अपेक्षा हैदराबाद नगर से अधिक है।

जहां तक रायचूर तालुक का सम्बन्ध है, लगभग तीन राजस्व मंडलों में तेलुगु भाषा बो ी जाती है और इसलिये यह मंडल आंध्रप्रदेश में जाना चाहिये। गुलबर्गाजिले के कुछ राजस्व मंडलों के बारे में यही स्थिति है और इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह सभा एक सीमा आयोग नियुक्त करके इस प्रश्न को हल करेगी।

चान्दा इस समय के मध्य प्रदेश का एक समीपवर्ती जिला है और उसे महाराष्ट्र में मिलाया जा रहा है। जब तेलंगाना और मराठवाड़ा के विधान सभाई सदस्यों और नेताओं ने इस सम्बन्ध में विचार किया तो उन्होंने यह निश्चय किया कि चूंकि आदिलाबाद जिले के राजूरा तालुक में मराठी प्रधानतः बोली जाती है इसलिये उसे चान्दा में रखना चाहिये और सरवंचा तहसील को, जो कि प्रधानतः तेलुगु भाषी है, आदिलाबाद जिले में रखना चाहिये।

†**श्री गो० बा० खेडकर** : (बुलडाना–अकोला) : सरवंचा मध्य प्रदेश में है।

श्री हेडा : निश्चय ही यदि माननीय सदस्य का केवल यह तर्क है कि मराठवाडा के लोगों को सरवंचा के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है तो बात अलग है, किन्तु क्या वे यह कह सकते हैं कि सरवंचा एक तेलुगू-भाषी तहसील नहीं है? जहां तक मुझे जानकारी है वहां ९० प्रतिशत से अधिक लोग तेलुगु भाषी हैं और सरवंचा के माननीय सदस्य इसे स्वीकार करते हैं। इसलिये क्यों कि राजूरा तालुक को चान्दा में रखा गया है तो सरवंचा को चान्दा से अलग करके यहां रखा जाना चाहिये। मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र को, अथवा किसी अन्य राज्य को ऐसे भाग रखकर जिनमें कोई अन्य भाषा बोली जाती हो, कोई लाभ नहीं होगा।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि हमने महाराष्ट्र के नेताओं से बातचीत कर ली है और वे उसे देने के लिये तैयार हैं किन्तु वह उसे प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार किया जायेगा यदि किसी बात पर, वास्तव में, सहमति हुई है तो आवश्यक कार्यवाही यहां भी की जा सकती है।

†**श्री ब० ये० रेड्डी** (करीम नगर) : किन्तु वे चर्चा करने के लिये भी तैयार नहीं हैं ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि समझौता नहीं हो पाया है।

†**श्री ब० ये० रेड्डी** समझौता भंग नहीं हुआ है किन्तु वहां विभिन्न राज्यों के लोग हैं और मध्य प्रदेश के सदस्य इसके लिये सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि यह हमारी अनाधिकार चेष्टा है।

†**श्री हेडा** : हम उस विषय में भी प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जायेगा।

इतना कहकर मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गाडगील** : इस सभा में हमारे सामने अब दो प्रश्न हैं : एक तो सीमाओं के सम्बन्ध में और दूसरा बम्बई शहर के सम्बन्ध में । सीमा क्षेत्रों के विषय में, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष हमने अपने ज्ञापन में यह बात कही थी कि आयोग कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित करे जिनके आधार पर सीमा-क्षेत्रों का परिसीमन किया जाये और वे सिद्धान्त सभी के लिये समान रूप से लागू किये जायें । आज भी हमारी यही मांग है । हमने पहले भी कई बार कहा है कि यदि कोई गांव हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो हम भी उसे नहीं चाहते और साथ ही यदि भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हमसे सम्बद्ध कोई गांव दूसरे क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हों, तो वे हमें दे दिये जायें । इसलिये, वास्तव में, यह किसी और का काम है कि वह उन क्षेत्रों के विषय में आंकड़ें इकठ्ठा करे और संबंधित क्षेत्रों की जनता की इच्छा का अंदाजा लगाये और बाद में एक प्रकार का पंचाट प्रस्तुत करे जिसे अन्य दल स्वीकार करें ।

गृह मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि क्षेत्रीय परिषदों से यह प्रश्न अच्छी तरह हल किया जा सकता है किन्तु, जैसा कि उनका संविधान है, वे इन प्रश्नों का विवेचन करने के लिये असमर्थ हैं । क्षेत्रीय परिषदों में प्रतिद्वंदी लोग होंगे और इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वह संतोषजनक हल नहीं होगा । मेरी राय यह है कि इन चीजों पर विचार करने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये ताकि आज की तनातनी कम हो जाये, और उस आयोग का निर्णय ठीक उसी प्रकार अंतिम रूप में सब के लिये लागू हो जिस प्रकार कि किसी मध्यस्थ य न्यायालय का फैसला लागू होता है । यदि ऐसा किया जा सके, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

इसके बाद बम्बई का प्रश्न है । या तो उसके गुणावगुणों के आधार पर आप उस पर विचार करें या और भी अधिक बड़े संदर्भ में उस पर विचार किया जाये जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने विचार करने का प्रयत्न किया है । पहले तो मुझे इस विषय में कुछ गलतफहमी दूर करनी हैं । मैंने अपने बड़े नेता और गृह मंत्री, दोनों के ही भाषण सुने हैं । उनसे किसी हद तक अवश्य ही अच्छा प्रभाव पड़ा है किन्तु कोई निश्चित हल न रहने की दशा में महाराष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करना हममें से किसी के लिये भी संभव नहीं है । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें अखिल भारतीय आधार पर सोचना चाहिये । लोकमान्य तिलक के युग से आज तक हमनें बराबर यही कहा है कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में महाराष्ट्रीय ।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, यदि बम्बई के विषय में भेद भाव का व्यवहार किया जाता है तो मैं पूछता हूं कि कलकत्ते के सम्बन्ध में भी ऐसा ही व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ? वहां भी १९५२ के बाद कलकत्ते के अनेक गैर-बंगालियों ने संकल्प पारित किये थे कि कलकत्ते के शासन को केन्द्र अपने अधीन ले ले जिससे कि उनके हितों का संरक्षण हो सके । बम्बई के चारों ओर महाराष्ट्रीय राज्यक्षेत्र हैं, फिर भी आप उसके विषय में भेदभाव कर रहे हैं, केवल इस कारण कि कुछ लोगों ने अविश्वास प्रकट किया है ।

हमने राज्य पुनर्गठन आयोग से पूछा था कि इस अविश्वास के क्या कारण हैं । अविश्वास की ठीक ठीक परिभाषा न होने की दशा में हम बिल्कुल अंधकार में हैं । फिर भी हमारे लिये यह निर्णय है कि कोई हम पर अविश्वास करता है और इसलिये वह हमें नहीं दिया जा सकता । मेरे माननीय मित्र श्री चि० चा० शाह इसके अन्दर का दावपेंच न समझ पाते हों किन्तु हम अवश्य समझते हैं ।

जहां तक किसी विशिष्ट क्षेत्र में अविश्वास का संबंध है, महाराष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्ण आर्थिक जीवन गुजरातियों और मारवाड़ियों के अधीन है सारा व्यापार गैर-महाराष्ट्रीयों के हाथ में है । महाराष्ट्र में अल्प संख्यकों की शिक्षा सम्बन्धी अवश्यकतायें अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह पूरी की जाती हैं । हम कभी भी साम्प्रदायिक नहीं रहे । हमारे प्रदेश में अल्प संख्यकों के हित पूर्णतः सुरक्षित रहे हैं । गुजरातियों ने दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देशों में भी काफी पूंजी लगायी है किन्तु वहां उन्होंने किसी विदेशी में अविश्वास नहीं प्रकट किया और न कोई प्रतिभूति ही मांगी, किन्तु यहां वे हममें अविश्वास दिखा रहे हैं, किन्तु तथ्य यह है कि इसके लिये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पेश किया है । फिर इस आशय के कई तर्क रखे गये हैं कि बम्बई बहुभाषी राज्य की राजधानी रही है, किन्तु बिहार और उड़ीसा को अलग करने के पूर्व कलकत्ता, तथा आंन्ध्र को अलग करने के पूर्व मद्रास भी इसी प्रकार की राजधानियां थीं । इन तर्कों में कोई भी सार नहीं । यदि हर जगह के लिये आपने एक भाषी राज्य स्वीकार कर लिये हैं ो आप उससे विपरीत प्रस्थापना नहीं रख सकते । यदि इस मामले में आप एक अपवाद बनाना चाहते हैं तो वह हमारा अपमान है । आप हमारी भावना का भी ध्यान रखिये । मराठों को थोड़ा सा सम्मान प्रदान करके आप उनका सब कुछ ले सकते हैं, किन्तु अन्याय के सामने सिर झुकाने की बजाय वे मर जाना अधिक पसन्द करेंगे । यही महाराष्ट्र की परंपरा है । हमसे कहा गया कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के लाखों कारण हैं, किन्तु आज तक एक भी कारण हमें नहीं बताया गया यद्यपि हम इ ने दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे । प्रधान मंत्री नें केवल यह कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे किन्तु उस विषय में एक स्पष्ट वक्तव्य होना चाहिये । आज आप बम्बई दे दें, तो और संरक्षणों के विषय में मैं कोरा चेक देता हूं । मेरे मित्र श्री पाटिल ने पूछा कि मेरा खाता कहां है । मैं मानता हूं कि मेरा कहीं भी खाता नहीं है, हम गरीब हैं, और इसलिये हमें दंड दिया जा रहा है ।

सारे देश में हमारे विरूद्ध हिंसा के आरोप लगा कर गलत प्रचार किया गया । मैं कहता हूं कि जांच की जाये और तब निर्णय दिया जाये किन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

अब यह सुझाव रखा गया है कि पांच वर्ष के अन्दर स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा, कोई जनमतगणना या कोई पेचीदा प्रक्रिया नहीं होगी । किन्तु इतना करने पर आज यह तनातनी क्यों जारी रखना चाहते हैं । यदि जनता की इच्छा मालूम करने का ढ़ंग हो, तो मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से सहमत हूं कि रोष बढ़ेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने दल की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करेगा । यदि संख्या से ही इस विषय का निबटारा किया जायेगा तो निश्चय ही उत्पात होगा । हमसे अपील की जाती है कि शांति स्थापित की जाये । किन्तु हमें बम्बई की वास्तविकता की ओर से आंखें बंद नहीं करनी चाहियें । यदि आप के पास पैसा हो तो क्षण भर में वहां दंगा फसाद हो सकता है । इसका अर्थ यह है कि जब कभी इस प्रश्न का निर्णय करना होगा उससे एक रात पहले दंगा होगा और सारी शांति भंग हो जायेगी और हमारी सारी प्रस्थापनायें समाप्त हो जायेंगी ।

हम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह अल्प संख्यकों को विशेषाधिकार दे रही है जिसका अर्थ है कि हम गुंडों को विशेषाधिकार दे रहे हैं । मैं श्री शाह और श्री अशोक मेहता से पूर्णतः सहमत हूं कि हम समझौता कर लें और सारे देश के समक्ष एक उदाहरण रखें । महाराष्ट्र को उचित स्थान दीजियें चाहे वह पांच या दस वर्ष में ही क्यों न हो, तो मराठों को सन्तोष हो जायेगा ।

यदि भारत के लिये द्विभाषी या एकभाषी राज्य का आदर्श रखा जाये तो हम सभी उसके लिये आगे बढ़ेंगे, किन्तु यदि आप जबरदस्ती उसे लादें तो स्थिति विद्रोहपूर्ण हो जायेगी । श्री अशोक महता ने जो कुछ कहा है, मैं भी उसे मानता हूं । आज सर्वोत्कृष्ट हल यह है कि बम्बई को तुरन्त महाराष्ट्र के हवाले किया जाये, चाहे फिर किसी प्रकार के संरक्षण रखे जायें जो निगम को प्रदत्त अधिक शक्तियों के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार के हो जिनसे अल्प संख्यकों का भय दूर हो । मैं वह मानने के लिये तैयार हूं ।

जहां तक द्विभाषी राज्य का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा था, वह आज नहीं बन सकता । सौराष्ट्र के एकीकरण के समय सरदार पटेल नें राजकोट में कहा था कि एक स्वप्न तो प्राप्त हो गया है और महागुजरात का दूसरा स्वप्न भी प्राप्त हो जायेगा । अब महागुजरात भी एक वास्तविक तथ्य है और उसके लिये मेरा शुभकामनायें है और उसकी सेवा के लिये मैं तत्पर हूं । अतः वे हमारी न्यायपूर्ण मांग भी स्वीकार करें । हर कोई उसे न्यायपूर्ण कहता है फिर भी वह स्वीकार नहीं की जाती । हम नहीं चाहते कि आगे कई महीनों तक यह समस्या बराबर बनी रहे ।

प्रधान मंत्री ने इस बात का निर्देश किया कि हम क्रांति की संतान हैं । हम भी वही हैं; और क्रांतिकारी तो वह होता है जो किसी अन्याय के सामनें सिर न झुकायें । बम्बई के विषय में, जहां औचित्य का

[श्री गाडगील]

निरादर किया जाता है, न्याय को टाल दिया जाता है और राजनैतिक सुविधा के लिये सत्य को दबाया जाता है, वहां देश का प्रत्येक सच्चा क्रांतिकारी भड़क उठेगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। अतः मेरा यही कहना है कि वर्तमान स्थिति में बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग मंजूर कर ली जाये।

हमसे यह कहा गया कि महाराष्ट्रीय नेताओं ने यह किया और वह किया। उनसे कहा गया कि वे या तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लें या तीन राज्यों वाला सुझाव मान लें। ऐसी दशा में जब कि उनके सामने दल के प्रतिनिष्ठा अथवा जनता के प्रति सच्चाई की दुविधा उत्पन्न हो जाये और इस द्वन्द में वे गुमराह हो जायें, तब तो आपको उनके प्रति निश्चय ही सहानुभूति होनी चाहिये। हम अपने सम्बन्ध में यदि कहें तो प्रारम्भ से ही मैंने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को सूचित कर दिया था कि बंबई शहर को महाराष्ट्र से अलग करने की किसी भी योजना का ऐसा घोर विरोध किया जायगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब भी मैं वही दोहराता हूं। वह स्थिति असह्य है। यदि हमारे तर्कों का कोई महत्व न हो, हमारी प्रार्थनाएं ठुकरा दी जायें, हमारे सत्याग्रह का मज़ाक उड़ाया जाये, तो एक प्रामाणिक नागरिक के लिये कौन सा मार्ग खुला रह जाता है? सरकार जनता की सम्मति पर निर्भर होती है इसका अर्थ यह है कि जब सरकार जनता की सम्मति के विरुद्ध कार्य करती है तब निष्ठा का बन्धन टूट जाता है और यह भी है कि हम देश के प्रति निष्ठावान हैं, न कि सरकार के प्रति। यदि आज मै दल गत अनुशासन के विरूद्ध जाने का दुस्साहस करता हूं तो मैं उसके लिये बेबस हूँ। हममें से कुछ कांग्रेसियों की आज यही स्थिति है। मत वह है जो उचित विचार के बाद दिया जाता है। मैं उसी उचित विचार के लिये अपील करता हूँ। यदि आपका विवेक कोई अन्य निर्णय दे तब मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु जहां तक मेरा अपना मामला है, मैंने बम्बई को प्रस्थापित महाराष्ट्र से अलग रखने के विरुद्ध मत देने का निश्चय किया है, दलगत नीति भले ही कुछ भी हो।

†**श्री तुलसीदास** (मेहसाना–पश्चिम): संशोधन संख्या ४६२ के प्रस्तावकों में मेरा भी नाम है। प्रथम वाचन के समय मैंने कहा था कि पुनर्गठन की समस्या आगे के लिये स्थगित कर दी जाय क्योंकि इसकी वजह से देश में बड़ा अशान्त और दुःखदायक वातावरण पैदा हो रहा है। पहले नियुक्त की गई अनेक समितियों और आयोगों ने यही निर्णय किया था कि इस समस्या का एकमात्र हल यही है कि एक मिला जुला राज्य हो। महाराष्ट्र की तरफ से आपत्ति यह है कि वह एक मिलाजुला राज्य नहीं है जिसमें कि सभी मराठी भाषी और गुजराती भाषी लोग एक साथ हों। श्री अशोक मेहता तथा कई अन्य सदस्यों ने भी मेरे संशोधन का समर्थन किया है कि वह एक पूरा द्विभाषी राज्य होना चाहिये जिसमें विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ, बम्बई शहर, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हों। उसकी जनसंख्या साढ़े चार करोड़ होगी और वह सबसे बड़ा दूसरा राज्य होगा। इस प्रकार का मिलाजुला राज्य स्वीकार करने के लिये मैं अपने मित्रों से इस कारण आग्रह करता रहा कि मेरे विचार से यही एक मात्र हल है। प्रधान मंत्री, गृहमंत्री, श्री देशमुख तथा श्री मुरारजी आदि नेताओं से भी मैंने बातचीत की है और सभी ने मुझसे यही कहा कि यही एकमात्र हल है। किन्तु दुःख इस बात का है कि हम समान दृष्टिकोण से होते हुए भी हल निकालने में असमर्थ है। यदि इस राज्य का विभाजन किया जाता है, जैसा कि विधेयक में सुझाव दिया गया है, तो उससे न तो किसी भी राज्य को और देश को कोई लाभ होगा बल्कि समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मैं बम्बई में पैदा हुआ और वहीं पर पाला पोसा गया। अनेक महाराष्ट्रीय मेरे पुराने मित्र रहे हैं, फिर भी मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस सब उत्पात का क्या कारण है। मैं समझता हूँ कि इस समय हमें बृहत द्विभाषी राज्य बनाने के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिये।

श्री गाडगील कहते हैं कि पहले बम्बई को महाराष्ट्र में मिला दिया जाये, फिर कोई निर्णय किया जाये। श्री अशोक मेहता के मतानुसार इस समस्या को अभी हल करना चाहिये, बाद में यह हल नहीं होगी। श्री गाडगील को आज ही इस समस्या को हल करने में क्या आपत्ति है? जब हमें समूचे

---

†मूल अंग्रेजी में।

राष्ट्र के दृष्टिकोण से विचार करना है तब व्यक्ति विशेष या राज्य विशेष के गव की बात नहीं सोचनी चाहिये । हमें आज ही इसको हल कर देना चाहिये। गुजरात और महाराष्ट्र तथा बम्बई के प्रतिनिधि वृहत द्विभाषी राज्य की स्थापना के पक्ष में हैं । इसके अतिरिक्त और कोई हल इस समस्या का नहीं है। केवल कुछ छोटी बातों का फैसला करना है अन्य सब बातों के बारे में सब लोग सिद्धान्ततः एकमत हैं ।

एक दूसरे प्रान्त या समुदाय के विरुद्ध कीचड़ उछालने का कोई लाभ नहीं । यह बम्बई या गुजरात का ही प्रश्न नहीं, परन्तु समूचे देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इसलिये हमें इस को अभी हल करना चाहिये । हम इतने वर्षों से बम्बई में रहते आ रहे हैं। कभी भी महाराष्ट्रीय और गुजराती के नाम से कलह नहीं हुआ । महाराष्ट्र में गुजराती हैं और गुजरात में महाराष्ट्रीय हैं, किन्तु किसी को कोई कष्ट नहीं है । बम्बई में गुजराती और महाराष्ट्रीय इकठ्ठे रहते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता । अतः इस समस्या के उत्पन्न होनें का कोई कारण समझ में नहीं आता ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने बम्बई को संयुक्त राज्य बनाने की सिफारिश की थी और विदर्भ को अलग रखने का विचार व्यक्त किया था । जब विदर्भ महाराष्ट्र में मिलने को तैयार है, मैं उससे अपील करता हूं कि वह वृहत द्विभाषी राज्य में शामिल होने को तैयार हो जाये क्योंकि इस समस्या का यही संभव हल है ।

आयोग ने पृथकत्व की भावना को समाप्त करने की सिफारिश की है और यह बम्बई राज्य को द्विभाषी राज्य बना कर ही किया जा सकता है ।

बम्बई को महाराष्ट्र में मिला देने से भी समस्या का अन्त नहीं होगा । इसका केवल एक ही हल है द्विभाषी राज्य बनाया जाये और मुझे आशा है कि विदर्भ के लोग भी इसमें सम्मिलित हो जायेंगे । इस वृहत राज्य का देश के प्रशासन में बहुत बड़ा महत्व होगा ।

प्रधान मंत्री जिन पांच वृहत राज्यों की कामना करते हैं, उस उद्देश्य की ओर यह पहला कदम होगा । पश्चिम प्रदेश के सभी प्रदेश इस राज्य में सम्मिलित कर दिये गये हैं । इस राज्य की स्थापना से बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी ।

श्री अशोक मेहता ने महाराष्ट्रीय और गुजरातियों को बहुत सुन्दर और भावना भरी अपील की है । मैं भी अपील करता हूं कि वह इस राज्य के निर्माण में हमें सहयोग दें । श्री देशमुख ने भी मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है । मैं सब सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस संशोधन का समर्थन करें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

बम्बई को क 'भाग' का राज्य बनाने के सुझाव का कोई लाभ नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि पश्चिम प्रदेश तक एक राज्य हो । मैं कर्नाटक वालों के लिये शुभकामना करता हूं और विदर्भ वालों से इस वृहत राज्य में मिलनें की अपील करता हूं । मुझे आशा है कि मेरी अपील अकारथ नहीं जायेगी क्योंकि इस समस्या का यही एक हल है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** (यादगीर) : मेरा पहला संशोधन यह है कि चित्राल और काश्मीर के उस भाग को भी भारत में सम्मिलित किया जाये जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है । जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रतिनिधियों और हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि चित्राल भारत का अंग है इसी सम्बन्ध में मेरा पहला संशोधन है अतः मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कर्नाटक राज्य का नाम बदला जाये । यह न तो महाराष्ट्रीयों के विरुद्ध है और न आंन्ध्र वालों के । इस राज्य का पुराना ऐतिहासिक नाम कर्नाटक है । केवल मैसूर के कुछ लोग इसे मैसूर कहना चाहते हैं जब कि अन्य सभी राज्य इसका कर्नाटक नाम रखने के पक्ष

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कृष्णाचार्य जोशी]

में हैं। इस नामके पीछे सांस्कृतिक एकता और इतिहास है। इसे मैसूर कहने में कोई भी युक्ति या तक नहीं। बेल्लारी के सम्बन्ध में एक बार अन्तिम निर्णय हो चुका है परन्तु आन्ध्र वाले फिर इस प्रश्न को उठा रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वह मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनायें रखें और इस प्रश्न को न उठांये।

श्री हेडा रायचूर को तेलगु भाषी राज्य में मिलाने की रट लगा रहे हैं परन्तु कन्नड़ भाषी जो क्षेत्र उनके पास हैं उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी कन्नड़ भाषी क्षेत्र हैं।

†**श्री र० श्री० दीवान** (उसमानाबाद) : महाराष्ट्रीयों की और से मैं कन्नड़ गांव आप को देता हूं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इसके लिये धन्यवाद। कर्नाटक राज्य तो बन गया किन्तु आन्ध्र और महाराष्ट्र में जो कन्नड़ क्षेत्र हैं वे हमें नहीं दिये गये। हम समझौता करने को भी तैयार हैं। महाराष्ट्रीय बम्बई के लिये लड़ रहे हैं उन्हें कारबार और बेलगांव में झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहिये क्यों कि वे कन्नड़ के ही अंग हैं। मैं समझता हूं कि भारत इस पुनर्गठन के द्वारा अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन जायगा।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़े से शब्दो में अपने पुराने प्रकट किये हुए विचार फिर उपस्थित करने हैं। अभी गाडगील जी ने जो अपील की उस ने मेरे हृदय को छुआ। श्री गाडगील जी हमारे देश के एक पुराने मान्य जनसेवक हैं तथा मेरे वैयक्तिक मित्र हैं। इसलिये उनकी अपील का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ना ही था। यह बहुत ही स्पष्ट है कि उनके हृदय के ऊपर बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने का गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही उनके भाषण से मुझ यह पता लगा है कि उन्होंने श्री अशोक मेहता जी के भाषण की भी सराहना की है और उसको भी सामने रखा है। श्री अशोक मेहता जी का यह कहना था कि एक बड़ा राज्य बनाया जाए जिस में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और आज जो महाराष्ट्र प्रदेश बन ने जा रहा है वे मिल जाये और उसमें बम्बई को भी शामिल कर लिया जाये। यह प्रस्ताव मैंने भी पहल इस सदन के सामने रखा था। मैंने तो उस समय यहां तक कहा था कि अगर कुछ सन्देह हो तो इस बात का कि इसमें गुजराती और महाराष्ट्री तत्वों को समानता नहीं मिलती तो कुछ भाग मालवा का भी इस में जोड़ दिया जाये। उस समय से अब हम बहुत आगे इस विषय में आ गए हैं। जो अधिनियम आज हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए मैं मालवा के अंश मिलाने की बात को सामने नहीं रख रहा हूं। परन्तु जो विषम अवस्था देश में उपस्थित है उसम मुझको यह अवश्य जान पडता है कि जो बात श्री अशोक मेहता जी न कही उसम बल है। मुझ को यह बताया गया है कि श्री देशमुख ने भी यह स्वीकार किया है, अपने उस भाषण में जो कि उन्होंने इस सदन में दिया है, कि गुजराती भाषियों और मराठी भाषियों का एक ही राज्य बनाये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वह इसके पक्षपाती हैं। जब महाराष्ट्र के एक उच्च प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं यह आशा कर सकता हूं कि गाडगील जी भी और अधिक विचार करके इस के पक्ष में हो जायेंगे। मैं भी ऐसे ही प्रदेश के बनाये जाने के पक्ष में हूं और उसी का समर्थन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट, मराठी भाषी तथा गुजराती भाषी अपने अपने आग्रह को थोडा कम करें और तीनों ही कुछ और अधिक निकट आयें।

गाडगील जी ने कहा कि अभी बम्बई को महाराष्ट्र के साथ मिला दो और फिर जब हम साथ रहने लगेंगे तब फिर इस प्रश्न पर विचार हो सकता है। उनका कहना है कि इस समय गहरी चोट मराठी भाषियों को लगी है और उनका मान यह सहन नहीं कर सकता कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रहने दिया जाये। उन्होंने मान और अपमान का प्रश्न सामने रखा है और उनको इसमें अपमान दिखाई पड़ा है। जो विचारवान पुरुष होते हैं जब वे

†मूल अंग्रेजी में।

अपने मान अपमान को देखते हैं तो उनको इस पर भी विचार करना होता है कि मान अपमान का प्रश्न दूसरों के हृदय में भी उठ सकता है। अपने मान अपमान का तो ध्यान उनको रहा परन्तु थोड़ा सोचने पर उन को तथा आप को पता लग जाएगा कि हमारे प्रधान मंत्री और गवर्नमेंट के सामने भी यह मान और अपमान का प्रश्न आ सकता है और आ जाता है। प्रधान मंत्री जी ने महाराष्ट्र के सम्बन्ध में बहुत सहानुभूति पूर्वक अपने विचार प्रकट किये हैं। परन्तु साथ साथ उन्होंने यह भी दोहराया है कि यह प्रश्न कि बम्बई को महाराष्ट्र में तुरन्त मिलाया जाये उठाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट भी इतनें दिनों से उस विचार को मथ रही है और उसने समुद्र मंथन से औषधि निकाली है। उस औषधि को हमारे महाराष्ट्रीय भाई विष मानते हैं। समुद्र मंथन में जहां औषधि निकलती है वहां विष भी निकला करता है। इस मंथन में बहुत विष उत्पन्न हुआ है, यह हम देख सकते हैं। बहुत ही गहरा धक्का हमारे देश की एकता को लगा है। इस वास्ते मैं गाडगील जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के मान अपमान का प्रश्न न उठायें। मैं गवर्नमेंट (सरकार) से भी यह कहना चाहता हूं कि वह भी अपने मान अपमान का प्रश्न न उठाये और उसको अलग रख दे। प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा है कि बम्बई के भविष्य का फैसला संसद को ही करना है। जब उन्होंने यह बात कह दी है तो मेरा उनसे तथा उनके सहयोगियों से यह कहना है कि आप इस प्रश्न को अपने मान अपमान का प्रश्न बिल्कुल न बनायें। आप कोई चेतक न निकालें। इस प्रश्न का फैसला करने की बात को आप हरएक मेम्बर पर छोड़ दीजिये, और उससे कह दीजिये कि हमें बताओ आपका क्या मत है और उनसे आप कह दीजिये कि वे ईमानदारी से अपनी राय दें। लेकिन अगर आप का चेतक उनके ऊपर लगा रहता है तब तो उनका मत आपको मिलेगा नहीं और जो प्रधान मंत्री जी का मत है, वही मत वे दोहरा देंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने मान अपमान के प्रश्न को छोड़ दीजिये। जब आप ने यह कह दिया है कि इस प्रश्न को आप पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं तो सचमुच पार्लियामेंट के ऊपर ही छोड दीजिये और हर एक सदस्य को अवसर दीजिये कि वह अपना मत प्रकट करे। इसी तरह से मेरा गाडगील जी से कहना है कि आप इसको मान अपमान का प्रश्न न बनायें।

हमारे भाई श्री तुलसी कीलाचन्द दास जी ने कहा है कि उन्होंने बहुत से सदस्यों से बात की है और उनको ऐसा लगता है कि अधिक सदस्य गण इसके पक्ष में हैं कि गुजरातियों और महाराष्ट्रियों का मिला जुला एक बड़ा राज्य बने। यदि यह बात सही है तो गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वह माननीय सदस्यों को अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर दे। यदि पार्लियामेंट के अधिक सदस्य इस बात को चाहते हैं तब तुरन्त ही, आवश्यक परिवर्तन इस बिल में कर दें। मेरा विश्वास है कि वह सच्चा न्याय होगा और जो झगड़े उत्पन्न हो गये हैं उनको समाप्त कर यह मराठी और गुजराती भाइयों को प्रेम के बन्धन में बांधने वाला काम बन जायेगा।

इसीलिये श्री अशोक मेहता ने जो सुझाव दिया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। मैं गवर्नमेंट से भी और गाडगील जी से भी और गाडगील जी का नाम लेकर अन्य महाराष्ट्रीय भाइयों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसमें अधिक आग्रह न बढ़े। सब का मान इस में रख लिया जाता है और आगे के लिये प्रेम की नींव बनती है। हम लोगों को यह बात अपने सामने रखनी चाहिये कि अगर आज बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करने पर कड़ुआपन उत्पन्न होता है, तो महाराष्ट्र में बम्बई को मिलाकर भी कड़ुआपन उत्पन्न होता है दोनों तरह से कड़ुआपन उत्पन्न होता है। इस विवाद को तय करने का रास्ता यह है कि उन सब क्षेत्रों को मिला दिया जाये और उस नये राज्य की राजधानी बम्बई हो। तब वह पुराने प्रेम का रिश्ता, जिसकी चर्चा गाडगील जी ने बड़े प्रेम के शब्दों में की है, फिर से स्थापित हो जायेगा। मैं गाडगील जी का पूरा विश्वास करता हूं जब कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपने को बिल्कुल अयोग्य मान लूंगा, अगर मेरे हृदय में गुजरातियों के प्रति घृणा होगी। मेरा विश्वास है कि गुजराती भाइयों पर इस बात का असर पड़ेगा। गाडगील जी ने सच्चे हृदय से एक मर्मभेदी वाक्य कहा है और गुजरातियों को उसे स्वीकार करना चाहिये। गुजराती और महाराष्ट्रीय मिल कर रहें, यही मेरा निवेदन है। गवर्नमेंट अपने आग्रह से उतर कर इन को एक करने का यत्न करे, यह भी मेरा निवेदन है।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-उत्तर) : मेरे संशोधन का आशय यह है कि पांच वर्ष के अन्दर बम्बई को भाग 'ग' राज्य बनाये रखने या न रखने के बारे मे भारत सरकार पुनर्विचार करेगी और यह मामला संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। यद्यपि मैं बम्बई को महाराष्ट्र के साथ मिलाने के पक्ष में हूं, तथापि मुझे उसके हल पर कोई आपत्ति नहीं जो महाराष्ट्र गुजरात और बम्बई को मान्य हो।

इस विधेयक में बम्बई को केन्द्रीय प्रशासन में रखने का उपबन्ध है और कुछ समय पश्चात इस स्थिति पर पुनर्विचार करने का इरादा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किया गया है। मेरे संशोधन का अर्थ यह है कि इस खंड में सरकार के पुनर्विचार के इस इरादे को कार्यान्वित करने के साधनों का उपबन्ध किया जाना चाहिये। जब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने पुनर्विचार करने का इरादा व्यक्त किया है तब इस बात का उपबन्ध करने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं इसलिये यह चाहता हूं ताकि उस समय चाहेकोई भी प्रधान मंत्री हो, इस मामले पर संसद ही विचार कर सके। ऐसा न हो कि किसी परिस्थिति में संसद को इस पर विचार करने का अवसर न मिले, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य होना चाहिये।

इस सभा में बम्बई के हम चार प्रतिनिधि हैं और हमारे विभिन्न मत होते हुए भी हममें बड़ा स्नेह और प्रेम है। हमारा एक दूसरे के प्रति पूरा आदर भाव है। यह प्रजातंत्रात्मक भावना बम्बई नगर का उदाहरण उपस्थित करती है, परन्तु अब राज्य पुनर्गठन के इस मामले में बड़ा परिवर्तन हो गया है और प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री के भाषणों से वातावरण साफ हो गया है। अतः हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इतनी भीषण स्थिति को हल करने में बडी सहायता दी है इन भाषणों से बहुत से संदेह दूर हो गये हैं और अनेक विरोध मिट गये हैं। यदि कुछ समय पूर्व इस प्रकार के भाषण दिये जाते, तो बहुत अच्छा होता।

इन दो दिनों में बम्बई के भविष्य के बारे में एक तो प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री के विचार विदित हो गये हैं, दूसरे यह आश्वासन मिल गया है कि पांच वर्ष के समय में भी अन्तर किया जा सकता है, और तीसरे लोक मत आदि के विचारों का खंडन कर दिया गया है।

अब हम बम्बई को एक बड़े राज्य की राजधानी के स्थान पर संघ राज्य क्षेत्र बना रहे हैं और इसके बारे में उस नगर की जनता की इच्छा नहीं जानी गई है। क्या इसमें प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विपरीत कुछ किया जा रहा है ? नहीं, संविधान द्वारा संसद को इन मामलों के बारे में प्राधिकार दिया गया है। और फिर इस निर्णय पर संसद को पुनर्विचार करने का अवसर दिया गया है। इसलिये म किसी लोकमत, आदि की आवश्यकता अनुभव नहीं करता।

प्रधान मंत्री ने अपनें भाषण में कहा है कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में बहुत से तर्क हो सकते हैं और इसी प्रकार गुजरात में मिलाने के पक्ष में भी हो सकते हैं, परन्तु यदि अच्छे वातावरण में इस समस्या का हल सोचा जाये तो अवश्य कोई अच्छा हल निकल सकता है। प्रधान मंत्री नें लोकमत, आदि को अनावश्यक कहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, (उपाध्यक्ष महोदय) इस बम्बई के मामले पर, जो इतना पेचीदा हो गया है, मैंने अपनी उन तीन चार तकारीर (भाषण) में जो इस बिलपर कीं, एक लफ्ज नहीं कहा। असलियत यह है कि जब तक कोई आदमी अपने दिल में सही फैसला न करले उसको मेम्बर साहबान के सामने वसूक (निश्चय) के साथ कोई बात कहने का हक नहीं है। लेकिन अब चन्द दिनों से सारी बातों पर गौर कर मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं और मैं चाहता हूं कि हाउस में उसको कहूं और अपने कांशेन्स (आत्मभाव) को ईज़ (शांत) कर लूं। जब शुरू में यह एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट छपी तो उन तीन बड़ी शक्तियों का फैसला यह था कि जहां तक इस स्टेट का वास्ता है वह बाईलिंग्वल स्टेट (द्विभाषी राज्य) बनें और बम्बई उस स्टेट राज्य का कैपीटल (राजधानी) बनें। यह फैसला हमारे उन भाइयों को पसन्द नहीं आया जो कि यूनिलिंग्वल स्टेट (एकभाषी राज्य) बनाना चाहते थे और अलहिदा अलहिदा स्टेटस बनाना चाहते थे। मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भाइयों के बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में।

से डेपुटेशन (प्रतिनिधिमंडल) पंडित जी से और दूसरे लीडरों से मिले और देर तक इसके बारे में गुफ्तगु चलती रही। बहुत तजावीज़ सोची गई और होते होते यह मासला इस मेस (उलझन) में आ पड़ा जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब ने तीन चार दिन हुए हाउस में किया था। आज गवर्नमेंट के अपने कहने के मुताबिक यह मसला एक मेस में पड़ा हुआ है। मैंने यहां स्पीचेज़ सुनी, देशमुख साहब की, श्री पाटिल साहब की, श्री गाडगील साहब की। उनमें इतने मुख्तलिफ पैराये से प्वाइंट (बातें) पेश किये गये हैं कि शायद मामूली आदमी के वास्ते कोई ठीक फैसला करना मुश्किल हो जाये। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर जो नतीजा मैंने आजादाना तौर पर सोचा था आज मैं इन सब तकरीरों को सुन कर उसी नतीजे पर कनफम (निश्चित) हुआ हूं और काश मेरे पास भी ऐसे ही खूबसूरत अल्फाज होते जैसे कि श्री अशोक मेहता ने इस्तेमाल किये तो मै भी उतने खूबसूरत हील्फाज में उस चीज को हाउस के सामने रखता। श्री मोहन लाल सक्सेना और श्री अशोक मेहता ने इस मोशन (प्रस्ताव) को एक नई जान दी है और एक नई तहरीक हाउस में शुरु की है जो कि इंटेलेक्चुएली (विवेकपूर्वक) सही फैसला है और जिसको कि करते हुए हम लोग डरते हैं और अपने आप को फाल्स साबित करते हैं। मैं चाहता हूं कि हाउस उस फैसले को कबूल कर ले और वह फैसला वही है जो कि बम्बई के सम्बन्ध में एस० आर सी० के उन तीनों महानुभावों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था और मुझे यकीन है कि अगर पंडित जी की सही राय देखी जाय, प्राइम मिनिस्टर की तौर पर नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तौर पर और जिनकी कि हम उनके प्राइम मिनिस्टर होने क नाते नहीं बल्कि उस रवीलूशन (क्रांति) के हैड (नेता) होन की वजह से बहुत ज्यादा इज्जत करते है उनकी राय को देखा जाय और उनके दिल को देखा जाय तो उन्होंने खुद फरमाया है कि बम्बई के बार में यह बाईलिंग्वल (द्विभाषी) फैसला ज्यादा पसन्द है। उसी तरह मैं कहूंगा कि पंत जी को होम मिनिस्टर के पद से हटा कर पूछिये तो उनका भी यही मत है कि बम्बई के बारे में कमिशन ने जो बाईलिंग्वल स्टेट की सिफारिश की थी वही सही फैसला है। हमारे श्री सी० डी० देशमुख हाँलाकि फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) अब नहीं रहे हैं और वजारत से हट गये हैं, उनके दिल को कुरेदा जाय तो वह खुद फरमा चुक हैं कि उन्हें बाइलिंग्वल का फैसला पसन्द है.....

एक माननीय सदस्य : एक कमी है अब विदर्भ नहीं रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे कोई शुबहा नहीं है कि अगर उन लोगों की जातीय राय को देखा जाय तो वे एक ही फैसले पर पहुंचते हैं जो कि मैंनें अभी अर्ज किया है।

अभी हमारे पूज्य श्री टंडन जी ने हाउस से जो इस बम्बई के सवाल पर अपील की है, मैं उस अपील का अपने टूटे फूटे अल्फाज़ मै समर्थन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सही नुक्तनिगाह (दृष्टिकोण) से इसका फैसला करें। मैंने अभी अपने दोस्त की श्री गाडगील की तकरीर सुनी और वह तकरीर इतनी पैथोज (करुणा) और फीलिंग (भावना) से भरी हुई थी कि उसका असर हर एक के दिल पर जरूर हुआ होगा। उन्होंने भी यही बात रखी और वह उनके दिल की बात थी कि अगर आज नहीं तो चन्द वर्षों के बाद हम उसी रास्ते पर जायेंगे तो मेरा कहना है कि सही कदम उठाने में देरी क्यों की जाय और उसको टाला क्यों जाय और आज ही हम लोग उस गोल (लक्ष्य) की तरफ क्यों न बढ़ें। मुझे यकीन है कि आप सही तौर पर अपने दिल का फोटू रखते है जब यह कहते हैं कि यह जो बात आप ५ या ७ वर्ष के बाद करना चाहते हैं और जिसके कि रास्ते में इतने "इफ्स" और "बट्स" आयेंगे तो उसको आज ही क्यों नहीं करते। श्री कालीदास ने इस सम्बन्ध में अपने एक श्लोक में क्याही सुन्दर लिखा है :

"अल्पस्य हेतोः बहु हातुम्
इच्छम् विचार मूढ़ो
प्रतिभासि म त्वम् ।।"

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

एक छोटी चीज के वास्ते कि आज महाराष्ट्र यह महसूस कर ले कि हमने बम्बई को ले लिया इस छोटी चीज के वास्ते आप इतने बड़े आईडियल (आदर्श) को जो सारे देश के सवाल को हल करता है जो सारे मुल्क को सही लीड देता है उस को आप छोड़ देना चाहते हैं और उसके पीछे नहीं चलते क्योंकि आप समझते है कि इसमें कोई अपमान होगा, तो मुझे यह बात दुरुस्त नजर नहीं आती। मैं बड़े अदब से और बड़ी ह्युमिलिटी (विनीत भाव) के साथ महाराष्ट्र के भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारी हिस्ट्री (इतिहास) में साइकौलिजक (मनोवैज्ञानिक) मोमेंट आ गया है और एक क्राइसिस (संकट) का दिन हमारे सामने पेश है और अगर हम आज गलती करेंगे तो वह तो गलती ऐसी होगी कि पीछे उसको एटोन (सुधारना) करना मुश्किल हो जायेगा। आज मुझको महात्मा गांधी के वह अल्फ़ाज़ जिन पर वह अमल करते थे याद आते हैं जिनके कि ऊपर अमल करनें का उन्होंने हमें उपदेश दिया। "कि किसी दल जाति अथवा गुट में विश्वास न करो संघर्ष में नेताओं पर भी विश्वास न करो परन्तु प्रत्येक शब्द और काम में ईश्वर पर विश्वास करो सत्य कामी करो।"

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आज वह अवसर पेश है जब कि हम सब को मिल करके जो सही चीज है और जिसको कि बुजुर्ग लोग सही चीज मानते हैं, उसके उपर अमल करना चाहिये। मुझे यकीन है कि इतने बड़े हाउस के अन्दर जहां कि तमाम देश के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनका फैसला बिल्कुल सही होगा। मैंने बहुत दफा पंत जी को और पंडित जी को भी तकरीर में इस मसले पर भी यह कहते सुना है कि हर मसले का आखिरी फैसला पार्लियामेंट (संसद) का होता है, तो मेरा कहना है कि अगर इसका आखिरी फैसला फिलवाकया पार्लियामेंट के हाथ में है तो पार्लियामेंट को आप खुला छोड़िये और किसी के ऊपर आप बंधन न लगाइये और हर एक शख्स को इस सवाल के ऊपर आज़ादी के साथ जो वह अपने दिल में सही राय समझता है उसको हाउस में रखने का हक और अवसर दीजिये और किसी तरह से उसको बंधन में मत बांधिये और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो इस पार्लियामेंट का एक ही फैसला होगा और वह यह होगा कि यहां पर बाइ-लिंग्वल स्टेट हो जाय।

मैं उन वजूहात में नहीं जाना चाहता जिनकी कि बिना पर हमारे महाराष्ट्रीय भाई यह चाहते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र में शामिल किया जाये लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेरा नतीजा बिल्कुल दूसरी तरफ है। मैं इस समस्या का यह सही और माकूल हल नहीं समझता कि आज बम्बई को महाराष्ट्र को उठा कर दे दिया जाये बल्कि सही हल मैं यह समझता हूं कि एक बाइलिंग्वल स्टेट बनायी जाये और उसके वास्ते आज ही फैसला किया जाना चाहिये। और इसको आगे के लिये टाली नहीं जाना चाहिये। श्री एस० के० पाटिल ने बड़ी पुरजोश तकरीर फरमाई और उन्होंने यह कहा कि हम गाडगील साहब और श्री देशमुख के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर फिर किस चीज की कसर है जो आप सब एक साथ मिल करके जो आप के दिल में है उसके मुताबिक सही हल क्यों नहीं पार्लियामेंट में पेश करते और सही लीड कन्ट्री को देत और क्यों इस सवाल को पांच वर्ष के लिये टाल रहे हैं। अगर आप पांच वर्ष तक या किसी अर्से तक इस मसले के हल को टाले रखेंगे तो मुझे यकीन है कि उस वक्त इसका फैसला करना मुश्किल हो जायगा। हम सब जानते हैं और मसल मशहूर ही है कि

"चढ़े चूल्हे पर टिक्का सेक लो"

आज इस सवाल को हल न करने से और इस को आगे के लिये टाल देनें से हजारों तरह की तरकीबें चलेंगीं, गुजराती कुछ सोचगें और बम्बई वाले कुछ सोचेगें और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वे कुछ और ही सोचगे और मैं यह अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप नें इसको पांच वर्ष के लिये टाल दिया तो यह बड़ी भारी गलती होगी और उस अर्से के अन्दर न मालूम कितने एनफ्लुएंस (प्रभाव) वर्क करेंगे और हम आज के फैसले को पाये तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे और इतनी फोरसेज (शक्तियां) इसके पीछे लग जायेंगी कि आज जो बात मौजूद है उसको फिर से हासिल करना मुश्किल हो जायगा।

अभी मेरे भाई वी० बी० गांधी ने पंडित जी की कई स्पीचेज़ (भाषण) पढ़ कर सुनाई और पंडित जी कहते हैं कि इसकी बडी माकूल वजह है कि बम्बई महाराष्ट्र को दे दिया जाये लेकिन मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने क्या पढ़ कर सुनाया । जहां तक पंडित जी की राय का ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि इस सवाल पर पंडित जी की क्या राय है । अगर उनकी आजादाना राय ली जाय तो वह बिला शुबहा बाईलिंग्वल स्टेट की है और अगर पंडित जी को प्राइम मिनिस्टरशिप (प्रधान मंत्रित्व) से हटा दिया जाय, पंत जी को होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) के पद से हटा दिया जाय और हमारे देशमुख साहब तो पहले ही मिनिस्टरी छोड़े बैठे हैं इन तीनों की एक ही राय है जो मैंने आप से अर्ज़ की और पूज्य टंडन जी की भी आवाज उनके साथ है और मैं समझता हूं कि हाउस को बाईलिंग्वल स्टेट बनाने के बारे में अपनी राय पेश करनी चाहिये और मैं चाहता हूं कि हमारे लीडरान को आपस में सलाह मशविरा करके बाईलिंग्वल स्टेट बनाने की लीड कंट्री को देना चाहिये और इस मसले को आगे के लिये टालना नहीं चाहिये । मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज हम इस सवाल को गवर्नमेंट के प्रैस्टिज प्वाइंट आफ व्यु (सम्मान की दृष्टि) से देखेंगे या महाराष्ट्रीयन प्वाइंट आफ व्यु से देखेंगे तो हम अव्वल दर्जे की गलती करेंगे। मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं और वह चीज़ यह है कि जो दिल में लीडरान सही फैसला समझते हैं उसको अमल में लायें और पांच वर्ष के वास्ते इस बम्बई के सवाल को खटाई में न डालें रक्खें क्योंकि पंडित जी कह चुके हैं कि हम इसके लिये रेफ्रेंडम (जनमत संग्रह) नहीं करायेंगे, प्लेबिसिट नहीं करायेंगे तब मैं पूछना चाहता हूं कि इस सवाल को हल करने के लिये कौन सा डेमोक्रेटिक (लोकतन्त्रात्मक) रास्ता अपनाया जायगा और किसी की राय से इस मसले को हल किया जायगा और जिस वक्त इसको करेंगे उस वक्त फिर यह झगड़ेबाजी और टंटेबाजी की सूरत पेश हो जायेगी ।

जो कुछ आपको पांच वर्ष के बाद करना है, वह आज ही कीजिये और सही नतीजे पर पहुंचियें । अगर आप को देश में अमन और अमान रखना है और कुश्त व खून से बचाना है, तो खुदा के वास्ते इस सवाल को पांच वर्ष के लिये न उठा रखिये । मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र की फीलिंग्स (भावनाएं) इस चीज पर बहुत ज्यादा एक्सर्साइज्ड (प्रभावी) है, और कोई ताज्जुब नहीं कि बावजूद सारी रिस्ट्रेंट (संयम) के इस देश के अन्दर एक ऐसी सिचुएशन बन जाय जिस पर हम सबको अफसोस हो और हम उस पर काबू न पा सकें ; लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी नौबत न आये और इसलिये सही फैसला कीजिये । आज हर तरफ से पुकार है कि आज सब लोग मिल कर, ऐसी रिप्रेजेन्टेटिव बाडीज (प्रतिनिधि) निकाय को लेकर, जो कि सही रिप्रेजेन्टेशन लोगों का करती हो, जो अथारिटेटिव (प्रमाणिक) हो जो क्राउड की फीलिंग्स के सामनें अपनें को सबार्डिनेट (अधीन) न कर दे या उन से मुतास्सिर न हों, सही नतीजे पर पहुंचे । आज हम लोग यहां पर हिन्दुस्तान के लोगों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को जानते हैं, इसलिये आज ही फैसला किया जाय और सही फैसला किया जाय। अगर ऐसा किया गया तो फैसला यही होगा कि बम्बई बाईलिंग्वल होगा, बम्बई उसी तरह से रहेगा जिस तरह से कि मैं ने अर्ज किया है । बम्बई के बारे मैं तो मै सिर्फ यही अर्ज करना चाहता था ।

जनाबवाला के सामने कई ऐमेंडमेंट्स (संशोधन) आये हैं, मैं किसी पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता । सिर्फ एक ऐमंडमेंट के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता था जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मुताल्लिक था । जनाबवाला को मालूम है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश के भाई इस कोशिश में हैं कि कहीं किसी तरह से उनको पंजाब के साथ न मिला दिया जाय । पंजाब के भी कुछ लोग इस व्यू के हैं कि उसको इस वक्त नहीं मिलाना चाहिये । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो मेरी पुरानी तजवीज थी और जिस पर मैं आज भी स्टिक (दढ) होना करता हूं,वह यह है कि जैसे बम्बई वगैरह सबको मिला कर साढ़े चार करोड़ आदमियों की स्टेट बनानी चाहिये वैसे ही पंजाब को भी सब तरफ के इलाकों को मिला कर कम से कम तीन करोड़ आबादी की स्टेट बनानी चाहिये, बहुत से लोग और भी चाहने लगे हैं कि उनको मिल जाना चाहिये लेकिन मैं जानता हूं कि शायद आज वह हो नहीं पायेगा । गवर्नमेंट की तजवीज़ है कि हिमाचल प्रदेश के वास्ते सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में १२ करोड़ रुपय रक्खे गये हैं और हमारे कांगड़े के वास्ते, जो कि उतना ही बड़ा इलाका है, और वहां के लोग इतने मालदार भी नहीं हैं, वहां के लिये सिर्फ डेढ़ करोड़ रु० रक्खे गये हैं । मैं नहीं चाहता कि आप हिमाचल प्रदेश को इन फायदों से महरूम (वंचित) रक्खें । उम्मीद है कि उन्हें फायदा होगा और

[पंडित ठाकूर दास भार्गव]

उन्हें गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की मदद मिलेगी। मैं यह नहीं चाहता कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ उनको मजबूर करें कि तुम मौजूदा पंजाब में शामिल हो जाओ। गो कि मेरी नाकिस राय (दीन मत) में सही और मुनासिब हल यही है कि वह पंजाब के साथ शामिल हो और जो पांच बरस का अर्सा पंडित पंत ने फरमाया था वह गुजरने न दिया जाय। लेकिन ताहम मैं समझता हूं कि इन दकीक मामलों में महज यही चीज काफी नहीं होती है कि किसी एक आदमी की राय में सही हल क्या है। इसके लिये लोगों की फीलिंग्स, लोगों की राय और लोगों का फायदा, यह सभी चीजें देखी जाने के काबिल हैं। मैं इसे प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन (व्यवहारिक सुझाव) आज नहीं समझता कि हिमाचल प्रदेश को वहां के लोगों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती पंजाब में शामिल कर दें। हालांकि मैं जानता हूं कि जो एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) का फार्मूला ओरिजनली (मूलतः) था और उसके साथ यू० पी० के दो प्रोविंसिज और इलाके को मिलाना बेहतर होता। मौजूदा हल में भी हमें कोई दिक्कत न होती अगर एक तीसरा रीजन पहाड़ी इलाकों का बनाकर पंजाब में शामिल कर लिया गया होता। लेकिन कुल हालात को देखते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फैसला दिया है, साथ ही जो हिमाचल प्रदेश का फैसला है और पंजाब के भी कुछ लोग इसको चाहते हैं, उसको देखते हुए मैं आज हिमाचल को जबरदस्ती पंजाब में शामिल करने के हक में नहीं हूं गो आखिर पांच वर्ष में इसको शामिल होना ही पड़ेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्य महोदयों से प्रार्थना है कि वे इस कठिनाई को ध्यान में रखें कि मेरे पास सूची में ३० नाम हैं और और नाम आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक लोगों को अवसर मिल सके।

श्री काजरोल्कर : (बम्बई नगर उत्तर रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय : आप नें मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मै आप का आभारी हूं। मेरे दो अमेंडमेंट नं० २२१ और ४८५ हैं। मेरा और मेरे मित्र श्री गांधी का अमेंडमेंट एक ही है। उन्होंने जो अपने विचार आप के सामने रक्खें हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं।

दूसरा जो मेरा अमेंडमेंट है ४८५ नं० का वह यह है :

पृष्ठ ५ पंक्ति ९ से १३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(ख) थाना कोलाबा और रत्नगिरि जिलों से युक्त कोकन का क्षेत्र।"

जब यह स्टेट रिआर्गेनाइजेशन (राज्य पुनर्गठन) का मसला पार्लियामेंट के सामने आया है, छः सात महीने हो गये, तब से देश में बड़ी खलबली मची हुई है। बिल का मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य को ठीक ठीक चलाने के लिये भाषावार प्रान्त बनें। लेकिन जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट निकली तब से बहुत से प्रान्तों के लोग नाराज हो गये और कहने लगे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ जैसे हमारी मराठी में एक कहावत है कि बनाने गये गणेश और बन गया हनुमान। गणेश के जो सूंड होती है, वह सामने होती है लेकिन वह सामने लगाने के बजाय पीछे लगा दी, इसलिये बन्दर बन गया। इसी तरह तरह से एस० आर० सी० की रिपोर्ट जब से निकली है तब से बहुत से लोग बजाय खुश होने के नाराज हो गये हैं। पहले जब उन्होंने बाईलिंग्वल का सुझाव रक्खा तो महाराष्ट्र ने उस का विरोध किया कि बम्बई तो महाराष्ट्र के भीतर है। बहरहाल इस के ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उसके बारे में कई दलीलें पेश की जा चुकी हैं पर नतीजा उनसे कुछ नहीं निकला है। यह समस्या इतनी कठिन है कि जिस का हल निकलना मुश्किल हो गया है। इतनी घटनायें हो गई जिन का ठिकाना नहीं है। तीन चार प्रस्ताव भी आये कि बम्बई स्टेट विदर्भ, गुजरात और बम्बई शहर और महाराष्ट्र को मिला कर बना दी जाय। अगर यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में डिस्कशन (चर्चा) होने के पहले बाहर मंजूर हो कर आये होते तो अधिक अच्छा था, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। अगर महाराष्ट्र और गुजरात के लीडर मिल कर और एक साथ बैठ कर सलाह कर लेते और हमारे लीडर के पास जाते तो यह मामला जल्दी से जल्दी हल हो जाता लेकिन दुर्भाग की बात है कि हम यह नहीं कर सके। यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनको फिर

---

†मूल अंग्रेजी में।

एक होना चाहिये। हमारे बम्बई के लीडर श्री पाटिल साहब, गुजरात के लीडर श्री मोरारजी देसाई. और कोई महाराष्ट्र के लीडर, **हू कैन डिलिवर दि गुड्स** (जो प्रभाव पूर्ण हैं) सब मिल कर समझौता करें तो मैं समझता हूं कि यह समस्या जल्दी से जल्दी हल हो सकती है। बम्बई में जो महाराष्ट्र के लोग हैं वे भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि अगर बम्बई सेपरेट (पृथक) हो जायगा तो बहुत से महाराष्ट्रीयों को बम्बई छोड़ना पड़ेगा। हमारे लीडर तो वादा कर रहे हैं लेकिन ऐसे ढंग से जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। बम्बई के अन्दर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा है कि अगर बम्बई महाराष्ट्र में चला तो मेरा नागपुर को ट्रांसफर (स्थानान्तरण) हो जाएगा।

मेरी पत्नी बम्बई के अन्दर रहती है और वह एक स्कूल में टीचर है। मेरे पिता भी वहीं पर रहते हैं। अगर एक फैमिली को दो तीन जगह जाना पड़ा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह की कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं। हमारे मित्र श्री पाटिल ने एक सुझाव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, जिसको मैंने बहुत पसंद किया है और उसका मैं समर्थन करता हूं। उनका कहना था कि अगर आपने तीन राज्य बनाने ही हैं तो तीनों राज्यों के जो सैक्रेटेरिएट हों, वे बम्बई में ही होने चाहिये। मेरा भी यही सुझाव है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि बम्बई को किसी राज्य में न मिला कर उसको एक अलग स्टेट बना दिया जाय। और उसमें रत्नागिरि, कोलाबा और थाना, य तीन जिले मिला दिये जायें। अगर इस सुझाव को मान लिया जाये तो मेरा विश्वास है कि यह बहुत से लोगों को पसन्द आ जायेगा। महाराष्ट्र से रत्नागिरि तथा कोलाबा को कोई खास आर्थिक लाभ नहीं होगा। ये दो जिले इतने बैकवर्ड (पिछड़े हुए) हैं कि उनको इन्हें फीड (देना) ही करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आज भी इस चीज को मान ले तो मैं समझता हूं कि अगर सौ फी सदी नहीं तो ७५ फी सदी लोग इस चीज को पसन्द अवश्य ही करेगें। इस बारे में मैंनें बहुत से लोगों के विचार लिये हैं और वे इसके पक्ष में हैं। अगर गवर्नमेंट भी इस बात को मान ले तो यह ठीक ही होगा। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो रत्नागिरि का इलाका है वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। रत्नागिरि ने भारत को बहुत से रत्न दे दिये हैं लेकिन अब हमारे नसीब में पत्थर और पहाड़ ही रह गये हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहां पर जो जमीन है, उसमें से जो खेती के काबिल है वह बहुत ही कम है। यहां पर चोटियां चाहे हों लेकिन काबिले काश्त ज़मीन बहुत ही थोड़ी है। लड़ाई के पहले वहां रंगून से चावल आया करता था और अब दूसरे प्रान्तों से चावल आता है। वहां के लोग बहुत गरीब हैं और इस गरीबी के कारण रत्नागिरि तथा कोलाबा के लोग लाखों की तादाद में बम्बई के अन्दर काम करने के लिये आते हैं। आज कोलाबा और थाना से हजारों लोग रोज़ बम्बई में नौकरी करने के लिये आते हैं। इस वास्ते इन ज़िलों को मिला कर यदि एक अलग से बम्बई राज्य बना दिया जाये तो मैं समझता हूं यह बहुत ही अच्छा होगा।

मैं महाराष्ट्रियों तथा गुजरातियों से अपील करता हूं कि अभी भी वक्त है, और उन्हें किसी न किसी हल को ढूंढ निकालना चाहिये। जब हमसे दूसरे प्रान्तों के भाई कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो सदियों से भाई भाई की तरह रहते आ रहे हो, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और बहुत ही बुरा महसूस होने लगता है।

अब अन्त में मैं आपको एक कविता पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

मैं भी अब थोड़ा कहता हूं
क्योंकि बम्बई में रहता हूं
रत्नागिरि का रहने वाला
जहां तिलक था हुआ निराला
रत्नों की कुछ बातें सुनाऊं
समुद्र मंथन नया दिखाऊं
मेरी भाषा तेरी भाषा
तेरी भाषा मेरी भाषा

[श्री काजरोल्कर]

वाह देश में मचा तमाशा
हाय देश में मचा तमाशा
एस० आर० सी० का खुला पिटारा
प्रान्त-प्रान्त का वारा-न्यारा
गये बनाने को गणेश जी
और बन गये हनुमान जी
शहर-शहर में, गली-गली में
मनुज-मनुज के मस्तक-जी में
छाया संशय, छाई शंका
मानो रण का बजता डंका
भाई-भाई जहां युगों से
रहते थे जो बंधु प्रेम से
जहां चक्रधर नरसी मेहता
तुकाराम मीरा संग रहता
लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी
दोनों ने मिलकर ली आजादी
उसी देश में उसी शहर में
नहीं रह सकेंगे एक घर में
एस० आर० सी० का युद्ध बन गया
देवासुर संग्राम ठन गया
चौदह भाषा रत्न निकलते
बड़े मेरू मंदार भी हिलते
इसमें से कुछ अमृत निकला
प्रसन्न हिन्दी भूमि सकला
और जब कि कुछ जहर आ गया
सबकी निन्दा सबकी टीका
कौन पियेगा रे अब विष को
कौन पियेगा रे अब इसको
वह शंकर वह शिव वह वीर
हिम्मत वाला और सुधीर
सह सकता है उसकी ज्वाल
केवल एक जवाहरलाल

† **श्री मो० दि० जोशी** (रत्नागिरि-दक्षिण) : मैंने संशोधन संख्या ४३०, ४३१ और ४३६ प्रस्तुत किये हैं जो श्री काजरोल्कर के संशोधनों से मिलते जुलते हैं। मैं चाहता हूं कि बम्बई भाग 'क' राज्य बने, जिसमें थाना कोलाबा और रत्नागिरि ज़िले शामिल हों। सब से पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं द्विभाषी राज्य के पक्ष में हूं। २१ अक्तूबर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने इसी आशय का संकल्प पारित किया था। दुर्भाग्य से उसे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने स्वीकार नहीं किया।

इस समय स्थिति यह है कि गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा यह चाहता है कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया जाये। यदि द्विभाषी राज्य बनाया जाये तो वह दोनों की सद्भावना से बनाया जाना चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री को महाराष्ट्र की परम्परा और उनके राष्ट्र प्रेम का आदर करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

इस समस्या के प्रारम्भ में हमारे कुछ बड़े नेताओं ने तीन राज्यों का प्रस्ताव रखा था और जब इतनें बड़े लोगों ने उसे रखा तो महाराष्ट्र के लोग उसे सहसा अस्वीकार नहीं कर सकते थे धीरे धीरे उस पर विचार करके उन्होंने उस का उत्तर दिया। वे गुजरातियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे। जैसा कि श्री गाडगील ने कहा है, हम भारतीय भी हैं और महाराष्ट्रीय भी। भारतीय होने का यह अर्थ नहीं है कि हम महाराष्ट्र को बिल्कुल भुला दें।

मेरे ज़िले (रत्नागिरि) में १७ लाख की आबादी है, जिन में से लगभग ५ लाख व्यक्ति अभी बम्बई में रहते हैं। श्री पाटिल, श्री काजरोल्कर और श्री गांधी जैसे व्यक्ति हमारे ही ज़िले के रहने वाले हैं। मैंने स्वयं अपनें जीवन के पन्द्रह वर्ष बम्बई में बितायें हैं अतः बम्बई और रत्नागिरि को पृथक् नहीं किया जाना चाहिये। यदि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया तो हो सकता है कि पांच वर्ष बाद भी वह अलग ही रहे। बम्बई पृथक होनें की दशा में वहां से हजारों महाराष्ट्रियों को पूना जाना पड़ेगा और यह एक पुनर्वास की समस्या बन जायेगी। भारत में अनेक एक भाषी राज्य हैं फिर भी वह एक बहुभाषी देश हैं। अतः भाषा के आधार पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये।

हमारे ज़िले में गुजरातियों के ५०० परिवार रहते हैं और बम्बई में इतनी गड़बड़ होने के बाद भी हमने उन पर कोई आंच नहीं आने दी। उन के प्रति हमें उतनी ही श्रद्धा है जितनीं महाराष्ट्रियों के प्रति है। मैं तो अब भी यह कहता हूं कि यदि बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया जाये तो मैं उसका सहर्ष स्वागत करूंगा। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनकी बम्बई के पत्रों ने और बम्बई की जनता ने प्रशंसा की है। बम्बई में भी प्रजातांत्रिक शासन होना चाहिये और यदि उसे केन्द्र के अधीन रखा गया तो वहां के नागरिक इस अधिकार से वंचित रह जायेंगे। अतः मैं फिर यही निवेदन करता हूं कि बम्बई के पृथक राज्य का निर्माण किया जाय जो बाद में द्विभाषी राज्य में मिलाया जा सके।

†**श्री स० का० पाटिल** (बम्बई नगर-दक्षिण): बम्बई के प्रश्न पर भाषण देने के लिये मुझे फिर खड़ा होना पड़ा है, किन्तु इस विषय पर मैं अपील करने के लिये अंतिम बार बोल रहा हूं।

इस प्रश्न पर श्री अशोक मेहता, श्रद्धेय टंडन, पंडित ठाकुर दास भार्गव, और श्री तुलसी दास ने जो प्रभावोत्पादक भाषण दिये हैं उनकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। मैं भी पूर्ण रूप से यही चाहता हूं कि बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया जाये।

प्रधान मंत्री नें ठीक ही कहा है कि हम सब क्रांति के सिपाही हैं और क्रांति का वह जोश हम में अब भी मौजूद है।

आज हमारे देश में एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुजरातियों और महाराष्ट्रियों में पहले जो कुछ कहा सुनी हुई है उसे भूल कर उन्हें एक हो जाना चाहिये अन्यथा उनके झगड़े का कभी अन्त नहीं आयेगा। जब वे पिछले १५० वर्षों से एक ही राज्य में भाई-भाई की तरह रहते चले आ रहे हैं तो अब भी वे उसी प्रकार आनन्द से रह सकते हैं।

हम देखते हैं कि सभा में सभी लोक द्विभाषी राज्य के पक्ष में हैं। श्री देशमुख की भी यही राय है। जब इस ओर ही सबका ध्यान जा रहा है तब इस कार्य को सफल बनाना असम्भव नहीं हो सकता।

यूरोप के इतिहास से हमें पता चलता है कि वहां के राज्यों में जब कभी सीमा-निर्धारण का प्रश्न उपस्थित हुआ तब झगड़े अवश्य हुए, किन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश में यह प्रश्न शान्तिपूर्वक ढंग से हल कर लिये जायेंगे और प्रधान मंत्री सभी की राय पर पूरा पूरा ध्यान देंगे।

मैं अपने भाषणों में सदैव यही कहता रहा हूं कि द्विभाषी राज्य ही हमारी समस्या कासब से अच्छा हल है। राज्य पुनर्गठन आयोग नें भी यही सिफारिश की थी। इस बात को गुजरात नें भी स्वीकार किया था, किन्तु महाराष्ट्र प्रदेश की कांग्रेस समिति ने यह संकल्प पारित किया कि यदि बम्बई में विदर्भ भी शामिल कर दिया जाये तो वे बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाने के लिये तैयार हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री सा० का० पाटिल]

इस पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने आपत्ति की। इसका कारण यह था कि ऐसे राज्य में वे अल्प संख्या में रहेंगे। उनकी संख्या ३५ प्रतिशत ही होगी जब कि महाराष्ट्रियों की संख्या लगभग ६० प्रतिशत हो जायेगी। इतना होते हुए भी म समझता हूं कि गुजराती जनता राष्ट्र के हित को ध्यान में रखेगी और द्विभाषी राज्य को स्वीकार कर लेगी। गुजराती और महाराष्ट्रीय सदा से भाई-भाई के समान रहते चले आ रहे हैं।

बम्बई में जो कुछ हुआ है उसको भूल जाना चाहिये। जैसे एक परिवार में बड़ा भाई और छोटा भाई दोनो रह सकते हैं उसी प्रकार वे भी बम्बई में रह सकते हैं यदि इस स्थिति को आज नहीं ठीक किया गया तो आज से पांच वर्ष बाद भी वह नहीं ठीक हो सकेगी। बल्कि उसके और अधिक लझ जानेकी सम्भावना है। यदि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सभा की राय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करें तो यह काम अब भी हो सकता है। हमें प्रजातांत्रिक साधनों पर विश्वास रखना चाहिये। जब सभा के अधिकांश लोग इसी पक्ष में हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि उन की बात नहीं मानी जाय।

मेरे मित्र श्री काजरोल्कर नें 'सागर' राज्य का सुझाव दिया है किन्तु हमें और अधिक उलझनें पैदा करने की जरूरत नहीं। जो उलझने पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें सुलझाना हमारा कर्त्तव्य है। मैं स्वयं भी महाराष्ट्र का निवासी हूं। यह बात दूसरी है कि मैं मराठी नहीं बोलता किन्तु महाराष्ट्र के प्रति मेरे हृदय में भी प्रेम है। मैं नहीं चाहता कि बम्बई को केवल १८९ वर्ग मील का राज्य बनाया जाय। यदि बम्बई नगर एक विशाल राज्य की राजधानी रहेगा तो उसकी उन्नति और उसके महत्व में कोई रूकावट पैदा नहीं होगी।

गुजरातियों और महाराष्ट्रीयों में जो झगड़े हुए हैं, उन पर विचार न करके हमें समस्त राष्ट्र का हित अपने सामने रखना है। द्विभाषी राज्य बनने पर वे दोनों अपने भेद भाव को भूल जायेंगे और कुछ समय बाद अपने आप ही हिल मिल कर रहना प्रारम्भ कर देंगे।

अन्त में मैं और एक बार ज़ोरदार शब्दों में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बम्बई का द्विभाषी राज्य बनने में ही देश का कल्याण निहित है और मुझे पूरी आशा है कि इस विचार को अवश्य ही कार्यरूप में परिणत किया जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : संशोधन संख्या ४६२ पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य तत्व मानने का मैं विरोधी हूं। भारत जैसे अविकसित और पिछड़े हुए देश में भाषा को इतना अधिक महत्व देने का परिणाम यह होगा कि हमें अनेक राज्य बनाने पड़ेंगे, जो हमारे लिये संभव नहीं है।

दु:ख की बात है कि बम्बई के प्रश्न पर एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के विरूद्ध बहुत कुछ कहा है। हमें किसी वर्ग विशेष का समर्थन करने में दिलचस्पी नहीं है। आदिवासी दूसरों की अपेक्षा अधिक भारतीय हैं।

कांग्रेस दल के निर्णयों की कटु आलोचना की गई है। परन्तु राजनीतिक परिधि से ऊपर उठ कर ही इस समस्या का हल करना होगा। इसलिये मैं सभा के नेता से स्पष्ट शब्दों में यह बात कहनें के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभा के दोनों पक्षों को अपीलें की गई हैं और अगला विधेयक आने पर भी अपीलें की जायेंगी; परन्तु अपील करने वालों को पहले उन अपीलों का स्वागत करना चाहिये। हमें एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना चाहिये। कई बार बाहर के लोग उत्तम हल बता सकते हैं। इसलिये मैं अपनी मांगों के बारे में चुप रहूंगा और इस समस्या पर यदि हो सका तो, कुछ कहूंगा।

मैंनें द्विभाषी राज्य सम्बन्धी नहीं अपितु बहुभाषी राज्य सम्बन्धी संशोधन पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि मराठी, गुजराती और इस क्षेत्र की अन्य भाषाओं को स्थान दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं समझता हूं कि इसका वास्तविक हल यही है कि पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली बहुभाषी राज्य बना दिया जाये जहां केवल मराठी और गुजराती भाषी लोग ही न हों बल्कि अन्य भाषाओं के लोग भी हों ।

अगर हमें सचमुच ही कोई हल ढूंढना है तो अब इस सभा के नेता को अपीलें करना बन्द करके जो कुछ वह अच्छा समझते हैं उसको अमल में ले आना चाहिये । वह काफी अपीलें कर चुके हैं । मगर वे सब व्यर्थ गई हैं । हमें अब अधिक प्रजातांत्रिक बनने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भारत में प्रजातंत्र अभी अपनी प्रादुर्भाव की अवस्था में है । इसलिये हमें उसकी कठिनांइयों को समझते हुए जो कुछ ठीक है वह कर देना चाहिये ।

आखिर यह प्रजातांत्रिक ढंग क्या है ? इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरा विचार जाना जाये अथवा इस सभा के नेता का विचार जाना जाय बल्कि इसका यह अर्थ है कि समूचे राष्ट्र का विचार जाना जाये । अर्थात उस विषय विशेष को लेकर उस पर समग्र जनता का मत लिया जाये । किन्तु हमारे सामने एक यही मसला नहीं है । और हम हर मसले को लेकर जनमत संग्रह नहीं कर सकते हैं । दूसरे जनता की भी हर मामले में समान रूप से दिलचस्पी नहीं हो सकती है । मगर यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और इस पर मेरे कई मित्रों ने यह कहा भी है कि वे द्विभाषी बम्बई राज्य के पक्ष में हैं । इस प्रकार कई ऐसे सदस्य भी हैं जो इस कार्य में सभा के नेता का साथ देनें के लिये लालायित हैं । मगर वे इस सभा में अन्यथा होनें पर उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं । अतः जब इतने लोग स्वयमेव उनको कोई बात करनें के लिये कह रहे हैं तो उन्हें उसके लिये आगे बढ़ना चाहिये । हम सब उनके साथ हैं इस सभा में भी तथा इसके बाहर भी अनेक लोग उनका साथ देनें को तैयार हैं । इसलिये अगर वह राष्ट्रीय हित में आबू पर्वत को छोड़ विदर्भ, महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ आदि, इलाकों को मिला कर एक बहुभाषी राज्य बनाने का दृढ़ निश्चय करेंगे तो उन्हें सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है ।

श्री गोपी राम (मंडी-महासु–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एस० आर० सी० बिल, (राज्य पुनर्गठन विधेयक) १९५६ की क्लाज़ १३ पर मूव की गई एमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर ४०१ को अपोज़ करनें के लिये खड़ा हुआ हूं । श्री नन्द लाल शर्मा जी नें इस तरमीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने की मांग की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के नक्शे को अज़सिरे नौ (आरम्भ से) खींचते वक्त काफी गरमा गरमी रही है और हर एक पहलू से अपनें अपनें नुक्तेनिगाह को पेश करते वक्त काफी जोर आज़माई हो चुकी है । मैं हिन्दुस्तान के नक्शे को सामनें रखते हुए, हिमाचल प्रदेश के बारे में अपनें खयालात का इज़िहार करना चाहता हूं । मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे भी अपने ख़यालात का इज़िहार करने का मौका दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज़ोर आज़माई तो नहीं करनीं है और न ही हमारे लोगों को ज़ोर आज़माई करनें की आदत ही है । मैं तो उन गरीब और पिछड़े हुए लोगों की सिर्फ एक आवाज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और उस आवाज़ को रोशनी में लानें के लिये न तो हमारे पास कोई प्रेस है और न ही हमारे पास प्लेटफार्म है और न हीं फाइनेंसिस (वित्त) है । इसके आलावा हम किसी किस्म के मुज़ाहरे कर के अपने नुक्तेनज़र (दृष्टिकोण) को पेश करना नहीं जानते हैं । हमारे प्रदेश के लोग सीधे सादे लफ्ज़ों में देश के नेता, सिर्फ देश के नेता ही नहीं बल्कि दुनियां के नेता, श्री जवाहरलाल नेहरू तथा पंडित पंत और इस सदन के तमाम मैम्बरान के सामनें एक ही मांग पेश करना चाहते हैं और वह मांग यह है कि हिमाचल में रहने वाले पिछड़े हुए तथा गरीब लोगों की तरक्की और बहबूदी को मद्देनज़र (ध्यान में) रखते हुए उनको अपनें पैरों पर खड़े होने का एक मौका दिया जाय ।

हिमाचल के लोग खुश हैं । उनका एक स्वप्न था, एक खाब था कि फुलफ्लेज्ड स्टेट (पूर्ण राज्य) उनको मिले । तो वह वक्त भी दूर नहीं है जब कि जो हमारी यह दिल की मांग है, जो यह हमारी हबस है, वह पूरी होगी । आज जो तसवीर हमारे सामने है उससे इस मांग को तकवीयत मिलती है । मौजूदा हालात में हम कोई भी ऐसी अड़चन डालना नहीं चाहते जिससे कि मुल्क की यकजहती और तरक्की में रुकावट पैदा हो ।

[श्री गोपी राम]

मुझे अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश की हस्ती को खत्म करने के लिये आज श्री नन्द लाल शर्मा जी ने यह तरमीम पेश की है। मुझे जाती तौर पर उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, हमारा रहन सहन कितना गरीबी का है, इन चीज़ों पर सोच विचार किये बगैर, आइंदा आने वाले जेनरल इलेकशंस को ही मद्देनज़र रखते हुए, इस तरमीम को पेश किया गया है। मै यह समझता हूं कि इस अमेंडमेंट (संशोधन) को देकर उन्होंने श्री नि० चं० चटर्जी के फार्मुले का खुला मुज़ाहरा किया है। श्री चटर्जी नें वैस्टर्न पाकिस्तान के खतरे से बचने के लिये अपने फार्मुले में महापंजाब का नक्शा दिया है लेकिन दूसरी तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान से जो खतरा पैदा हो सकता है, उससे बचने के लिये उन्होंने बिहार और बंगाल के मर्जर को कबूल नहीं किया और उसकी मुखालिफत करते रहे हैं और कर रहे हैं। उनको बिहारियों की डौमिनेशन से नफरत है और हिमाचल प्रदेश की जनता की अलहदा रहने की आवाज़ की वह परवा नहीं कर रहे हैं। यह उनकी अपनी राय है और मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मुझे खुशी होगी अगर पंजाब तरक्की करे। हम पंजाब की तरक्की में रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते कि हिमाचल का पिछड़ा हुआ इलाका पंजाब की तरक्की में किसी तरह से अड़चन पैदा करे। हम जानते हैं कि पंजाब का भारत की तवारीख में एक खास स्थान है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियां की हैं। हम यह भी जानते हैं कि डिवेलेपमेंट (विकास) के फील्ड (क्षेत्र) हम पंजाब का मुकाबिला जल्दी नहीं कर सकेगें। लेकिन हमें यकीन है कि हम चन्द सालों में पंजाब के मुकाबिले पर तरक्की कर जायेगें। मगर एक बात जो साफ है वह यह है कि हिमाचल के पिछड़े हुए लोग सदियों तक पंजाब के पालिटिक्स (राजनैतिक दांवपेच) का मुकाबिला नहीं कर पायेगें। हरियाना वाले और कांगड़ा के रहने वाले पंजाब की पालिटिक्स से तंग आ गये हैं। जब वहां के ही लोग तंग आ गये हैं तो हम जो पिछड़े हुए हैं किस तरह से उनके साथ मुकाबिला कर पायेगें।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लफ्ज़ों के साथ इन एमेंडमेंट की मैं मुखालिफत करता हूं और सदन के तमाम मैम्बरों से पुरज़ोर अपील करता हूं कि वे संजीदगी के साथ हिमाचल की नौइयत पर गौर करें और इन एमेंडमेंट की मुखालिफत करें ताकि हम भी मुल्क की चलती हुई गाड़ी का एक डिब्बा बनकर उसके साथ चल सकें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : आज इस सभा का वातावरण फिर कुछ बदला हुआ है, मुझे इस बात की तो खुशी है कि बम्बई और गुजरात के सदस्यों का आपसी मत वैभिन्य पट गया है कि बार बार जो यह कहा जा रहा है कि भाषावार राज्य ही इस सब विद्वेष तथा दुर्भावना की जड़ थे मैं उससे सहमत नहीं हूं। वे लोग अभी यहां पर जनता की भावनांओं से बहुत दूर बैठे हुए हैं। हमारे बंगाल के प्रधान मंत्री नें भी बिहार और बंगाल को मिलाने का प्रयत्न किया था। मगर बंगाल की जनता नें उन्हें इस बात में मुंह की खानें के लिये मजबूर कर दिया। लेकिन इस सबके बावजूद भी आज भी बिहारी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। कलकत्ता में आज अनेकों बिहारी हैं। हम उनका एक भी बाल बांका नहीं होने देंगे। इसी प्रकार बम्बई के महाराष्ट्र में मिलने पर भी सभी लोग वहीं रह सकते हैं। बम्बई एक विश्वजनीन नगर है। इसमें महाराष्ट्रीयन, गुजराती, आन्ध्र, तामिल, फ्रेंच, चीनी, अंग्रेज आदि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। मगर फिर भी इसकी हिन्दुस्तान के कुछ अन्य नगरों जैसे मद्रास तथा कलकत्ता आदि से कोई भिन्न स्थिति नहीं है। वे भी इसी प्रकार के विश्वजनीन नगर हैं। इसलिये उसके बारे में कोई विशेष उपबन्ध करना खतरे से भरा हुआ है। मैं कलकत्ते की रहने वाली हूं। मैं पूछती हूं कि बम्बई में कौन सी ऐसी बात है जो कलकत्ते में नहीं है। लेकिन कलकत्ता फिर भी बंगाल राज्य में हैं और वह आज भी विश्वजनीन नगर है। हमें आज भी इस बात का गर्व है। मगर इस सब के बावजूद भी हम भाषावार राज्यों का समर्थन करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत की विभिन्नता में ही उसकी एकता निहित है। हमारे यहां १४ राष्ट्रीय भाषायें हैं। संसार का कौन अन्य देश यह कह सकता है कि उसकी १४ राष्ट्रीय भाषायें हैं? लेकिन इन सब के बावजूद भी हम एक राष्ट्र हैं। हमें भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार पर बने हुए राज्यों का एक राष्ट्र में होने का गर्व

†मूल अंग्रेजी में।

है हम सब मिल कर एक भारत राष्ट्र हैं। इसलिये यह बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिये कि बम्बई भी एक खास परिस्थिति है और इसलिये उसके मसले का एक खास ढंग से हल हो अथवा यह केवल द्विभाषी राज्य के रूप में ही टिका रह सकता है। आप एक भाषी राज्य का क्या अर्थ समझते हैं ? मैं इसे एक भाषी राज्य भी नहीं कहना चाहती। मैं तो इसे भाषावार राज्य कहना चाहती हूं जिसका यह अर्थ है कि कोई राज्य वहां पर बहुसंख्या द्वारा बोली जानी वाली भाषा के आधार पर बना हुआ है। उसमें अन्य भाषा भाषी भी हो सकते हैं इसीलिये हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक भाषाभाषियों के परित्राणों का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसकी बाद में यथावसर चर्चा करेंगें।

श्रीमान, अब आपने इच्छा अनिच्छा से एक सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। आपने इसी आधार पर आन्ध्र का राज्य बनाया है। इसी आधार पर आप को हैदराबाद का बंटवारा करना पड़ा है। बंगाल में भी इसी सिद्धांत की विजय हुई है। और अब पंजाब में भी कुछ सीमा तक आप इसी सिद्धांत को लागू करने जा रहे है। आपने इसी आधार पर कर्नाटक भी बना दिया है। और जहां जहां भी आपने इस सिद्धान्त की अवहेलना की है उसी जगह पर ज्यादा गड़बड़ियां हुई है। इसीलिये हम कहते हैं कि आप भाषावार आधार पर ही भारत की एकता कायम रख सकते हैं।

इसके बाद मैं अपने एक छोटे से संशोधन के बारे में दो शब्द कहना चाहती हूं। 'मैसूर' का नाम बदल कर इसके स्थान पर 'करनाटक' रख दिया जाये। मुझे 'मैसूर' नाम से कोई खास चिढ़ नहीं है। मगर यह केवल एक शहर का नाममात्र है। और कोई राज्य किसी शहर के नाम पर नहीं अपितु वहां के लोगों के नाम पर होना चाहिये। इसीलिये आज मद्रास वाले भी अपना नाम बदल कर तामिलनाद रखना चाहते हैं। तथा हम आज भी बंगाल राज्य को कलकत्ता राज्य नहीं कहतें हैं। इन्हीं विचारों के आधार पर मैंने यह संशोधन रखा है कि नए राज्य को 'मैसूर राज्य' के स्थान पर 'कर्नाटक राज्य' कहा जाये।

इसके बाद मैंनें सीमा आयोग के बारे में एक संशोधन रखा है। यदि सरकार किसी सर्वसम्मत बात को मानती है तो उसे उस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। कुछ महीने पहले जब हमनें इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा था तो उस समय प्रधान मंत्री ने इसको हंसी में उड़ा दिया था। मगर आज श्री सी० सी० शाह और श्री सी० डी० देशमुख ने भी इस पर विचार करने के लिये कहा है इस सीमा आयोग को तीन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करना चाहिये। इसे यह देखना चाहिये कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र की बहुसंख्या कौन सी भाषा बोलती है। वह क्षेत्र किस राज्य के समीप है या साथ लगा हुआ है तथा इसे एक गांव को सीमा निर्धारण का इकाई मानना चाहिये।

श्रीमान्, हमने बंगाल और बिहार के सीमा निर्धारण के जटिल प्रश्न को देखा है। हमने देखा है कि सरायकेला और खार्सवान को ले कर कैसे सारे उड़ीसा राज्य में खलबली मच गई थी। इस सीमा निर्धारण के प्रश्न में बड़ी पेचीदगियां हैं। हमें इसमें कई पहलुओं को देखना पड़ता है। हमें इसमें जन संख्या के आंकणों की जांच करनी पड़ती है यह सब कार्य यह सभा नहीं कर सकती। इसलिये सीमा आयोग की स्थापना बड़ी आवश्यक है।

इस सभा में यह कहा गया है कि तिलक ने जो यह कहा था कि "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" उस महानता को महाराष्ट्रीयन लोग भूल गये हैं। मेरा यह कहना है कि यह स्वराज्य केवल ऊपर चोटी पर अथवा केन्द्र में ही नहीं मांगा गया था यह मांग प्रत्येक स्तर के लिये की गई थी। प्रत्येक प्रान्त को, प्रत्येक नगर को, स्वायत शासन का अधिकार होना चाहिये इसीलिये तो हम भाषावार राज्य मांग रहे हैं ताकि हर स्थान के लोग अपने प्रशासन को समझ सकें और फिर स्वायत शासन का उत्तरदायित्व निभा सकें। इस प्रकार महाराष्ट्र के लोग जो बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के लिये कह रहे हैं वह तिलक की शिक्षा के अनुरूप ही है। इसमें कुछ भी उसके विरूद्ध बात नहीं है। अब भी यदि आप महाराष्ट्र के लोगों से इस विषय पर मत लेंगे तो कोई भी उसे द्विभाषी राज्य बनाने के पक्ष में नहीं होगा। इसलिये हमें इतिहास का रुख देखना चाहिये और देखना चाहिये कि इतिहास हमें किस ओर ले जा रहा है। हमें इतिहास को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। भाषावार राज्यों में भारत की एकता और सुदृढ़ता निहित है।

†**डा० गंगाधर शिव** (चित्तूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं खंड ३ पर रखे गये संशोधन संख्या २१७ का समर्थन करता हूं। लेकिन अपना भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व मैं आयोग के सदस्यों को उनके मनस्वी निर्णयों के लिये बधाई देना चाहता हूं। वे आधुनिक भारत के त्रिमूर्त्ति—ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं जिन्होंने कि भारत की एकता, सुदृढ़ता तथा विकास से प्रेरित हो कर वर्तमान भारत का मानचित्र तैयार किया है। वे तीनों बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा उनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है।

अब मैं बेल्लारी पर आता हूं। मैसूर के लोगों का बेल्लारी का मांगना किसी भी भांति उचित नहीं जंचता है। वहां पर की तुंगभद्रा परियोजना आंध्र के लोगों के स्वेद से पूर्ण की गई है। और रायल सीमा के दुर्भिक्षों को देखते हुए ही बेल्लारी के लोगों ने परिश्रम करके यह परियोजना बनायी है। आयोग ने भी स्पष्ट रूप से बेल्लारी को आन्ध्र के राज्य में रखने की सिफारिश की है। इसी प्रकार आयोग ने कोलार के बारे में भी यह सिफारिश की है कि वहां भी तेलुगुभाषी लोगों की बहुसंख्या है। इसलिये कोलार भी आन्ध्र में मिलाया जाना चाहिये।

यह कहा गया है कि कुछ प्रसिद्ध अधिकारियों का यह कथन है कि बेल्लारी को करनाटक में ही रखा जाय। किन्तु न्यायधीशों के निर्णय अधिक मान्य नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि वह उड़ते हुए बादलों की तरह होते हैं। वे एक न्यायालय और दूसरे न्यायालय में भिन्न होते हैं। इसलियें ऐसे लोगों के निर्णय को नहीं माना जा सकता है।

अन्त में मैं इस सभा से अपील करता हूं कि वह राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर गम्भीरता पूर्वक मनन करे। उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि मैसूर एक समृद्ध राज्य है जबकि रायलसीमा को इन जलविद्युत तथा सिंचाई योजनाओं की बड़ी आवश्यकता है। आयोग ने भी यही कहा है कि यह तुंगभद्रा परियोजना केवल रायलसीमा के हित के लिये चालू की गई है। अभी हाल ही में गृह-कार्य मंत्री ने भी रायलसीमा का दौरा किया था और उन्होंने भी हमारी सब कठिनाइयों का अनुभव किया है। ऐसी स्थितियों में इस सभा को बेल्लारी को आन्ध्र में मिलाने की सिफारिश करनी चाहिये।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : कुछ दिन पहले मैंनें इस सभा से यह अपील की थी कि इस विधेयक पर कुछ अरसे के लिये विचार स्थगित कर देना चाहिये क्योंकि इससे लोगों के विचार बहुत भड़क उठे हैं। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के आघात पहुंचे हैं। कुछ लोगों नें मेरे इस तर्क को माना भी था। मगर हमारे प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री ने इस बात पर कोई ध्यान देने का कष्ट नहीं किया है।

आज बम्बई के बारे में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। विभिन्न दलों के वक्ताओं नें यह इच्छा प्रकट की है कि वर्तमान बम्बई के साथ विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ को मिला कर एक बड़ा बम्बई राज्य बना दिया जाये। इसका बम्बई, महाराष्ट्र तथा गुजरात सभी के वक्ताओं ने समर्थन किया ह। किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। श्री देशमुख यही चाहते हैं, श्री पाटिल इससे सहमत हैं, फिर अब प्रधान मंत्री को इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये।

इसमें हमारे साम्यवादी भाईयों को एक इतराज़ है। वे कहते हैं कि भारत का भाषायी आधार पर विभाजन होना चाहिये। किन्तु मेरी समझ में स्वतंत्रता से पहले कभी भी एक प्रान्तीय भाषा का दूसरी प्रान्तीय भाषा द्वारा दबाये जाने का प्रश्न नहीं उठा था। हां, हमें विदेशी भाषा जो कि मैं अब बोल रहा हूं, का अवश्य डर था। यह सारा बखेड़ा अभी हाल ही का खड़ा किया हुआ है पहिले भी गुजराती और मराठी एक ही राज्य में रहते थे। तब गुजराती को मराठी से दबने का कभी प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ था। महाराष्ट्र में सभी प्रायमरी स्कूलों में मराठी पढाई जाती थी और गुजरात में गुजराती। भाषायें तो उसके प्रयोक्ताओं के कारण समृद्ध बनती है। आप बंगला को देखिये उसमें

---

†मूल अंग्रेजी में।

कुछ प्रतिभावान लेखक हुए। उससे वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं से अधिक समृद्ध बन गयी है । वैसे ही मराठी और गुजराती का भी विकास हुआ है। अतः गुजरात और महाराष्ट्र की एकता में गुजराती और मराठी भाषा को एक दूसरे से डरने का कोई कारण नहीं है ।

कई लोगों ने यह कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात एक होने पर एक दूसरे के पूरक तथा सहायक देश हो सकते हैं। वास्तव में यह बात बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के एक हो जाने से बम्बई एक आदर्श राज्य बन जायेगा। कई कांग्रेसी भी इस बात को मानते हैं। लाबी में वह इसका समर्थन करते ह। मगर मालूम नहीं वे इस सभा में ऐसा कहने का साहस क्यों नही कर पाते हैं ? यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। ऊनको इस विषय पर अपने सही विचार रखनें चाहिये। इससे उनके बारे में किसी प्रकार की ग़लत फहमीं होनें का डर नहीं है ! अन्त में मैं इस सभा से फिर यह अपील करता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक राज्य बना देना चाहिये जिसकी राजधानी बम्बई में रहे। यह हल सभी को स्वीकार्य होगा ।

†**श्री वें० पि० पवार** (दक्षिण सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन विचाराधीन खंडों और उनसे सम्बन्धित संशोधनों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मेरे संशोधनों का सारांश यह है। पहला संशोधन संख्या १५४ सीमा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में है कि सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निबटानें और उन्हे अन्तिम रूप से तय करनें के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये। संशोधन संख्या १५५ द्विभाषी क्षेत्रों की सीमा के बारे में मूल सिद्धांत निर्धारित करने सम्बधी में है । इसके पश्चात मैं नें बेलगांव और करवार के बारे में खंड ७ के लिये संशोधन रखे हैं। मैं चाहता हूं कि सीमा सम्बन्धी झगड़े सदैव के लिये समाप्त हो जाने चाहिये; मैंने अपने संशोधन संख्या १३४, १३५ और १३६ में यह प्रस्ताव किया था बेलगांव और करवार जिलों की ७० प्रतिशत मराठी भाषी क्षेत्र नये प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया जाना चाहिये संशोधन संख्या १५० में मैंने सुझाव दिया है कि बृहत्तर बम्बई प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया जाना चाहिये। प्रस्तावित संशोधन संख्या १४१ में सुझाव दिया गया है कि यदि बम्बई नगर अभी प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में नहीं मिलाया जाता है तो उसके विलय के लिये एक समय सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये जब कि वह स्वयं ही महाराष्ट्र में मिल जायगा। संशोधन का सार यह है कि जब तक बम्बई के भविष्य के बारे में संसद अन्यथा संकल्प द्वारा निश्चय न करे, पांच वर्षों के अन्दर बम्बई नगर महाराष्ट्र राज्य का अंग बन जायेगा। इसके पश्चात खंड ३ से १४ के बारे में संशोधन है। वे साधारण से संशोधन हैं। किन्तु राज्यों के पुनः नाम देने की दृष्टि से ये बड़े आवश्यक हैं।

मैं विधेयक के खंड ७ और ८ के बारे में श्री देवगिरिकर के विपति टिप्पण से पूर्ण सहमत हूं। मैं उनका समर्थन करता हूं। यह कहना बिल्कुल असत्य है कि महाराष्ट्र द्विभाषी या त्रिभाषी राज्य के पक्ष में है किन्तु वास्तिविकता यह है कि महाराष्ट्री इसके कट्टर विरोधी हैं। श्री खर्डेकर और श्री स्वामी रामानन्द इसके साक्षात उदाहरण हैं। केवल कुछ लोगों को छोड़ कर कोई भी महाराष्ट्री द्विभाषी अथवा बृहतर राज्य को पसन्द नहीं करेगा। जो विकास आज हो रहे हैं और महाराष्ट्र में जो दुःखद घटनायें हुई हैं ,उनको देखते हुए कोई भी महाराष्ट्री द्विभाषी अथवा बहुभाषी राज्य के प्रस्ताव को पसन्द नहीं करेगा । संसद प्रभुत्व सम्पन्न है, इस सिद्धान्त को मैं मानता हूं। कुछ लोग द्विभाषी राज्य की भले ही सिफारिश करें किन्तु महाराष्ट्री द्विभाषी राज्य बनाने के घोर विरोधी हैं।

मैं अपने पहले वाले भाषण में कह चुका हूं कि द्विभाषी राज्य में सहयोग से और शांतिपूर्वक काम नहीं हो पाता जिससे राष्ट्रीय विकास में बाधा पड़ती है। जिस राष्ट्र निर्माण के महान कार्य को हमनें हाथों में लिया है उसे भी लोग उतने उत्साह से नहीं करेंगे।

बम्बई की समस्या के बारे में भी काफी ठोस और प्रभाव पूर्ण तर्क-वितर्क किये गये हैं। किन्तु बम्बई नगर को महाराष्ट्र राज्य से अलग रखने के बारे में कोई स्पष्ट और विश्वासोत्पादक बात नहीं कही गई है। मैं यह सब बातें मानता हूं कि शान्ति स्थापित हो जाने दीजिये और देश में स्वस्थ वातावरण

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री वें० पि० पवार]

उत्पन्न हो जाने दीजिये। किन्तु मैं पूछता हूं कि इस सब का कारण है क्या ? यह सब गड़बड़ इसलिये हो रही है कि महाराष्ट्रीयों के उचित दावे को अस्वीकार किया जा रहा है। इसलिये महाराष्ट्रियों में असंतोष और निरुत्साह है।

हमारे सामनें एक द्विविधा उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्री नेताओं ने इसको हल करना चाहा किन्तु उसका कुछ भी उत्तर नही मिला। इस कुचक्र को कौन दूर करेगा ? केवल प्राधिकारी तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्ति ही इसे दूर कर सकत हैं। कहा जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन से विष उत्पन्न हो गया है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे अवसर पर शिव बनकर विष पान करना चाहिये। देश के नेताओं को साहस बटोर कर इस समस्या को हल करना चाहिये। यदि हमारे नेता इस बात को मान लेते हैं कि महाराष्ट्र की माँग ठीक है और न्यायोचित है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिये यह उचित समय है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाये। हमसे कहा जाता है कि हम पांच वर्षों तक धैर्य रखें। किन्तु इसका निर्णय दो-चार वर्षों में नहीं किया जा सकता।

सीमा सम्बन्धी झगड़ों के बारे में मैंने कहा है कि कुछ मुलभूत सिध्दांतों को लकर इन झगड़ों के लिये एक समान नीति बनायी जानीं चाहिये। ये झगड़े चाहे महाराष्ट्र और महाकौशल में हों अथवा महाराष्ट्र और गुजरात में, इनके लिये समान नीति अपनाई जानी चाहिये। मैं कह चुका हूं कि कोल्हापुर और रत्नागिरि के जिलों का लगभग ३,००० वर्ग मील क्षेत्र मराठी बोलनें वालो का है। भौगोलिक और भाषा की दृष्टि से यह महाराष्ट्र का एक भाग है। महाराष्ट्र से इनका घनिष्ट सामाजिक और आर्थिक सम्बन्ध है।

यदि इन मराठी बोलने वालों को कन्नड़ राज्य के अन्तिम छोर से मिला दिया गया तो राज्य के राजनीतिक जीवन और प्रशासकीय व्यवंस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इतनी बहुमत संख्या के हितों के लिये परित्राण सम्बन्धी कार्यों में यदि कुछ शीघ्रता की गई तो वे असन्तोष जनक ही सिद्ध होंगे।

खंडों पर चर्चा के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड २ से १५ तक के लिये निम्नलिखित और संशोधन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई है

खंड संख्या	संशोधन संख्या
३	१६३, १६४
७	४८४
१५	४८६
१५ क (नया)	४८७

निम्न सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये।

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री गोपाल राव (गुडिवाडा)	१६३, १६४
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी)	४८४, ४८६, ४८७,

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन भी सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री मैथ्यू** (कोट्टयम) : मुझे एक प्रकार का आन्तरिक सन्तोष था कि देश में इधर कुछ महीनों में जो झगड़े हुए और जो अशान्ति फैली उसमें हम दक्षिण भारत वालों ने शान्ति से काम लिया । यह भी कहा जा सकता है कि हमारी समस्यायें या झगड़े इतनें पेचीदा भी नहीं थे किन्तु उत्तेजना तो मामूली चीज से और कभी भी फैल सकती है । इस प्रकार का व्यवहार हमारे लिये एक प्रकार के श्रेय की बात है ।

मैं तो समझता था कि संयुक्त समिति के हाथों में पहुंच कर अब इस मामले को लेकर अधिक झगड़ा नहीं मचेगा किन्तु कल ही मेरे एक मित्र ने अचानक यह सुझाव रख दिया कि कासरगोड तालुक को जो केरल का एक भाग होगा, बांट दिया जाना चाहिये और चन्द्रागिरि नदी में उत्तर वाला भाग कर्नाटक में रहने देना चाहिये । इसका बड़ा प्रभावकारी और शान्त उत्तर मेरे पास माननीय मित्र श्री अ०म० थामस ने दिया था और मैं समझता था कि अब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा । किन्तु कल मेरे आदरणीय मित्र श्री गुरूपादस्वामी ने उस चीज को बिल्कुल उलट दिया । उनका कहना यह है कि चन्द्रागिरि नदी के उत्तर वाले भाग में मलयालम बोलने वाले बहुमत में नहीं हैं । वास्तव में उन से ऐसी गलती हो गई है क्योंकि उस भाग में मलयालम बोलने वाले ही बहुसंख्या में हैं । श्री अ० म० थामस ने आगे कहा था कि तुलू भाषा मलयालम से बहुत कुछ मिलती जुलती है । यदि इस बात पर ध्यान न भी दिया जाये तो भी मलयालम बोलने वाले वहां बहुतायत से रहते हैं, यह सच है । मैं यह नहीं कहता कि भाषा के आधार पर ही सारी चीजें तय की जानी चाहिये । यदि भाषा से अधिक महत्वपूर्ण कोई बात है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । किन्तु इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है । अतः इस प्रकार के संशोधन के बारे में कहने वाली कोई बात यहां नहीं है ।

मैं कह चुका हूं कि हमने अपने तामिल मित्रों से अपील की थी और अपने तर्क प्रस्तुत किये थे । हममें से कुछ लोगों ने दक्षिण त्रावणकोर के लोगों से उन्हीं के हित में यह कहा था कि सारे राज्य के हित की बात छोड़ कर उनके लिये अच्छा होगा कि वे केरल में ही रहें, किन्तु हमारी यह अपील उन्होंने अस्वीकार कर दी । शायद यह अपराध उनका न हो कर हमारा ही हो क्योंकि हमारी सारी सदभावनाएं उनके साथ रहते हुए भी उन्होंने हमारी अपील का उत्तर नहीं दिया । मैं आशा करता हूं कि डेवीकोलम और के पीरमाडे केरल नये राज्य से लेकर मद्रास से मिला दिये जायेंगे । यदि डेवीकोलम और पीरमाडे के बिना केरल राज्य स्थायी नहीं हो सकता तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सम्पूर्ण केरल राज्य ही मद्रास में क्यों न मिला दिया जाये । किन्तु ऐसा करनें से तामिल भाषी जो बहुतायात संख्या में हैं, ऐसे सुझाव से निराश हो जायेंगे । कुछ भी हो मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूं इस कारण इस बात पर और आगे जोर देने से कोई लाभ नहीं है ।

† **श्री बूवराघस्वामी** (पेराम्बलूर) : आन्ध्र में सम्मिलित हो जाइये ।

†**श्री मैथ्यू :** यह बात युक्तिसंगत की नहीं है । भौगोलिक तथा कुछ अन्य कारणों से यह ठीक नहीं होगा । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि डेवीकोलम और पीरमाडे की तामिल भाषी जनता के हितों की रक्षा की जानी चाहिये । डेवीकोलम और पीरमाडे के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम तामिल हो और दक्षिण तालुक में मलयालम के परित्राण के लिये पर्याप्त उपबन्ध होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि हमारे केरल राज्य में तामिल भाषी जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी ।

अतः मैं संशोधन संख्या २६१ तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले अन्य संशोधनों का विरोध करता हूं । कुछ निराशा होने पर भी संयुक्त समिति नें केरल राज्य के बारे में जो योजना बताई है, मैं उसे स्वीकार करता हूं ।

†**श्री बहादुर सिंह** (फीरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं संयुक्त समिति द्वारा संशोधित रूप में आये राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड १३ पर श्री नन्द लाल शर्मा के संशोधन संख्या ४०१ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं'

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री बहादूर सिंह]

मेरे माननीय मित्र का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को सीधे पंजाब में मिला दिया जाना चाहिये पंजाब से मांगें आयीं थी कि पंजाबी भाषी प्रान्त बनाया जाये, एक हरियाना प्रान्त बनाया जाये और बृहत्तर हिमाचल प्रदेश बनाया जाये। इन सारे राज्यों को मिला कर महा पंजाब बनाने ी भी मांग की गई थी ।

तत्पश्चात सिक्खों के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार की वार्ता के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था की गई थी कि जिसके द्वारा पंजाब और पेप्सु मिला दिये जायेंगे और प्रादेशिक समितियां बनेंगी । हिमाचल प्रदेश अलग रखा गया था ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में हुई चर्चा में भाग लेनें वाले २९ सदस्यों मे से हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला देनें के सम्बन्ध में केवल एक सदस्य पक्ष में बोला और शेष सदस्यों नें इसका विरोध किया । मतदान में भी ३८ में से ३४ ने विलय का विरोध किया । अब इस स्थिति में भी परिवर्तन हो गया है और विरोधियों की संख्या और भी बढ़ गई है । सारे राजनीतिक दलों ने जिसमें कांग्रेस, प्रजा समाजवादी दल और साम्यवादी भी सम्मिलित हैं, इस विलय का विरोध किया है ।

हिमाचल प्रदेश को अलग रहने देने का एक कारण यह है कि वे पिछड़े हुए लोग हैं । वे ज्यादा सीधा स्वभाव होने के कारण मैदान के लोगों से मिलना पसन्द नहीं करते । यदि इनको पंजाब से मिला भी दिया जाये तो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पंजाबियों से पिछड़े होने के कारण उनकी हानि होगी । यदि हिमाचल प्रदेश को पंजाब से मिलाने के लिये विवश कर दिया गया तो भय इस बात का है कि जो लोग हरियाना के लोगों का शोषण करते रहे हैं वे हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी शोषण करेंगे । जब सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

'अनिच्छुकों' और असमान दलों के विलय का प्रस्ताव लोक प्रिय नहीं होगा और लोगों में सद्भावना और सहयोग नहीं होगा जिसका होना आवश्यक है । हिमाचल प्रदेश का विलय करने से उसकी स्थिति अधीनस्थ प्रदेश जैसी तो हो जायेगी और प्रगति रुक जायेगी ।

शासकीय सुविधा और क्षमता की ओर ध्यान देना प्रशासन सम्बन्धी मितव्ययता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । सरकार को कुछ राजनीतिक दलों और स्वार्थी लोगों की इस मांग पर झुक नहीं जाना चाहिये ।

श्री गौतम (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में थोड़ा सा आपके सामने बोलना चाहता हूं ।

इस नव प्रस्तावित राज्य के जो दूसरे समीपवर्ती राज्य हैं उन्होंने इस राज्य की बहुत सी भूमि की मांग की है । इस मांग के लिये जो संशाधन दिये गयें हैं मैं उनका विरोध करता हूं । ६ या ७ अमेंडमेंट हैं जिनके द्वारा महाराष्ट्र ने सोंसर, बरहानपुर, मुलताई, मैसदेही, बस्तर और बालाघाट जिले की मांग की है जो कि थानें बालाघाट ज़िला मेरी कांस्टीट्यूएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) है । उन्होंने बताया है कि इन मांग किये हुए क्षेत्रों की जनसंख्या पांच लाख है परन्तु यदि सेंसस रिपोर्ट (जनगणना प्रतिवेदन) को देखा जाये तो मालूम होगा कि केवल बालाघाट जिले की जनसंख्या साढ़े ६ लाख है, बरहान पुर की डेढ़ लाख है, सौंसर की डेढ़ लाख है और मुलताई की दो लाख है, तथा बस्तर की सात आठ लाख के लगभग है। वे कहते हैं कि वे केवल पांच लाख जन संख्या मांग रहे हैं जब कि यथार्थ में वे इतना बड़ा क्षेत्र मांग रहे हैं जिसकी जनसंख्या बीस लाख है । उन्होंने अपनी मांग को बहुत कम बताया है परन्तु वास्तव में उनकी मांग बहुत ज्यादा है । अगर सन् १९५१ की सेंसस रिपोर्ट, सफा २७ पार्ट १ को देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि छिन्दवाणा जिला जिसमें से सोंसर भाग उन्होंने मांगा है वहां पर मराठी बोलने वाले सिर्फ १३ प्रतिशत हैं, और वह पूरी सोंसर तहसील मांग रहे हैं ।

जिला बैतूल में स्थिति मुलताई और भैंसदेही के इलाकों को महाराष्ट्र में मिलाने की जो मांग पेश की गई है वह मेरी समझ में अनुचित है क्योंकि बैतूल जिले में मराठी बोलने वाले सिर्फ १९ प्रतिशत हैं। इसी तरह से मैं आप को बतलाउं कि निमाड जिले में जिसमें से बुरहानपुर की मांग की है वहां पर सिर्फ१५ फीसदी मराठी बोलनें वाले हैं। हमारे महाराष्ट्री दोस्तों ने पूरे बालाघाट जिले को महाराष्ट्र मे मिलाये जाने की मांग पेश की है। बालाघाट जिले की जनसंख्या ७ लाख है और वहां पर मराठी बोलने वाले सिर्फ १४ प्रतिशत हैं। यह मांगें हमारे महाराष्ट्रियन मित्रों ने अपने सात अमेंडमेंट्स के द्वारा हाउस के सामनें रक्खी हैं जो कि बिल्कुल अनुचित हैं और ग्राह्य नहीं हो सकती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बालाघाट जिले में महार, कोहरी और कुनबी यह तीन जातियां मराठी बोलती हैं जबकि पवार जाति वाले पवारी बोलते हैं और यह बहुसंख्यक जातियां सब हिन्दी बोलने वाली हैं। यह मरारी और पवारी हिन्दी से बहुत मिलती जुलती हैं। बालाघाट में हिन्दी बोलने वालों की संख्या कम से कम ७० प्रतिशत है । इसके अलावा इस जिले में १ लाख से कुछ थोड़े ही कम गोंड लोग रहते हैं जो कि गोंडी बोलते हैं और जिनका कि मराठी भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । कहने का मतलब यह है कि बालाघाट जिला हिन्दी बोलने वालों का इलाका है और मराठी भाषा भाषी क्षेत्र में इसको नहीं मिलाया जाना चाहिये और इसलिये उन्होंने जो उसको महाराष्ट्र में मिलाने की मांग की है वह अनुचित मांग है और माने जाने योग्य नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि गोंदिया जो कि महाराष्ट्र में चला गया है उसको मध्य प्रदेश को दे देना चाहिये क्योंकि वहां पर हिन्दी बोलने वाले काफी तादाद में हैं और इस नाते उसको हिन्दी इलाके में शामिल करना उचित होगा और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, भैंसदेही, मुलताई, और सोंसर का भाग गोंदिया की लोक संख्या के प्रमाण से अदल बदल कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह का एक्सचेंज का सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है और अगर वह मानते हैं तो मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित होगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय :** चूंकि सभा नें यह तय किया है कि इन खंडों पर चर्चा ५ म० प० पर समाप्त हो जायेगी, अतः यह चर्चा समाप्त होती है। मंत्री जी कल उत्तर देंगे और उसके पश्चात इन खंडों पर मत लिये जायेंगे ।

खण्ड १६ से ४९ और अनुसूचियां १ से ३

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा विधेयक के उपर्युक्त खंडों और अनुसूचियों पर विचार करेगी जिसके लिये छः घंटे नियत किये गये हैं। जो माननीय सदस्य इन खंडों और अनुसूचियों पर संशोधन देना चाहें वे १५ मिनट के भीतर सचिव को दे दें, जो अन्यथा मान्य होने पर प्रस्तुत किय हुए समझे जायेंगे ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): अगले खंड समूह पर विचार करने से पूर्व मैं एक विचारणीय सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। लगभग एक सप्ताह तक चर्चा करने के पश्चात बम्बई राज्य के बारे में समझौते की सम्भावना जान पड़ती है। यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री विभिन्न दलों के नेताओं आदि से परामर्श करें तो बम्बई की समस्या सुलझने की और अधिक सम्भावना हो सकती है। माननीय मंत्री कल प्रातः के बजाय सायंकाल भाषण दें। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि समझौते के लिये उपयुक्त अवसर दिया जाये। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्री बन्धु इस सम्बन्ध में निबटारा करने के लिये न केवल साहस का ही अपितु स्वविवेक का प्रयोग करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि इस मामले में अध्यक्ष को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सम्भवतः गृह-कार्य मंत्री इस सुझाव पर विचार करके अपनी राय बतायेंगे। इसी बीच हम अपने कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री थानू पिल्लै** (तिरुनेलवेली) : हम मद्रासी लोगों ने खंडों पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये हैं। किन्तु किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जिन खंड समूहों पर हमने अभी विचार किया था ?

†**श्री थानू पिल्लै** : जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दिक्कत यह है कि हर सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता।

†**श्री थानू पिल्लै** : कम से कम हमें लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये ही अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तक प्रत्येक विचारधारा का काफी विशद प्रतिनिधित्व हो चुका है। मैं नहीं समझता कि इस मामले में और आगे कुछ हो सकेगा। हम अब अगले खंड समूह को लेंगे ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : क्या हम कल प्रातः तक संशोधन नहीं दे सकते?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन १५ मिनट के अन्दर देने हैं। जो रह जाये वह कल भी दिये जा सकते हैं ।

श्री र० द० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय इस बिल के ऊपर और अपनें अमेडमेंट (संशोधन) के उपर बोलने का दिया है। मैंने १६ क्लाज़ (खंड) से लेकर ४९ क्लाज़ तक अपनी अमेंडमेंट्स मूव किये हैं जो कि हाउस के सामने पेश हैं। इसके पहले मैंने क्लाज़ २ से लेकर १४ क्लाज़ तक भी अपनें अमेंडमेंट्स दिये हैं और वे भी हाउस के सामनें पेश हैं। मेरे तमाम अमेंडमेंट की मंशा शुरू से लेकर आखिर तक एक ही है। मैंने इनमें कोई भी अमेंडमेंट इस किस्म का पेश नहीं किया है कि कोई एक इलाका निकाल कर दूसरे प्रान्त में दे दिया जाये या जो गवर्नमेंट की स्कीम मौजूदा बिल में है उस बिल में मैंनें कोई खास तरमीम की है, मेरे सामनें एक कानूनी दिक्कत थी और उस कानूनी दिक्कत को दूर करने के लिये मैंने यह कोशिश की है कि यह एस० आर० सी० बिल (राज्य पुनर्गठन आयोग) कांस्टीट्यूशन (संविधान) के मुताबिक इस हाउस में पास हो। मैं देखता हूं कि यह जो हमारी स्टेट्स रिआर्गनाईजेशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की स्कीम है वह दो बिलों में बांट दी गई है और उसके दो बिलों में बंट जाने की वजह से कुछ दिक्कत पैदा हो गई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) के लीगल एक्सपर्टस (विधि विशेषज्ञ) ने यह राय किस तरह से दे दी कि इस बिल को कांस्टीट्यूशन के खिलाफ पहले पास किया जाये और उसके बाद कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल (संविधान संशोधन) विधेयक को पास किया जायेगा ।

५.१० म० प०

हमने देखा है कि सेलेक्ट कमेटी से जब यह एस० आर० सी० बिल हमारे सामने आया तो उस एस० आर० सी० बिल के प्रिंसिपल (सिद्धांत) को बदल कर उस की शक्ल को बदल दिया, चाहते वही चीज हैं जो एस० आर० सी०स्कीम में और एस०आर० सी० बिल में है लेकिन उसकी शक्ल यहां पर बदल दी और कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट (संवैधानिक संशोधन) बिल में उनको शामिल कर के पेश किया है। एस० आर० सी० स्कीम तो नहीं बदली है क्योंकि दोनों बिल मिल करके उस स्कीम को लेते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस एस० आर० सी० बिल में से कुछ एक बातों को निकाल दिया है और उनको कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में रख दिया है । एक तरफ हम इस एस० आर० सी० बिल को पास करें और उस के बाद कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करें तो दिक्कत यहां पर यह आ कर पड़ गई कि जिस वक्त हम इस बिल की बात सोचते हैं तो देखते हैं कि यह बिल मौजूदा कॉंस्टिट्यूशन से टक्कर खाता है, और कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाद में आयेगा। जरूरत यह थी कि कानून के मुताबिक

†मूल अंग्रेजी में ।

हमारे कांस्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को जो अधिकार दिया गया है उस के मुताबिक हम पहले इस कानूनी भूल को दूर कर लेते, उस के बाद यह बिल लिया जाता। जैसा मैं समझा हूं उस के मुताबिक अगर इस एस० आर० सी० बिल को बनाया जाय तो कानूनी दिक्कत दूर हो जायेगी और स्टेट्स रीआरगेनाईजेशन भी समय पर हो जायेगा। मैं इस की तरफ पार्लियामेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और मेरे जो अमेंडमेंट हैं १६ से लेकर ४९ तक वह भी कानूनी बात के ऊपर मबनी हैं। यह बात नहीं कि जिन्होंने यह कांस्टिट्यूशन बनाया उन को यह बात मालूम नहीं थी कि पार्लियामेंट के सामने कभी यह दिक्कत आएगी। यह बात वह जानते थे कि जब कभी स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन होगा, एक स्टेट तोडी जाएगी और दूसरे हिस्से में इस का भाग मिलाया जायगा तो ऐसी अनफोरसीन (अनदेखी) बातें आ जायेंगी जो कि कांस्टिट्यूशन से टक्कर खायेंगी। इस बात को सोच समझ कर ही उन्होंने आर्टिकल ४ बनाया। मैं आर्टिकल ४ की तरफ गवर्नमेंट का, आप का और इस हाऊस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है :

"अनुच्छेद २ अथवा ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध होंगे जो विधि के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक हों"

यह दो चीजें तो लाजिमी हैं।

"और ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक और मूल उपबन्धों के फलस्वरूप (संसद में प्रतिनिधित्व और राज्य अथवा के विधान मंडल में प्रतिनिधित्व उपबन्ध सहित) ऐसे उपबन्ध जिन्हें संसद उपयुक्त समझे बन सकेगें"

जब आप नयी स्टेट्स बनायें तो उन नयी स्टेट्स के बनाते समय आप को फर्स्ट शेड्यूल (प्रथम अनुसूची) को बदलना ही पड़ेगा क्यों कि उसमें जो स्टेट्स हैं वह दूसरी तरह की बन जायेगी और चौथे शेड्यूल में जिनका राज्य सभा में जितना रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) है वह भी बदल जायगा क्योंकि स्टेट्स की आबादी बदल जायेगी। इस तरह से शेड्यूल को बदलना ही होगा। उन के लिये लाजिमी तौर पर लिख दिया गया।

"इस विधि में यह होगा"।

मतलब यह है कि आप नें इतने अमेंडमेंट शेड्यूल में करने के लिये रख दिये। कोई ऐसी बात नहीं कि हर समय कांस्टीट्यूशन बदलना ही पड़े, लेकिन कभी यह भी हो सकता है कि वह कानून कांस्टिट्यूशन की टक्कर खाने लगें। तो यह एक ऐसी बात थी जिस के लिये उन्होंने आगे चल कर रक्खा है :

"और उसमें उपबन्ध हो सकते हैं"।

अगर जरूरत पड़े तो ऐसी बात रक्खी जाय कि जिस से कांस्टिट्यूशन बदल दिया जाय और जरूरत न हो तो कोई जरूरत नहीं उस को बदलने की। इसलिये आगे लिखा गया है :

"और उसमें ऐसे अन्य उपबन्ध हो सकते हैं"।

ऐसी और दफात इस कानून में लगा दी जायें जो सप्लिमेंटल (अनुपूरक) हों, इंसिडेन्टल (अनुषंगिक) हों या कांसिक्वेंशल (फलस्वरूप) हों, जैसा कि इस समय स्टेट रीआरगेनाईजेशन में ऐसा करना एक जरूरी और लाजमी चीज हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं। आप ने जो स्टेट्स रिआर्गेनाईज़ेशन किया है उस में हमने बी क्लास स्टेट तोड़ दी है। ऐसी हालत में राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के चप्टर की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : काश्मीर रह गया है।

श्री र० द० मिश्र : काश्मीर भाग ख राज्य नहीं। वह पार्ट ७ से गवर्न नहीं होता है। फिर आर्टिकल ३ के जो ए या बी पार्ट हैं, उन का भी असर उस पर नहीं पड़ रहा है। इसलिये मैं कहता हूं कि जितनी जगह यह कांसिक्वेंशल चीज आती है, कांस्टिट्यूशन के अन्दर जहां कहीं भी राजप्रमुख और उपराजप्रमुख लिखा हुआ है, उनको हटा दिया जाये क्योंकि वह कांसिक्वेंशल हैं और उनके रखने से झगड़ा बढ़ता है। चाहे वह इंसिडेंटल हो या कांसिक्वेंशल, वह सब जाना चाहिये। इस पर सब ऐग्री करते हैं, कोई पार्टी इससे डिफर नहीं करती कि जो स्टेट्स की कैटेगरीज आज हैं ऊनको मिटा देना चाहिये और यह सब अमेंडमेंट उसमें आनें चाहिये।

इस स्कीम के अन्दर यह बात भी कर दी गई है कि हम ने दो तीन स्टेटों को मर्ज (सविलय) किया, लेकिन इस कांस्टिट्यूशन (संविधान) के अन्दर कोई चीज साफ नहीं है कि हम इस स्टेट को तोड़ दें, उसकी ऐसेम्बली को तोड़ दें, ओर दूसरी चीजें कर दें। जब ऐसी चीज हो जाती है और कोइ झगड़े की बात आती है तो आर्टिकल में लिख देना चाहिये कि हम ने जो मध्य प्रदेश में तीन स्टेट मिला दी हैं उन की असेम्बली की मियाद खत्म न होगी, वह मेम्बर रहेंगे, पांच वर्ष की मियाद है, हम किसी को निकाल नहीं रहे हैं, तीनों असेंम्बलियों के मेम्बर साथ बैठेंगे, मियाद के वाद फिर से असेम्बली बनेगी। यह एक कांसिक्वेंशल अमेंडमेंट हो जाता है। परन्तु इस बात को कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट के रूप में रख देना चाहिये। इसी प्रकार जो और बाते है उनको इस बिल में रख देना चाहिये।

ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट जो मैंने दिये हैं। मिसाल के तौर पर मेरा अमेंडमेंट नं० ३८१ है जो कि मैंने बिल की दफा ३० के ऊपर दिया है। वह एक बहुत मामूली सी बात है। कांस्टिट्यूशन की जो दफा १७० है, जिस के मुताबिक स्टेट असेम्बलियां बनती हैं उस में मैंने कहा है कि चूंकि स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है लिहाजा उस में एक सबक्लाज ६ और जोड़ दिया जाय। जो आपने क्लाज ३० में लिखा है उसी के अनुसार आप की असेम्बलियां बनाई जायें, यह बात कांस्टिट्यूशन में आ जाय। यह एक इंसिडेंटल चीज है।

इसी तरीके से और भी अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैं ने इस बिल के संबंध में पेश किये हैं कि यह कानूनी चीजें बिल में आ जानी चाहियें। इस में एक मामूली सा अमेंडमेंट है कि जहां पर कौंसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद) के रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) की बात लिखी गई है वहां पर क्लाजेज के अंदर कौंसिल आफ स्टेट (राज्य परिषद) के शब्द नहीं है। अगर उस क्लाज को उठा कर पढ़ा जाय तो यह पता नहीं लगेगा कि यह चीज किसके लिये है जब तक कि कोई व्यक्ति हेडिंग (शीर्षक) और मार्जिन (हाशिये) को न देखे। कानून के सेक्शन (धारा) जो होते हैं उन को अपने आप बताना चाहिये कि वह किस चीज के लिये क्या कह रहे हैं और उसमें वह शब्द आने चाहिये। बिल के सेक्शन २६ में जो अमेंडमेंट्स मैं ने नं० १९५ से लेकर २०६ तक दिये है वह इसी लिये दिये हैं कि उस के सब क्लाजेज में **कौंसिल आफ स्टेटस** शब्द जोड दिये जायें। कहीं आप को पता लगा कि किस के लिये वह है, न तो वह प्रांत की असेम्बली के लिये, है, न कौंसिल के लिये और न कौंसिल आफ स्टेट के लिये। अगर उस में **कौंसिल आफ स्टेट** के शब्द जोड़ दिये जायें तो सारी चीज साफ हो जाती हैं। इस लिये मेरे यह अमेंडमेंट कानूनी हैं। चूंकि अभी कानून से साफ तौर पर नहीं मालूम होता कि वह किस के लिये है ऐसी बातें वह बाद में हाई कोर्ट (उच्चन्यायालय) और सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में जायेंगी। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह हमारी दिक्कतों को दूर करे। इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि जितने अमेंडमेंट मैंने दिये हैं वह उन पर गौर करे और सोचे कि वह कानून के मुताबिक ठीक हैं या नहीं। अगर वह ठीक हैं तो उन के लिये जरूरत इस बात की हो जाती है कि वह उन को मानें, यह सोच कर कि दूसरे लोग जो उस को मश्विरा देते हैं वह भी कुछ मेहनत करते हैं ताकि कानूनी दिक्कतें दूर हों। इसी चीज को देखते हुये मैं ने यह अमेंडमेंट दिये हैं।

मैं सब से पहले बता दूं कि बिल के क्लाज २ में जो डेफिनिशंस (परिभाषायें) दिये हुये हैं उनमें स्कीम को ला की डेफिनेशन में रख दिया है। नोटिफिकेशन (अधिसूचना) को भी कानून मान लिया है। स्कीमें कभी कोई ला (विधि) होती है? आप ला की डेफिनिशन (विधि की परिभाषा) न मालूम कहां से उठा लाये हैं। आप देखिये कि जो कांस्टिट्यूशन है उस में भी एग्जिस्टिंग ला की

डेफिनिशन दी हुई है। उन्होंने जो वर्डस (शब्द) इस्तेमाल किये हैं उन में दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग ला क्या होता है। मैं कहता हूं वह ला (विधि), आर्डिनेन्स (अध्यादेश), आर्डर (आदेश), बाई ला, (उपविधि), रूल (नियम), रेगुलेशन (विनियम) या कोई ऐसी चीज जो कि कानून की तरह इस्तेमाल होता है, जिस का किसी लेजिस्लेचर (विधान मंडल) में या किसी ऐसी अथारिटी (प्राधिकारी) ने बनाया हो जिस को कानून बनाने का हक है, वही ला की डेफिनिशन में आ सकता है। इसलिये मैंने उस के लिये भी एक अमेंडमेंट दिया है।

उसी तरीके से मैंने क्लाज १४ में अमेंडमेंट दिये हैं। वहां आप ने इस बिल में लिख दिया **ऐज स्पेसिफाईड** (उल्लिखित) **ईन ऐक्ट फलां, ऐज स्पेसिफाइंड ईन ऐक्ट फलां।** इस में कोई चीज साफ साफ नहीं दी हुई है कि आप की मंशा क्या है। आप फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ें कांस्टिट्यूशन को पढ़ लें। कांस्टिट्यूशन कुछ नहीं बताता। आप ने तो रख दिया कि **ऐज स्पेसिफाईड ईन ऐक्ट फलां।** अब आप ढूंढिये कि फलां ऐक्ट कौन सा है। कांस्टिट्यूशन जो है वह एक सैकेंड डाकुमेंट है, मैं इसको मानता हूं कि लेकिन वह इतना मुकम्मिल होना चाहिये कि वह स्वयं बताये इसके दूसरे बिल या कानून पर अश्रित रहना पड़े। एस० आर० बिल के अन्दर जो तारीफ दी हुई है, उस के अंदर तो आप को सारी चीजें लिख ही देनी चाहियें। कम से कम कानून तो हमारा साफ हो जायेगा। लिहाज़ा मैंने शिड्यूल (अनुसूची) के लिये अमेंडमेंट दी है। इस सिलसिले में आप जो प्रापर्टी वगैरह ट्रांस्फर कर रहे हैं, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि कांस्टीच्यूशन अपनी जगह एक काम्प्रिहैंसिव (व्यापक) और मुकम्मल डाकुमेंट हो, ताकि वह गवर्नमेंट, जनता, अदालतों और वकीलों के लिये सहूलियत का बायस हो।

मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और उस के लीगल एक्सपर्ट्स विधि विशेषज्ञ मेरी लीगल अमेंडमेंट्स पर अच्छी तरह गौर करें। वे सब बिल्कुल माइनर (साधारण) अमेंडमेंट्स हैं जो कि इसी एक्ट में इनकार्पोरेट (मिलाना) की जा सकती हैं। आर्टिकल ४ में लिखा हुआ है:

"उपरोक्त विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजन हेतु संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी"।

आर्टिकल ३६८ के मुताबिक साधारण तया कांस्टीच्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिये एक तो उस हाउस की दो तिहाई मैजारिटी (बहुमत) चाहिये और साथ ही मैजारिटी आफ टोटल मैंबरशिप (कुल सदस्य) चाहिये, लेकिन कुछ हालतों में स्टेट्स की रेटिफ़िकेशन (अनुसमर्थन) की भी ज़रूरत होगी। आर्टिकल (अनुच्छेद) ४ पर आर्टिकल ३६८ की प्राविज़न्ज़ लागू न होंगी। न किसी स्पेशल मैजारिटी (विशेष बहुमत) की ज़रूरत है और न स्टेट्स की रैटिफ़िकेशन की ज़रूरत है। इसलिये कांस्टीच्यूशन बनाने वालों ने लिखा कि जब स्टेट्स री-आर्गनाइज़ करें नई स्टेट्स एस्टाब्लिस (स्थापित) करें, एक का एरिया दूसरी को दें, नाम में तब्दीली करें तो उस के मुताबिक सप्लीमेंटल, इंसीडेंटल और कान्सीक्वेन्शियल प्राविज़न्ज़ भी उसी ला में रखने चाहियें। आर्टिकल ४ में जो अख्तियार आप को दिया गया है, उस के मुताबिक यें सब बातें——सब कान्सीक्वेन्शियल और इन्सीडेंटल प्राविज़न्ज़——आप को इस बिल में रख देनी चाहिये। मेरा ख्याल है कि या तो इस सवाल पर गौर ही नहीं किया गया या यह बात समझ में ही नहीं आई। अब भी मौका है कि गवर्नमेंट इन लीगल अमेंडमेंट (विधि संबंधी संशोधन) को एक्सेप्ट कर ले। अगर वह इन को एक्सेप्ट (स्वीकार) कर लेगी, तो हमारा यह बिल कांस्टीच्यूशन के मुताबिक हो जायेगा, सही हो जायेगा और मुकमल हो जायेगा। इस का फायदा यह होगा कि कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट बिल में से वे फालतू बातें निकल जायेंगी, जो कि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने उस बिल में शामिल कर दी हैं, जिन का उससे संबंध नहीं है। कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट बिल में बहुत सी बातें रख दी गई हैं——कुछ बातों के लिये दो तिहाई मैजारिटी चाहिये और कुछ के लिये स्टेट्स की रैटिफिकेशन चाहिये। मेरे ख्याल में उन सब को अलग अलग कर देना चाहिये।

इस के बाद मैंने ज़ोनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद) के बारे में भी कुछ अमेंडमेंट्स रखी हैं। आप ने यह तय किया है कि वे कौंसिल्ज़ (परिषद) बौंडरी डिस्पूट्स (सीमा विवाद) वगैरह के बहुत ज़रूरी मामलात को तय करेंगी। मेरे ख्याल में वे कौंसिल्ज़ बौंडरी डिस्पूट्स को किसी भी

[श्री र० द० मिश्र]

बौंडरी कमीशन (सीमा आयोग) से ज्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकेंगी, क्योंकि उसमें इलाका लेने और देने वाली स्टेट्स और उस फेसले को मंजूर करने वाली सैंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) के नुमायंदे होंगे। उन में स्टेटों के चीफ मिनिस्टर होंगे इसलिये मेरा कहना यह है कि उनमें सैंट्रल केबिनेट मिनिस्टर रहना चाहिये।

दफ़ा २४ मे मैंने यह अमेंडमेंट रखी है कि ज़ोनल कौंसिल्ज़ में जो भी फैसले हों, जो भी बातें तय हों, जो भी कार्यवाही हो, उस की रिपोर्ट बाकायदा पार्लियामेंट (संसद) के सामने रखी जानी चाहिये ताकि हम लोगों को मालूम होता रहे कि ज़ोनल कौंसिल्ज़ कैसा काम कर रही हैं और इस बारे में हम कितना आगे बढ़े हैं। यह पार्लियामेंट इस मुल्क की सावीरेन बाडी (संपूर्ण प्रमुख संपन्न) और यह ज़रूरी है कि उस को ज़ोनल कौंसिल के काम के मुताबिक बाकायदा इत्तिला मिलती रहे।

इसी तरह से मैंने राज्य सभा के रिप्रेज़ेन्टेशन के बारे में अमेंडमेंटस पेस की हैं। इस सिलसिले में पहले एस० आर० बिल में जो रखा, बाद में उस को बदल दिया और फिर कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वही रख दिया। इस से गलतफ़हमी होने का इमकान है। मेरे ख्याल में उस कम्पलीट लिस्ट (पूर्ण सूची) को, जो कि पहले एस० आर० बिल में है, एडाप्ट (स्वीकार) कर लेना चाहिये। इस सिलसिले में मैंने अमेंडमेंट्स नं० २३५, २३६, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४ और २४५ रखी हैं।

स्पीकर के चुनाव के बारे में मैंने जो अमेंडमेंट रखी है, वह कांसीक्वेन्शियल है, इस लिये उस को स्पीकर के क्लाज़ में शामिल कर लिया जाय। जहां तक लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधान परिषद) का सवाल है, उस के मुताल्लिक आप को कांस्टीच्यूशन में अब भी अधिकार है, इस लिये इस बारे में आप को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

डीलिमिटेशन आफ कांस्टीच्युएन्सीज़ के मुताल्लिक भी मैंने अमेंडमेंट रखी है। इस वक्त यह प्राविज़न है कि जिस समय कमीशन अपना आर्डर (आदेश) पास कर के गवर्नमेंट के पास भेज दे, तो वह आर्डर निफाज में आ जाय। मेरा कहना यह है कि जब कमीशन आर्डर पास करे, तो वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के गज़ट में छपना चाहिये, तब उसे ला माना जाना चाहिये। फ़र्ज़ कीजिये कि कमीशन अपना आर्डर किसी मिनिस्टर के पास भेज दे और जनता को मालूम भी न हो, तो यह मुनासिब न होगा। मेरी अमेंडमेंट यह है कि वह गज़ट में छपने के बाद ही आर्डर समझा जाय, पहले नहीं।

फ़र्ज़ कीजिये कि आप यहां पर बंबई के मामले को हल कर लेते हैं--काम्प्रोमाइज़ (समझौता) करते हैं, वोट से तय करते हैं या किसी तरह भी हल कर लेते हैं। लेकिन जब कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट बिल आयेगा, तो फिर वोटिंग (मतदान) होगी, फिर ज़ोर-आजमाई होगी। अगर आप मेरी अमेंडमेंट को मान जायें, तो आप का बिल सिम्पल मैजारिटी (साधारण बहुमत) से यही पास हो जायेगा अगर आप मेरी बात को मान जायेंगे, तो इस बिल को कम्पलीट करने के बाद स्टेट्स री-आर्गनाई-ज़ेशन की प्राविज़न्ज़ को कांस्टीच्यूशन अमेंडमेंट बिल में लाने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर किसी वजह से आप मेरी बात नहीं मानते हैं और समझते हैं कि वह कानून के खिलाफ है तो मैं उसके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग पेश करता हूं क्योंकि बड़े बड़े वकील जब तक रूलिंग उनके सामने न रखी जायें किसी बात को नहीं मानते। इसलिये मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे रहा हूं। यह केस है शंकरी प्रसाद देव बनाम यूनियन आफ इंडिया एंड स्टेट आफ बिहार, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सन् १९५१ की रिपोर्ट में पेज (पृष्ट) ९९ पर दी गयी है। उसमें बतलाया गया है कि कांस्टी-ट्यूशन बनाने के संबंध में किसको क्या अख्तियार हैं। यह जजमेंट (निर्णय) जस्टिस पातंजलि शास्त्री का है। वह इस प्रकार है कि "संवैधानिक संशोधन की विभिन्न पंक्तियां है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस पद्धति का सहारा लिया है यह जानने के लिये हमें संबंधित उपबन्धों को देखना चाहिये।

संविधान में संबंधित उपबंधों के संशोधनों की तीन श्रेणियां हैं। प्रथम साधारण बहुमत पर आधारित, दूसरे विशिष्ट बहुमत (अनुच्छेद ३६८) के आधार पर, तीसरे ऊपर वर्णित विशिष्ट बहुमत के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची भाग क और ख में निर्दिष्ट राज्य जिन की संख्या आधे से अधिक न हो, द्वारा पारित संकल्पों से अनुसमर्थित।"

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

तो मेरा कहना है कि पार्लियामेंट को यह अस्तियार आर्टिकल ४ में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी यह कहती है। अगर आप मेरे अमेंडमेंट को मंजूर कर लें तो आप को सहूलियत होगी और इसमें आगे दिक्कत नहीं होंगी। मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे अमेंडमेंट को अपने लीगल एक्सपर्टस् के सामने रखें और उनसे दरियाफ्त करें कि ऐसा करने से एस० आर० बिल कानूनी तौर पर और कांस्टीट्यूशन के मुताबिक पास हो जाता है। मेरा निवेदन यही है कि अगर आप मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जावेंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो दिक्कतें मैंने बतलाई हैं वे आवेंगी। कल भी मैंने यह प्वाइंट आफ आर्डर रखा था पर इसका जबाब नहीं मिला। ज्वाइंट कमेटी प्रिंसिपल के बाहर चली गयी थी तो इस वजह से नया बिल बन जाता है अगर हम अपने पुराने बिल को ले आवें और उसमें जो कानूनी दिक्कत है उसके लिये प्रावीजन कर दें तो हमारी दिक्कत दूर हो सकती है। ऐसा करने से हमारा बिल सही बन जाता है। यही मेरा निवेदन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने कहा था कि कल एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था जो सभा में चर्चा के लिये था। वह स्थगित कर दिया गया था इस कारण इस पर बाद में चर्चा होगी।

†**श्री र० द० मिश्र** : मेरा विचार यह है कि निर्णय दिये बिना मत वैभिन्नय को दूर किया जा सकता है।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : कल माननीय सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था जिस पर श्री मोरे के सुझाव से यह कहा गया था कि इस पर आगे चल कर किसी अन्य उपयुक्त समय पर चर्चा की जायेगी। सभा इस पर सहमत भी हो गई थी। इसी कारण इस समय वह सभा के सम्मुख नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता था कि माननीय सदस्य कल उठाये गये औचित्य प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं कि अभी तक विनिर्णय नहीं दिया गया है।

†**श्री र० द० मिश्र** : मुझे एक औचित्य प्रश्न उठाना था जिसका कारण यह था कि संयुक्त समिति विधेयक के क्षेत्र से बाहर चली गई थी और उसने एक नया विधेयक सभा के सम्मुख उपस्थित कर दिया जो उस से भिन्न है। यह कठिनाई तभी दूर की जा सकेगी जब कि खंड २ से ४९ तक के दिये गये मेरे संशोधनों पर विचार कर लिया जाये और सरकार उन्हें स्वीकार कर ले।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कल उठाये गये इन तीनों औचित्य प्रश्नों को देखा है। यदि सभा की इच्छा है कि इस मामले पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सभा में चर्चा की जानी चाहिये तो मुझे इसे स्थगित कर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यहीं निर्णय दिया गया था कि क्योंकि अन्य माननीय सदस्य अन्य बातें उठाना चाहते थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ती नही है। किन्तु यदि माननीय सदस्य कहें कि औचित्य प्रश्न उठाया गया था और कोई विनिर्णय नहीं दिया गया, तो मैं विनिर्णय देने के लिये तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री थानू पिल्ले** : मेरा सुझाव है कि खंण्ड २ से १६ तक के संशोधनों पर बोलने का अवसर न मिल सकने के कारण लिखित वक्तव्य जैसी कोई चीज प्रस्तुत करने की अनुमति हम लोगों को मिलनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय की कमी के कारण माननीय सदस्य अपने अपने संशोधनो के समर्थन में दो पृष्ठ के लिखित वक्तव्य दे सकते हैं। मैं उन्हें माननीय मंत्री के पास पहुंचा दूंगा जिससे वे उनका उत्तर आदि दे सकें ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : जिन खंडों पर चर्चा हो चुकी है उन पर मतदान किस समय होगा ? आप कल कोई समय निश्चित कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसदीय कार्य मंत्री के इस समय यहां उपस्थित न होने से मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता। चूंकि कुछ माननीय सदस्य बाहर गये हुए हैं और कुछ लोग केवल आज और कल ही यहां होंगे, अतः कुछ लोगों की हमें प्रतीक्षा करनी होगी और कुछ लोग उस समय उपस्थित नहीं हो सकेंगे ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : संसदीय कार्य मंत्री कल ३ म० प० पर मतदान के लिये सहमत हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका निश्चय तो विभिन्न दल ही मिल कर करें कि क्या होना चाहिये ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : कल घोषणा हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसका उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता हूं ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : श्री रामचन्द्र रेड्डी ने बताया है कि बम्बई से सम्बन्धित खंडो पर अभी मतदान न लिये जाये। अतः अधिकाधिक लोगों के हित की दृष्टि से वांछनीय यही है कि यह मामला स्थगित कर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस दल के अतिरिक्त अन्य दलों के लोग भी मिल कर एक ऐसा हल ढूढ निकालें जिस पर सब लोग सहमत हों ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : माननीय मंत्री कल सायं अपना भाषण दे सकते हैं ।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : कल तो शुक्रवार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे सुझाव से सहमत हूं जो सारी सभा के लिये सुविधाजनक हो और जिस समय तक अधिकाधिक सदस्य उपस्थिति हो सकें, डा० सूरेशचन्द्र ने मुझे बताया कि कुछ माननीय सदस्य केवल इसी मामले में भाग लेने के लिये आये हुए हैं।

†**डा० सुरेशचन्द्र** : बम्बई का मामला आज के लिये रखा गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो ठीक है, किन्तु किसी प्रकार की सहायता के लिये बिना मैं निर्णय करने मे असमर्थ हूं ।

†**श्री रा० श्री० दीवान** : हैदराबाद के सम्बन्ध में हमारे नेताओं तथा अन्य लोगों ने यह सलाह दी थी कि सीमा सम्बन्धी समस्या सदस्य स्वयं ही सुलझायें। अतः आन्ध्र, कर्नाटक, और मैसूर के सदस्यों की एक बैठक हो और सोमवार को इस पर मतदान ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ! कांग्रेस के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री से और अन्य दलों के लोग आपस में एक दूसरे से मिल कर एक ऐसा उपाय खोज लें जो सबको मान्य हो। मैं इस बिषय को जब तक आवश्यक समझा जाये स्थगित करने के लिये सहमत हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री र० द० मिश्र** : तो क्या सोमवार को मतदान होना निश्चित हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक यही बात तो मैं अब तक कहता आ रहा हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : हमको यह कैसे पता चलेगा कि वह आज होगा कि कल ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका निश्चय कल होगा । माननीय सदस्य यह सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री को दे दें । इसके पश्चात कल सभा इसका जो हल निकालेगी जिससे सभी दलों के लोग सहमत हों, मैं उसे मानने के लिये तैयार हूंगा ।

†**श्री रा० ना० सिंह देव** (कालाहांडी-बोलनगिर) : मैं अपना संशोधन संख्या १४५ जो एक नया खंड संख्या २४ क बनाने के बारे में है पुरस्थापित कर चुका हूं । मेरा संशोधन सीमा आयोग की नियुक्ति करने के बारे में जो संशोधन है उसका एक वैकल्पिक प्रस्ताव है । अभी यह भी कहा नहीं जा सकता कि सीमा आयोग बनाने के बारे में सरकार का क्या रुख होगा , अतः मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करने के कारण बताना चाहूंगा ।

अभी तक जितने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है उनमें से अधिकांश और बहुत से राज्य भी इसी बात को मानते हैं कि सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार सीमा आयोगों की नियुक्ति करने में हिचकती क्यों है ? गृह-कार्य मंत्री ने एक कारण यह बताया है कि जनता को कुछ समय के लिये आराम मिलना चाहिये । दूसरी बात यह कि इस समय देश में जो झगड़े चल रहे हैं वे देश के हित में नहीं हैं । तीसरी बात यह कि क्षेत्रीय परिषदें ऐसी समस्याओं पर चर्चा कर लेंगी । अन्तिम कारण उन्होंने यह बताया कि इस बात की आशा पाई जाती है कि नये राज्य ऐसे झगड़ों को तय कर लेंगे । सीमा आयोग की नियुक्ति न करने के सम्बन्ध में ये चार कारण हमारे गृह-कार्य मंत्री ने बताये हैं ।

मेरे विचार से कठिनाई तो पुराने राज्यों के झगड़ों के सम्बन्ध में हैं । उदाहरण के लिये उड़ीसा को ले लीजिये उसकी कितनी उपेक्षा की गई है । उड़ीसा के तीन सदस्यों ने उसके साथ किये गये अन्याय और वहां के लोगों की उत्तेजित भावनाओं को बताया किन्तु गृह-कार्य मंत्री ने अपने उत्तर में इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा । खेद की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति जो लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते हैं, उड़ीसा के प्रतिनिधि मंडल से इस कारण मिलने से इन्कार कर देते है कि उड़ीसा में जिन हिंसात्मक प्रवृत्तियों का परिचय दिया गया है उनके कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे नेताओं ने महाराष्ट्रियों, बम्बई और गुजरात की भावनाओं को महसूस कर लिया है । उनके लिये तो मार्ग खुला हुआ है । किन्तु उडीसा के लिये आपने क्या किया है? यहां तक कि सरकार सीमा आयोग भी नियुक्त नहीं करना चाहती । मेरी समझ में नहीं आता कि उड़ीसा के प्रति इतनी बेरुखी क्यों दिखाई जाती है । इसका एक मात्र कारण यह है कि एक बड़ा राज्य ऐसा है कि जिसका काफी प्रभाव है और जो राज्य पुनर्गठन आयोग तक की स्थापना इसलिये नहीं होने देना चाहता था कि कहीं उसका अस्तित्व ही खतरे में न पड़ जाये । अनेक सदस्यों ने सभा में यह भी कह दिया कि यदि इसी प्रकार की चीज चलती रही तो झगड़े कभी भी समाप्त नहीं हो सकते । छोटे छोटे तनाव आगे चलकर विशाल रूप धारण कर लेते हैं । क्या यह उचित नही कि इन झगड़ों को सदैव के लिये निबटा दिया जाये? सबसे बडी कठिनाई तो यही है कि ये चीजें गुणावगुणों के अनुसार तय नहीं की जा रही हैं ।

उडीसा को देखिये उपेक्षित पड़ा है । कोई भी उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता । इसका तो एक सिद्धांन्त होना चाहिये जो समान रूप से सारे राज्यों के साथ लागू किया जाये । यदि सरकार ऐसा करने में कुछ कठिनाई समझती है तो उसे चाहिये कि वह अन्य दलों का सहारा ले किन्तु वह ऐसा करना

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रा० ना० सिंह देव]

नहीं चाहती । यह स्पष्ट है कि सारे दलों का एक मत नहीं हो सकता । इस कारण मेरा तो सुझाव यह है कि ऐसे अवसरों पर इन झगड़ों का निबटारा करने के लिये एक निष्पक्ष आयोग स्थापित कर दिया जाना चाहिये ।

खंड परिषदों की स्थापना हम पसन्द नही करते । यदि जनता की राय के विरुद्ध कोई चीज की जायेगी तो बराबर झगड़े चलते रहेंगे जब तक कि आप सारे भेद भाव समाप्त नहीं कर देते ।

यह स्पष्ट है कि एक क्षेत्र में तीन चार या अधिक से अधिक छः राज्य होंगे । ऐसी परिषद से बहुमत निर्णय की आशा करना ही व्यर्थ है । सीमा सम्बन्धी झगड़े सदैव जारी रहेंगे और कभी भी वे कोई चीज तय नहीं कर सकेंगे ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य जिसका झगड़ा चल रहा है भिन्न क्षेत्र में पड़ जाये ।

†**श्री रा० ना० सिंह देव :** इसके अलावा अन्तरक्षेत्रीय बैठकें हुआ करेंगी । अतः इन झगड़ों को निबटाने का यह तरीका नहीं है। इस मामले में विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं है । अतः उपबन्ध यह होना चाहिये कि यदि मत-विभिन्नता के कारण झगड़े निबटते नहीं तो यदि जिस राज्य में झगड़ा चल रहा हो वह चाहे तो सीमा आयोग की नियुक्ति की जा सकेगी । मैं सभा से अपने संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

†**श्री राघवाचारी :** मैं श्री देव के विचारों का समर्थन करता हूं क्यों कि इन्हीं झगड़ों से देश में अशान्ति, निराशा और कटुता फैलती जा रही है । पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भी गृह-कार्य मंत्री के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि समीपवर्ती राज्यों की सभी सदस्य मिलकर आपस में ऐसा उपाय खोज निकालें जिससे सभी सहमत हों और हम फिर उस पर विचार करेंगे । किन्तु मुझे तो इस सम्बन्ध में यही कहना है कि सीमा के झगड़े तब तक बन्द नहीं हो सकते जब तक कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का भी सहयोग हमें न मिले । इसका कारण यह है कि बहुत से राज्यों के बारे में हम अधिक विस्तार पूर्वक नहीं जानते हैं और मान लीजिये कि हम सहमत हो भी जाते हैं तो सरकार ने जो पहले वायदे किये हैं, वे बाधक बन जाते हैं ।

गृह-कार्य मंत्री का यह कहना तो उन दो बच्चों जैसा है जो आपस में लड़ रहे हों और तीसरे व्यक्ति से निबटारा करवाना चाहते हों । अतः उनका सुझाव व्यवहारिक नहीं है । अब प्रश्न यह उपस्थिति हो जाता है कि हम इसका निबटारा किस प्रकार करें । श्री देव ने ठीक ही कहा है कि क्षेत्रीय परिषदों से काम नहीं चलेगा । मेरे विचार से यदि सीमा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो तत्काल ही उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जानी चाहिये । सबसे अच्छा उपाय तो मुझे यही जान पड़ता है ।

कुछ लोग यह कहते हैं कि इन झगड़ों से देश की आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ती है । मेरा इस सम्बन्ध में मत यह है कि बिना सहयोग और सहकारिता भावना के भी तो देश उन्नति नहीं कर सकता और वह तभी हो सकेगा जब कि यह सीमा सम्बन्धी झगड़े समाप्त हो जायेंगे । सबसे अच्छा उपाय तो सीमा आयोग की नियुक्ति करना है जिससे दस बारह महीने के अन्दर ही यह झगड़ा तय हो जाये । निर्णयों के अनुसार विधान तो बन सकता है । यदि आप यह करना नहीं चाहते तो दूसरा न्यायोचित उपाय यह है कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध किया जाये जिसके अधीन झगड़े एक समिति अथवा आयोग को सौंपे जायें, जिसमें निष्पक्ष सदस्य हों और जो तुरन्त निर्णय दे सकें । अन्यथा इससे भी अधिक खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है और समस्या भी सुलझ नहीं सकेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब छः बजे हैं । माननीय सदस्य बाद में अपना भाषण दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मतदान कब होना चाहिये प्रभारी मंत्री कब उत्तर देगें इस पर आप सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। कल गैर सरकारी सदस्यों का कार्य-दिवस है और ३-३० म० प० के बाद से गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ होगा। गृह-मंत्री प्रश्न काल के बाद अर्थात १२ बजे के पश्चात उत्तर देना चाहेंगे। जहां तक मतदान का सम्बन्ध है, सरकार का विचार यह है हमने विरोधी दल के मित्रों से भी परामर्श कर लिया है, उनमें से अधिकांश यही चाहते हैं कि मतदान सोमवार को होना चाहिये। अतः मतदान सोमवार को होगा और प्रभारी मंत्री कल प्रश्न काल के पश्चात १२ बजे उत्तर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** जैसा कि संसद कार्य मंत्री नें सुझाव दिया है मैं प्रश्न काल समाप्त हो जाने के तत्काल बाद गृह-कार्य मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा। खंड २ से १५ पर तथा संशोधनों पर मतदान मैं सोमवार तक रोके रहूंगा। क्या सभा की यह सम्मति है ?

†**अनेक माननीय सदस्य :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं खंड २ से १५ पर मतदान सोमवार के लिये स्थगित कर दूंगा, किन्तु यदि माननीय सदस्यों के किसी दिन या दिनों सभा में उपस्थित होना सुविधाजनक न हुआ तो उससे सभा की कार्यवाही रुकी नहीं रहा करेगी। दलों के नेताओं के प्रति मेरे हृदय में अत्यधिक सम्मान है, किन्तु मैं कोई पूर्व दृष्टांत नहीं बनाना चाहता हूं।

सभा कल के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित रहेगी।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[गुरूवार, २ अगस्त, १९५६] पृष्ठ

विचाराधीन विधेयक ६०३–४५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुनर्गठन विधेयक पर खंडवार विचार जारी रहा खंडों पर विचार समाप्त नहीं हुआ ।

शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंडों पर और आगे विचार ।

भा. स. मु. ना.—वि. ३--२०४-लोकसभा ५६–१८-७-५७—१९०